सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011

वेबसाइटः **www.msme.gov.in**

विषय सूची

	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में एक झलक	
1.	**भूमिका**	1-19
	1.1 पृष्ठभूमि	1-2
	1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिदेश	2-3
	1.3 संगठनात्मक ढाँचा	4-6
	1.4 हाल की पहलें	6-19
2.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का सिंहावलोकन एवं कार्यनिष्पादन**	20-34
	2.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य परिणाम	20-28
	2.2 एमएसएमई की अखिल भारतीय गणना तथा एनएसएस के 73वें दौर के बीच शीर्ष 10 राज्यों का तुलनात्मक विश्लेषण	28-29
	2.3 नये सूलमउ का पंजीकरण	29-34
3.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय और अन्य संबद्ध कार्यालय	35-97
	3.1 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	35-55
	3.2 प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी)	56-68
	3.3 कयर बोर्ड	69-83
	3.4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	84-89
	3.5 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)	90-94

	3.6 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)	94-97
4.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें**	98-132
5.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित कार्यकलाप**	133-145
	5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कार्यकलाप	133-139
	5.2 महिलाओं के कल्याण के लिए लक्षित कार्यकलाप	139-142
	5.3 दिव्यांगजनों के लिए कल्याण	142
	5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम	142-145
6	**सामान्य सांविधिक उत्तरदायित्व**	146-151
	6.1 राजभाषा	146-148
	6.2 सतर्कता	148-149
	6.3 नागरिक चार्टर	149-150
	6.4 सूचना का अधिकार	150
	6.5 यौन उत्पीड़न का निवारण	150
अनुबंध		**151-161**
1.	वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान योजना आबंटन एवं व्यय	151
2.	नोडल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची	152-153
3.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके सांविधिक निकायों के अधिकारियों के संपर्क पते	154
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान एवं शाखा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थानों की राज्य–वार सूची	155-158
5.	संकेताक्षर	159-161

एमएसएमई क्षेत्र की एक झलक

2019-20

एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करती हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 73वाँ दौर (2015–16) के अनुसार भारत के एमएसएमई क्षेत्र में 633.88 लाख ईकाईयां शामिल हैं।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 73वाँ दौर (2015–16) के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र ने देश में 11.10 करोड़ नौकरियां सृजित की हैं।

झलकियां

रोजगार

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

नई पहलें

कौशल विकास

सम्बद्ध संगठनों का कार्य–निष्पादन

क्रेडिट सहायता

एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार

विनिर्माण	360.41 लाख
व्यापार	387.18 लाख
अन्य सेवायें	362.29 लाख
कुल	1109.09 लाख

सूचना प्रौद्योगिकी पहलें

माय एमएसएमई

मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदनों को जमा और ट्रैक करने केलिए वेब आधारित अनुप्रयोग माड्यूल

एमएसएमई समाधान

विलम्बित भुगतान के मुद्दों के समाधान के लिए एमएसएमई को सशक्त करता है। http://samadhaan.msme.gov.in

उद्योग आधार ज्ञापन

स्व–प्रमाणन आधार पर एमएसएमई के पंजीकरण के लिए मोबाईल अनुकूल अनुप्रयोग

एमएसएमई सम्बंध

सीपीएसई/सरकारी विभागों द्वारा खरीद पर सूचना का प्रसार करता है। http://sambandh.msme.gov.in

क्रेडिट सहायता

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

32,227 सूक्ष्म ईकाईयों को 1,002.58 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सहायता प्रदान की गई

क्रेडिट सम्बद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)

454.16 करोड़ रु. की सब्सिडी संवितरित की गई

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट निधि (सीजीटीएमएसई)

4,07,209 एमएसई को 27192 करोड़ रु. की क्रेडिट गारंटी कवर अनुमोदित की गई

*सभी आंकड़े दिसम्बर, 2019 तक

कौशल विकास

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी स्कीम)

प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता हेतु स्कीम (एटीआई स्कीम)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

इन स्कीमों/संगठनों के अन्तर्गत 2,69,005 लोगों को प्रशिक्षित किया गया

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरि)

प्रौद्योगिकी केन्द्र

सम्बद्ध संगठनों का कार्य–निष्पादन
2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

- वर्ष के दौरान निगम ने 321.09 करोड़ रु. से अधिक का कुल व्यवसाय किया है
- वर्ष के दौरान 85.79 करोड़ रु. का कर पूर्व निवल लाभ प्राप्त किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

- वर्ष के दौरान खादी उत्पादों की बिक्री 2,833.71 करोड़ रु. थी
- वर्ष के दौरान ग्रामोद्योगों के उत्पादों की बिक्री 60,343.69 करोड़ रु. थी

कयर बोर्ड

- वर्ष के दौरान कयर निर्यात का मूल्य 2,100 करोड़ रु. था
- वर्ष के दौरान कयर उत्पादन 5,67,000 मीट्रिक टन दर्ज किया गया

नई पहलें

इस मंत्रालय के अन्तर्गत सभी स्कीमों और प्रमुख कार्यकलापों की वर्तमान स्थिति सहित एक डैशबोर्ड को जुलाई, 2019 के दौरान कार्यात्मक बनाया गया है और इसे http://dashboard.msme.gov.in पर देखा जा सकता है।

भूमिका

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके तथा बड़े रोजगार के अवसर सृजित करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समग्र औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रसार कर रहे हैं तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश के एमएसएमई क्षेत्र के कार्यनिष्पादन का विवरण अध्याय 2 में दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) विद्यमान उद्यमों को सहायता देने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा नये उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से खादी, ग्राम और कयर उद्योगों सहित क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास को संवर्धित कर प्रगामी एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है। इस मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुच्छेद 1.3.1 में दिया गया है जबकि मंत्रालय की हाल की पहलों का ब्योरा पैराग्राफ 1.4 में दिया गया है।

1.1.3 एमएसएमई मंत्रालय के तत्वावधान में अनेक सांविधिक और गैर–सांविधिक निकाय कार्य करते हैं। इनमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), एवं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के अलावा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कयर बोर्ड शामिल हैं। इन निकायों के अधिदेश और कार्य–निष्पादन का ब्यौरा अध्याय 3 में दिया गया है।

1.1.4 एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और उन्नयन, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा विपणन सहायता को बढ़ाने पर लक्षित विभिन्न स्कीम चलाता है। स्कीमों की विस्तृत सूची अध्याय 4 में दी गयी है।

1.1.5 मंत्रालय समावेशी विकास की कार्यसूची के प्रति प्रतिबद्ध है तथा मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं कि भौगोलिक के साथ–साथ जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति इसके कार्यों से लाभ ले सकें। ऐसी पहलों की जानकारी का सारांश अध्याय 5 में दिया गया है।

1.1.6 एमएसएमई मंत्रालय अपने अधीनस्थ सभी संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा ''हिंदी'' के प्रगामी प्रयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता, आरटीआई, यौन उत्पीड़न निवारण से संबंधित सतत् उपाय अध्याय 6 में देखे जा सकते हैं।

1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिदेश

1.2.1 9 मई, 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) बनाया गया था। मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए नीतियों को तैयार करता है और कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों को बढ़ावा सुविधा देता है तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करता है और उन्हें विकसित होने में सहायता करता है।

1.2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम वर्ष 2006 में अधिसूचित किया गया था ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दो के साथ–साथ इस क्षेत्र के लिए कवरेज और निवेश की सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड की भूमिका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और

विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा संवर्धन और विकास को सुसाध्य करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के संबंध में सिफारिश करना है।

- यह ''उद्यम'की संकल्पना, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों आते हैं, को मान्यता प्रदान करने के लिए विधिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। यह पहली बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है तथा इन उद्यमों को 3 स्तरों नामतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम रूप में एकीकृत करता है।
- यह केंद्र सरकार को एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाने तथा दिशानिर्देश व अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।

1.2.3 **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं:** सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

विनिर्माण क्षेत्र	
उद्यम श्रेणी	**संयंत्र व मशीनरी में निवेश**
सूक्ष्म उद्यम	पच्चीस लाख रुपये से अधिक नहीं
लघु उद्यम	पच्चीस लाख रुपये से अधिक लेकिन पांच करोड़ रुपये से कम
मध्यम उद्यम	पांच करोड़ रुपये से अधिक लेकिन दस करोड़ रुपये से कम
सेवा क्षेत्र	
उद्यम श्रेणी	**उपस्करों में निवेश**
सूक्ष्म उद्यम	दस लाख रुपये से कम
लघु उद्यम	दस लाख रुपये से अधिक लेकिन दो करोड़ रुपये से कम
मध्यम उद्यम	दो करोड़ रुपये से अधिक लेकिन पांच करोड़ रुपये से कम

1.2.4 एमएसएमई के संवर्धन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने में राज्यों के प्रयासों में सहायता करना है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

1.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ संगठनों के अलावा, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग, एकीकृत वित्त (आईएफ) स्कन्ध और डाटा एनालिटिक्स एंड टेक्नीकल को–ऑर्डिनेशन (डीएटीसी) विंग शामिल हैं।

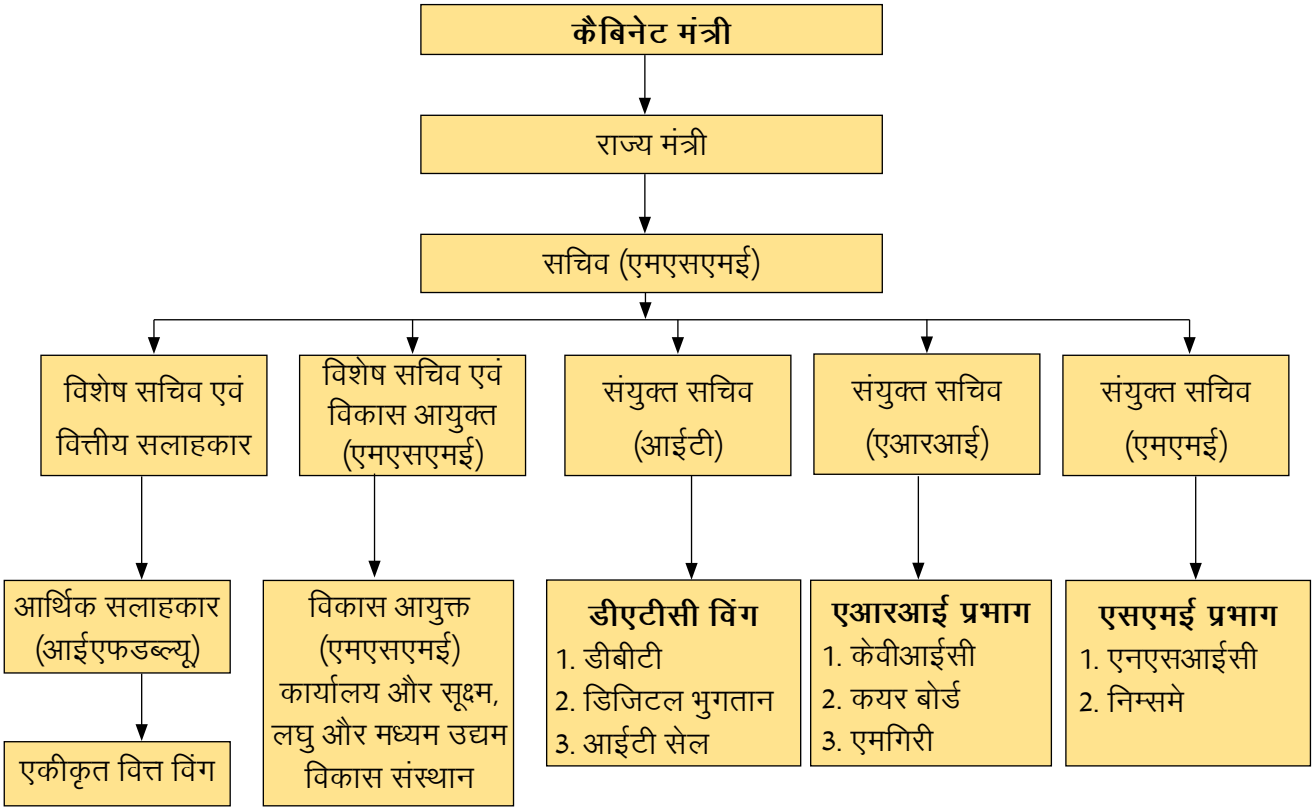

1.3.2 **एसएमई प्रभाग:** एसएमई प्रभाग को अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड–जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)–जो राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्तशासी उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण संगठन है, के प्रशासन, सतर्कता और प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य आबंटित है। यह प्रभाग अन्य के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता से संबंधित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा यह प्रभाग सीपीग्रामस के माध्यम से लोक शिकायत एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों से संबंधित दायित्व भी निभाता है। इसके अतिरक्त, एसएमई प्रभाग स्कीमों के संवर्धन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान की तैयारी संबंधी कार्य भी देखता है।

1.3.3 **एआरआई प्रभाग:** एआरआई प्रभाग दो सांविधिक निकायों–खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के प्रशासन का कार्य भी देखता है। यह प्रधानमंत्री

रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) तथा नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण करता है।

1.3.4 **आईएफ विंग:** आईएफडब्ल्यू मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है: (i) विभिन्न स्कीमों के तहत निधियों को जारी करने पर सहमति, (ii) 12वीं पंचवर्षीय योजना से आगे योजनाओं/नई स्कीमों को जारी रखने के लिए ईएफसी/एसएफसी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करता है और ईएफसी/एसएफसी बैठकों का आयोजन करता है। यह कार्यक्रमों विंग द्वारा मांगी गई वित्तीय विवक्षाओं वाले विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है। यह विंग समझौता ज्ञापन/अन्य समझौतों/संविदा, आदि के हस्ताक्षर करने से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है।

1.3.5 **डीएटीसी एवं डीबीटी प्रभाग:** यह स्कन्ध एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित आंकड़ें/सांख्यिकी का विश्लेषण करता है और यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए तकनीकी सूचनाएं (इनपुट) प्रदान करता है। एमएसएमई डाटाबेस के विकास और रखरखाव के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के साथ तकनीकी समन्वय, मंत्रालय की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीमों के लिए निदेशों का पूर्ण अनुपालन का समन्वय; मंत्रालय में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वयन और मंत्रालय की आईटी सेल का प्रबंध इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं।

1.3.6 विकास आयुक्त का कार्यालय

1.3.6.1 विकास आयुक्तालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अवसंरचना एवं सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और विभिन्न कार्यक्रम/स्कीम को कार्यान्वित करता है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा की जाती है। यह एमएसएमई विकास संस्थानों (डीआई), क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों, फुटवियर प्रशिक्षण संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों तथा विशेषज्ञ संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। यह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को तकनीकी–आर्थिक एवं प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और अवसंरचना के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना।
- आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।

1.3.7 **राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई):** सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्थापित किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करता है, विद्यमान नीतियों

एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करता है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को सिफारिश करता है।

1.4 हाल की पहलें

1.4.1 उद्योग आधार ज्ञापनः

एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एमएसएमई उद्यम प्रारंभ करने से पूर्व जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में उद्यमी ज्ञापन (भाग–I) फाइल करते हैं। परियोजना प्रारंभ होने के पश्चात् संबंधित उद्यमी ज्ञापन (भाग–II)/(ईएम–II) फाइल करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के अधिनियमन से पूर्व जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में औद्योगिक इकाइयों के पंजीकरण की प्रणाली थी। सितम्बर, 2015 से ईएम–II के स्थान पर उद्योग आधार ज्ञापन यूएएम को प्रतिस्थापित किया गया है। यूएएम स्व–घोषणा आधार पर एमएसएमई के लिए एक पृष्ठीय ऑनलाइन पंजीकरण पद्धति है। यह भारत में एमएसएमई के लिए आसानी से व्यवसाय करने को संवर्धित करने के लिए उल्लेखनीय कदम है क्योंकि यूएएम उद्यमी ज्ञापन (ईएम भाग I एवं II) की फाइलिंग को प्रतिस्थापित करता है। एमएसएमई क्षेत्र में एक सरल एक पृष्ठीय उद्यमियों को तत्क्षण विशिष्ट उद्योग आधार संख्या (यूएएम) प्राप्त करने के लिए एक सरल एक पृष्ठीय यूएएम http://udyogaadhaar-gov-in पर फाइल करना पड़ता है। इसमें मांगी गई सूचना स्व–घोषणा के आधार पर है और यूएएम के ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती है। 10.01.2017 और 30.06.2017 को संशोधन प्रावधान सहित नए विशेषताओं के समावेशन के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की गई। (31.01.2020 तक यूएएम के अंतर्गत 86.11 लाख से अधिक इकाइयों को पंजीकृत किया गया है।) यूएएम उद्यमों के मालिक की सामाजिक श्रेणी के संबंध में सूचना भी एकत्र करता है।

1.4.2 एमएसएमई के पुनरूज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क

एमएसएमई के खातों में दबाव के समाधान के लिए सरल तथा तेजी से काम करने वाला तंत्र प्रदान करने तथा एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास को सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17.3.2016 को बैंकों को दिशा–निर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बैंको ने एमएसएमई के पुनरूज्जीवन एवं पुनर्वास के लिए सुधारात्मक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए एक तंत्र बनाया है।

1.4.3 एमएसएमई डाटा बैंक

एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 29.07.2016 की राजपत्र अधिसूचना सं. 750 (अ) के तहत एमएसएमई विकास (सूचना प्रस्तुतिकरण नियम 2016) अधिसूचित किया। इसके द्वारा सभी एमएसएमई को केन्द्र सरकार को उसके द्वारा रखरखाव किये जाने वाले डाटा बैंक www.msmedatabank.in में अपने उद्यम से संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करनी है। इस डाटाबैंक से एमएसएमई मंत्रालय स्कीमों की मॉनीटरिंग और सुप्रवाही बनाने और लाभ सीधे एमएसएमई को हस्तांतरित करने में सक्षम हो सकेगा। यह इससे विभिन्न मानदंडों के तहत एमएसएमई की स्थिति के बारे में रियल टाइम सूचना भी उपलब्ध कराएगा। डाटा बैंक एमएसएमई इकाइयों के लिए मददगार है क्योंकि इससे वे अपने उद्यम से संबंधित सूचना जब और जहां आवश्यक हो किसी सरकारी कार्यालय में गए बिना अद्यतन कर सकते हैं और साथ ही अपने उत्पादों/सेवाओं से संबंधित सूचना भी अपडेट कर सकते हैं, जिसे सरकारी विभागों द्वारा भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के तहत खरीद करने के लिए एक्सेस किया जा सकता है। एमएसएमई डाटा बैंक के तहत इस अधिसूचना को जारी होने के समय से 1.61 लाख से अधिक इकाइयों को (31.01.2020 तक) पंजीकृत किया गया है।

1.4.4 माइ एमएसएमई

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय की विभिन्न स्कीमों का लाभ के लिए उद्यमों की सुविधा हेतु उनके कार्यालय ने 'माई एमएसएमई' नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन मॉड्यूल शुरु किया है। इसे मोबाइल ऐप के रूप में भी परिवर्तित किया गया है। उद्यमी अपने–अपने मोबाइल पर भी अपने एप्लीकेशनों को देख पायेंगे तथा उन्हें ट्रैक कर सकेंगे।

1.4.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी)

भारत सरकार की सभी कल्याणकारी और सब्सिडीयुक्त स्कीमों की डिलीवरी के सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार लाकर प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत लाया गया है। इसका उद्देश्य निधियों का सरल और सहज प्रवाह सुनिश्चित करना, लाभार्थियों के सही लक्ष्य सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति को दूर करना और जालसाजी को समाप्त करना है। डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में डीबीटी मिशन नोडल बिन्दु के रूप में डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

लाभार्थियों के भिन्न–भिन्न प्रकार के लाभ अर्थात् नकद अथवा मिश्रित (अर्थात् नकद एवं अन्य रूप में) के आधार पर स्कीमों को श्रेणीवार बांटा गया है। नीचे दी गई तालिका में लाभ के प्रकार, लाभार्थियों की संख्या और कुल अंतरित निधियाँ/वहन किए गए व्यय के साथ मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों को दर्शाया गया है:

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभ के प्रकार	लाभार्थियों की कुल सं. (2019–20) (31.12.2019 तक)	कुल व्यय (रु. करोड़ में) (2019–20) (31.12.2019 तक)
1	एटीआई स्कीम (प्रशिक्षण घटक)	अन्य रूप में	2184	7.99
2	खादी संस्थानों को एमपीडीए अनुदान	नकद	155856	214.99
3	कयर विकास योजना	नकद	2748	1.70
4	स्फूर्ति–एसआई	अन्य रूप में	1.94	0.01
5	पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	नकद	32227	1002.58
6	क्रेडिट गारंटी स्कीम	नकद	415000	27192
7	राष्ट्रीय पुरस्कार	नकद	-	-
8	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	अन्य रूप में	37250	33.70
9	जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट (ज़ेड)	नकद और अन्य रूप में	411	3.44
10	एमएसएमई के माध्यम से प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता – टीईक्यूयूपी	नकद	1188	89.94
11	प्रापण एवं विपणन सहायता स्कीम	नकद	963	3.93

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभ के प्रकार	लाभार्थियों की कुल सं. (2019–20) (31.12.2019 तक)	कुल व्यय (रु. करोड़ में) (2019–20) (31.12.2019 तक)
12	क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना सीएलसीएसएस	नकद	-	454.16
13	एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आईपीआर निर्माण जागरूकता	नकद	-	-
14	एमएसएमई के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना	अन्य रूप में	-	-
15	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लिनिक योजना	नकद	-	-
16	इनक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई के उद्यमीय और प्रबंधकीय विकास के लिए इंक्यूबेशन केंद्र सहायता	अन्य रूप में	-	-
17	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	नकद	-	-
18	राष्ट्रीय अ.जा./अ.ज.जा. हब	नकद और अन्य रूप में	-	-

** हाल ही में शामिल की गई नई स्कीम*

*** हाल ही में स्कीमों में सुधार किया गया*

1.4.6 डिजिटल भुगतान

1.4.6.1 भारत सरकार कैशलैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सुविधाजनक तरीके से भारत के सभी नागरिकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक फोल्ड के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका विजन, भारत के सभी नागरिकों को सहज, आसान, सस्ती, त्वरित और सुरक्षित तरीके से सहज डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है।

1.4.6.2 पहल में भागीदार के रूप में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संपूर्ण एमएसएमई पारिस्थितिकी को पूरी तरह डिजिटल समर्थ करने के लिए कई पहलें की हैं। सचिवों की समिति (सीओएस) की सिफारिशों और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों को डिजिधन मिशन के सफल कार्यान्वयन को पूरा कराने के लिए सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में डिजिटल भुगतान से संबंधित एक समिति गठित की गई है।

- अपने सभी संबद्ध कार्यालयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सभी कार्यालय डिजिटल रूप से सक्षम किए गए हैं।

- उद्योग आधार ज्ञापन के तहत पंजीकृत एमएसएमई के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे भीम, यूपीआई और भारत क्यूआर कोड के भिन्न–भिन्न रूपों की सरलता और लाभों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं।
- मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों (केवीआईसी, कयर बोर्ड, एनएसआईसी, एमगिरी, निम्समे और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके सभी संबद्ध कार्यालयों द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त डिजिटल लेनदेनों के मूल्य के संदर्भ में डिजिटल लेनदेनों के 86.51 प्रतिशत से बढ़कर 91.62 प्रतिशत हो गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डिजिटल इंडिया अवार्ड में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को एमएसएमई के सभी क्षेत्रों के लिए डिजिटल मंचों को समर्थ करने के लिए प्लेटिनम आईकॉन अवार्ड (प्रथम पुरस्कार) मिला।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए डिजिटल लेनदेन (2019–20)							
क्र. सं.	संगठन का नाम	लेनदेनों की संख्या					
		कुल		डिजि टल साधनों द्वारा		प्रतिशत	
		लेनदेनों की संख्या	रुपयों में मूल्य (करोड़ में)	लेनदेनों की संख्या	रुपयों में मूल्य (करोड़ में)	डिजिटल लेनदेनों की संख्या (प्रतिशत में)	डिजिटल लेनदेनों का मूल्य (प्रतिशत में)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	केवीआईसी	4690036	4955.58	3964381	4877.30	**84.53%**	**98.42%**
2	एनएसआईसी	134815	15356.78	122329	14235.48	**90.74%**	**92.70%**
3	विकास आयुक्त कार्यालय (टूल रूम + डीआई कार्यालय + मुख्यालय)	103842	1066.71	85675	956.29	**82.51%**	**89.65%**
4	कयर बोर्ड	22983	236.48	19071	230.42	**82.98%**	**97.44%**
5	निम्समे	4803	31.98	4245	26.18	**88.38%**	**81.86%**
6	एमगिरी	1390	14.63	1250	13.38	**89.92%**	**91.46%**
	कुल	**4957869**	**21662.16**	**4196951**	**20339.05**	**86.51**	**91.92**

1.4.7 शिकायत मॉनीटरिंग

मंत्रालय केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्रामस) सभी शिकायतों को पर देखता है तथा सीपीग्रामस पर लंबित शिकायतों की संख्या 31.12.2019 तक 303 थी। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य

शिकायतों और सुझावों को ट्रैक करने और मॉनीटरिंग के लिए एक एमएसएमई इंटरनेट शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली (ईसमाधान) शुरू की है।

1.4.8 एमएसएमई समाधानः एमएसई को विलंबित भुगतान का समाधान करनाः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धाराएं 15–24 एमएसई आपूर्तिकर्ता को खरीदारों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को देखती हैं। यदि भुगतान करने में 45 दिनों से अधिक की देरी होती है तो एमएसई आपूर्तिकर्ता सभी राज्यों/संघ राज्य राज्यों में अधिनियम के तहत गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं। एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत, आपूर्तिकर्ता इकाइयों को विलंबित भुगतान पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर की तीन गुना मासिक ब्याज के साथ दिया जाता है।

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2017 को एक पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/) शुरु किया। यह पोर्टल सीपीएसई/ केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि तथा अन्य खरीददारों के पास एमएसई के लंबित भुगतान की जानकारी देता है । केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठनों के संबंध में विलंबित भुगतान के मामलों की मॉनीटरिंग करने के लिए लॉग इन करने हेतु उपयोगकर्ता–आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं । यह पोर्टल एमएसई को विलंबित भुगतान से संबंधित अपनी शिकायतों को ऑनलाइन फाइल करने में भी मदद करता है। किसी भी मामले के ऑनलाइन फाइल होने के 15 दिनों के पश्चात यह स्वतः संबंधित एमएसईएफसी में पंजीकृत हो जाता है।

पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद एवं ओडिशा जैसे राज्यों के पास एक से अधिक एमएसईएफसी है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की विलम्बित भुगतान से संबंधित नियमों और विनियमों से परिचित करवाने और लम्बित भुगतान का जो मामले देख रहे हैं। उन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एमएसईएफसी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का राष्ट्रीय संस्थान (निम्समे), हैदराबाद को एमएसएमई मंत्रालय निधि प्रदान करता है।

30 अक्तूबर, 2017 को एमएसएमई समाधान पोर्टल के प्रारंभ होने की तारीख से एमएसई ने विलंबित भुगतान से संबंधित 32483 आवेदन फाइल किए हैं। ये मामले 8505.19 करोड़ रु. की राशि के हैं। इस पोर्टल ने विक्रेता और क्रेता के बीच विलम्बित भुगतान के मामलों के पारस्परिक सहमति से निपटवाने में भी सहायता की है। 2891 पारस्परिक मामले निपटाये गए जिनमें 348.90 करोड़ रु. की राशि शामिल थी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3129.64 करोड़ रु. की राशि सहित 9033 आवेदनों को केस (मामलों) में बदला गया है तथा दिनांक 31.12.2019 तक 573.37 रू. की राशि सहित एमएसईएफसी द्वारा 2347 मामलों को निपटाया गया है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विलम्बित भुगतान संबंधी उनके मामलों को सीधे फाइल करने का अधिकार मिला है। इसकी मॉनीटरिंग संबंधित मंत्रालयों/सीपीएसई और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है।

1.4.9. एमएसएमई–संबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति अधिसूचित की है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अ.जा./अ.ज.जा.

के उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों से 4% खरीद सहित एमएसई से वार्षिक खरीद का 20% अनिवार्य किया गया है।

इस नीति को दिनांक 9 नवम्बर, 2018 की राजपत्र अधिसूचना सं. का. आ. 5670 (अ.) के द्वारा हाल ही में संशोधित किया गया है। संशोधित नीति अब केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य करती है जिसमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% तथा महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से 3% शामिल है।

नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग के लिए मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2017 को 'एमएसएमई संबंध नामक लोक प्रापण पोर्टल शुरू किया। यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा खरीद की मॉनीटरिंग में सहायता करेगा तथा उन्हें एमएसई से उत्पादों/सेवाओं की अपेक्षित सूची साझा करने में सक्षम बनाएगा।

पोर्टल की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) को पोर्टल पर प्रमाणित पहुँच प्रदान की गई है।
- पोर्टल पर सीपीएसई की खरीददारी को अपलोड किया जाएगा और यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगा।
- एमएसई से सीपीएसई द्वारा खरीद का मासिक अद्यतन।
- अ.जा./अ.ज.जा. और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से सीपीएसई द्वारा खरीद का मासिक अद्यतन।
- मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई के प्रमुख द्वारा मॉनीटरिंग के लिए रिपोर्ट
- सीपीएसई द्वारा खरीदी गई वस्तुएं–संबंध पोर्टल से सीपीएसई वेब पेज के लिए हाइपरलिंक पब्लिक डोमेन में उपलब्ध रहेगा।
- 115 सीपीएसई ने वर्ष 2019–20 (01 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार) अपलोड कर दिया है। इन सीपीएसई ने 91754.56 करोड़ रु. के खरीद की जानकारी दी है। सभी एमएसई से खरीद का हिस्सा 26545.81 करोड़ रु. का है (104766 एमएसई लाभान्वित हुए)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 425.91 करोड़ रु. की खरीद होने की सूचना है। (4152 एमएसई लाभान्वित हुए)। महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद की राशि 228.37 करोड़ रु. है (2258 एमएसई लाभान्वित हुए)।

1.4.10 एमएसएमई संपर्क

नामक रोजगार पोर्टल का दिनांक 27.06.2018 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा शुभारंभ किया गया है। यह पोर्टल एक डिजिटल मंच है जिस पर रोजगार चाहने वाले (अर्थात् एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों से उत्तीर्ण प्रशिक्षु/छात्र) तथा भर्तीकर्ता परस्पर लाभदायक संवाद के लिए स्वयं का पंजीकरण करा सकते हैं। 31.12.2019 की स्थिति

के अनुसार भर्तीकर्ताओं द्वारा डाली गई रिक्तियों के स्थान पर संपर्क पोर्टल पर कुल 53,295 उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं ने (रोजगार चाहने वाले एवं 5,397 भर्तीकर्ता (रोजगार प्रदाता) ने पंजीकरण कराया है। 15,935 संक्षिप्त ब्योरे (रिज्यूम) को भर्तीकर्ताओं के साथ साझा किया गया है और 2,538 रोजगार दिए गए हैं।

1.4.11 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण का पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम)

1.4.11.1 देश में उद्योग के विकास हेतु सही प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने प्रयास में विभिन्न उभरते हुए तथा परंपरागत क्षेत्रों में उद्यमों के विभिन्न खंडों में कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए एक सशक्त कौशल पारिस्थितिक प्रणाली विकसित की है।

मंत्रालय मौजूदा एवं भावी उद्यमियों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। ये पाठ्यक्रम उद्यम की मांग के अनुसार एमएसएमई पारिस्थितिकी प्रणाली के बदलते परिदृश्य तथा भारत में वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप एमएसएमई क्षेत्र में कुशल कार्यबल के अपेक्षित अंतराल को भरने के रास्ते के अनुरूप हैं।

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) तथा एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) संस्थानों को एक नेटवर्क द्वारा संचालित किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता विद्यालय छोड़ने से लेकर एम. टेक स्तर की रेंज में है। इन संस्थानों द्वारा विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम अर्थात् प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग तथा कयर क्षेत्र के परंपरागत क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ), कौशल विकास एवं उद्यमिता (एमएसडीई) मंत्रालय के साथ उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अनुरूप बनाने हेतु पहल की है। मंत्रालय के कौशल प्रशिक्षणों की कौशल इण्डिय मिशन कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, कौशल इण्डिया पोर्टल के साथ एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की कौशल विकास प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल (एसडीएमआईएस पोर्टल) के एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है।

1.4.11.2 कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति

मंत्रालय के अधीन संगठन युवाओं को मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसमें व मौजूदा उद्यमियों और कार्यबल को उनके कार्यनिष्पादन बढ़ाने हेतु कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। ये प्रशिक्षण विभिन्न स्कीमों जैसे एमएसएमई टीसी, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई), राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, क्षमता–निर्माण, कयर विकास योजना–कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना, इत्यादि के अधीन प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा उद्योग अपेक्षाओं अनुसार ग्राहक अनुकूल मांग आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

वर्ष 2014–15 से लेकर 2018–19 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति निम्न तालिका में दी गई है।

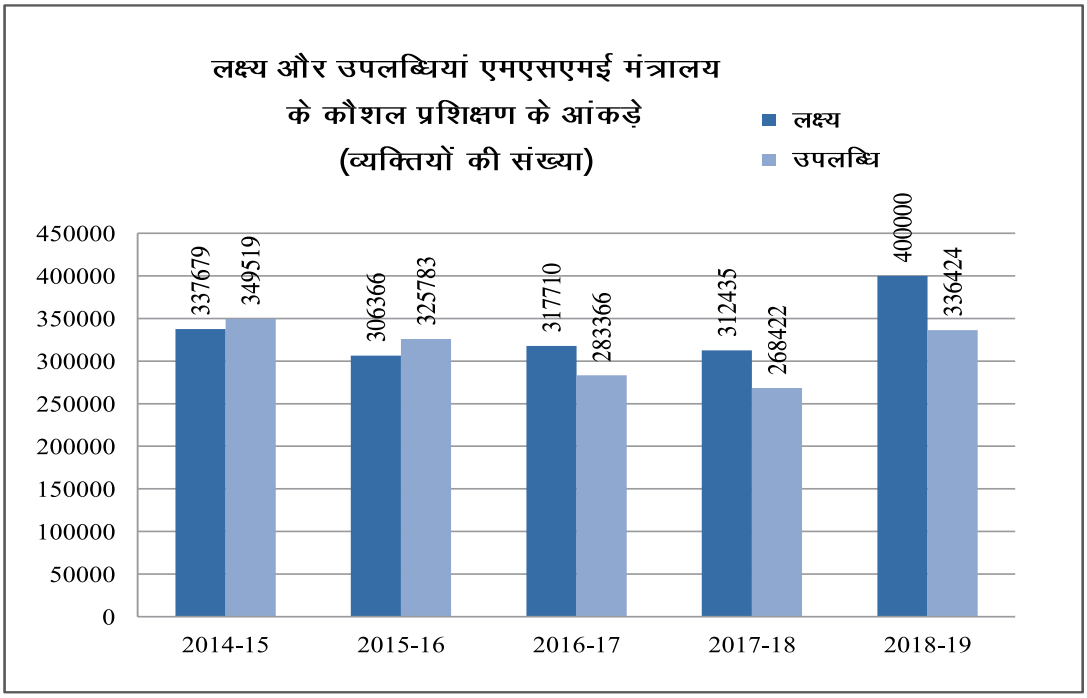

- वर्ष 2019–2020 में दिनांक 31.12.2019 तक कुल 2,69,005 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है।
- वर्ष 2019–20 में 4,00,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य है।

1.4.11.3 चुनौतियां और आगे के रास्ते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के पास स्थानीय रूप में देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान प्रदान करके राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को मजबूत बनाने की संभावना है। इससे आर्थिक असंतुलन के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानताओं में आगे कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त, यह एमएसएमई क्षेत्र में सतत् विकास के समावेशी पैटर्न में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा जो महानगरों में जनसंख्या भार को कम करेगा।

तथापि, विभिन्न क्षेत्रों में क्षैतिज और लम्बवत फैले एमएसएमई की विभिन्न कौशल अपेक्षाओं को पूरा करना एक चुनौती है। मंत्रालय देश की लम्बाई और चौड़ाई में फैले अपने प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हाईस्कूल छोड़ने से लेकर एम.टेक स्तर तक चरखे से लेकर मेकाट्रॉनिक्स क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

1.4.12 उद्योगों के साथ साझेदारी

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मरम्मत और रखरखाव में युवाओं की कुशलता पर हस्ताक्षर करने के लिए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अलावा, ईआरपीएसएपी बिजनेस वन मॉड्यूल में युवाओं को कुशल बनाने के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) ने एसएपी इंडिया के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये कौशल विकास कार्यक्रम एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

1.4.13 अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन

एनएसआईसी ने एसएमई कॉर्प मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरः दो देशों के बीच एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए एसएमई कोर्प मलेशिया और एनएसआईसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एनएसआईसी ने एसबीसी, दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरः भारत और दक्षिण कोरिया के एमएसएमई के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एनएसआईसी ने दक्षिण कोरिया के लघु और मध्यम व्यवसाय निगम (एससीबी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

एनएसआईसी में इण्डिया–कोरिया प्रौद्योगिकी विनियम (एक्सचेंज) केन्द्र स्थापित कियाः एनएसआईसी के तकनीकी केन्द्र, नई दिल्ली में दिनांक 10 जुलाई 2018 को श्री जोंग हॉक हॉग, माननीय एसएमई तथा स्टार्टअप मंत्री, दक्षिण कोरिया सरकार तथा एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार के तत्कालीन माननीय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गिरिराज सिंह द्वारा भारत कोरिया प्रौद्योगिकी विनियम केन्द्र (आईकेटीईसी) का उद्घाटन किया गया। आईकेटीईसी उनके अनुपूरक क्षमताओं के निर्माण और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए भारतीय एमएसएमई और दक्षिण कोरियन उद्यमों के साथ गठबंधन में सहायता करेगा।

एनएसआईसी ने मारोक–पीएमई, मोरक्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरः एनएसआईसी ने दोनों देशों के बीच एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए मारोक पीएमई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश क्षमता–निर्माण, व्यवसायों की हिस्सेदारी, बी2बी व्यवसाय संगठन प्रतिनिधिमंडल इत्यादि में एक साथ कार्य करेंगे।

एनएसआईसी ने आरएसएमबी के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरः एनएसआईसी ने दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए आरएसएमबी, रूस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। माननीय रूस के राष्ट्रपति श्री विलादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एनएसआईसी और आरएसएमबी रूस दोनों देश एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए अनुभव साझा करेगें और सहयोग करेंगे तथा दोनों के बीच लिंकेज भी बनाएंगे।

सचिव, एमएसएमई, श्री अरूण कुमार पण्डा दिनांक 28, जून, 2019 को अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2019 में समझौता ज्ञापन के आदान–प्रदान (एक्सचेंज) के प्रत्यक्षदर्शी।

1.4.14 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा

1.4.14.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 16 से 30 जून, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा दिनांक 26 जून, 2019 को दिल्ली में कुतुबगढ़ गांव में आयोजित किए गए स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए श्री नितिन गडकरी, केन्द्रीय मंत्री, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम । सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी, सचिव, एमएसएमई, श्री अरूण कुमार पण्डा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हैं।

1.4.14.2 स्वच्छता पखवाड़े के दौरान, मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ संगठनों अर्थात् केवीआईसी, एनएसआईसी, कयर बोर्ड, निम्समे, एमगिरी एवं एमएसएमई–डीआई ने अनुरक्षण के लिए सरकारी विद्यालयों में शौचालयों का अभिग्रहण, वर्षा जल संचयन, कूड़े को खाद में बदलने के लिए कूड़ा गडढे का निर्माण आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप किए। केवीआईसी ने दिल्ली में जगतपुरा गाँव को आदर्श स्वच्छ ग्राम बनाने के लिए एक वर्ष के लिए गोद लिया। कयर बोर्ड ने वतुरूती मलिन बस्ती, कोच्चि को अनुरक्षण एवं स्वचछ्ता के लिए गोद लिया है और मलिन बस्तियों में शौचालयों का नवीकरण भी किया। स्वच्छता अभियान देश भर के गाँवों, मलिन बस्तियों, बाजारों, नदियों, रेलवे स्टेशनों, सार्वजनिक शौचालयों एवं रिहायशी कालोनियों में चलाए गए। इसके अलावा, स्वच्छता संबंधी नये एवं नवप्रवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता अभियान एवं संगोष्ठियां की गई। विद्यालय के छात्रों को वृक्षारोपण, पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध एवं नारा लेखन प्रतियोगिता आदि जैसे कार्यकलापों में भी शामिल किया गया।

1.4.15 **माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़** करने के लिए दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को एमएसएमई की सहायता एवं दायरा कार्यक्रम में 12 मुख्य घोषणाएं कीं। इन 12 मुख्य घोषणाओं का उद्देश्य ऋण तक पहुँच, बाजार तक पहुँच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आसान व्यवसाय संचालन, एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि जैसे एमएसएमई के समक्ष आई विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है। 12 मुख्य घोषणाएं निम्नलिखित हैं।

i. एमएसएमई के लिए ऋण तक आसान पहुँच को समर्थ करने के लिए 59 मिनट ऋण पोर्टल की शुरूआत। जीएसटी पोर्टल से जुड़े पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ रु. तक ऋणों का सैद्धांतिक अनुमोदन।

ii. नये या अतिरिक्त ऋणों पर सभी पंजीकृत एमएसएमई को 2 प्रतिशत ब्याज सहायता तथा निर्यातकों जो शिपमेंट पूर्व एवं शिपमेंट पश्चात् की अवधि में ऋण लेते हैं, को 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक ब्याज छूट में वृद्धि।

iii. आगामी प्राप्य आधार पर उद्यमियों को ऋण तक पहुँच समर्थ करने के लिए व्यापार प्राप्य ई–डिसकाउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) पर अनिवार्यतः लाई जाने वाली 500 करोड़ रु. से अधिक कारोबार वाली कंपनियां।

iv. एमएसई से 20 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत अनिवार्य प्रापण करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयां।

v. 25 प्रतिशत अनिवार्य प्रापण में से महिला उद्यमियों से 3 प्रतिशत अनिवार्य प्रापण करने वाले सीपीएसयू।

vi. लोक प्रापण पोर्टल गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस (जेम) का अनिवार्यतः हिस्सा बनने वाले सीपीएसयू। जेम पोर्टल पर पंजीकृत अपने विक्रेताओं को पंजीकृत करवाने वाले सीपीएसयू।

vii. 6000 करोड़ रु. की निधि आबंटन से देश भर में स्थापित किए जाने वाले प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए टूल रूम के रूप में 20 हब एवं 100 स्पोक्स।

viii. भारत सरकार की 70 प्रतिशत वित्तीय सहायता से सृजित किए जाने वाले फार्मा एमएसएमई के लिए क्लस्टर।

ix. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए 8 श्रम कानूनों एवं 10 संघ विनियमों के लिए दायर किए जाने के लिए मात्र एक वार्षिक विवरणी।

x. सरकारी प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए निरीक्षकों द्वारा फर्मों की विजिट के लिए कंप्यूटरीकृत रैंडम आबंटन।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी दिनांक 26 सितम्बर, 2019 को 'एमएसएमई की उभरती प्रौद्योगिकियों की पहुँच' पर सेमिनार में दीप प्रज्जवलित करते सचिव, ***एमएसएमई श्री अरूण कुमार पण्डा भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।***

xi. एकल सहमति में शामिल किए जाने के लिए वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण कानूनों के अंतर्गत इकाई स्थापित करने के लिए पर्यावरण क्लियरेंस एवं सहमति। स्व–घोषणा के आधार पर स्वीकार की जाने वाली विवरणी।

xii. न्यायालय जाने के बजाय साधारण प्रक्रियाओं के माध्यम से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत छोटे उल्लंघन को सुधारने के लिए उद्यमियों को समर्थ करने हेतु अध्यादेश लागू किया गया है।

1.4.15.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 12 मुख्य घोषणाओं की स्थिति (31.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

i.
- 60,173 करोड़ रु. की राशि सहित 1,87,329 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- 45,780 करोड़ रु. सहित कुल 1,67,131 ऋणों का संवितरण किया गया है।

ii. (क)
- सिडबी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। प्रचालन दिशानिर्देश ज़ारी किए गए।
- इस आदेश के प्रचालन के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को लिखा है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 21.02.2019 को इस संबंध में आवश्यक परिपत्र ज़ारी किया है।
- सिडबी के कार्पस के लिए बज़ट ज़ारी किया गया है। कुल 975 करोड़ रु. के कार्पस में से अब तक दावों के निपटान के लिए सिडबी को 625 करोड़ रु. की राशि ज़ारी की गई है।
- सिडबी ने 57 बैंकों/ नॉन बैंकिंग संस्थाओं से 442.03 करोड़ रु. प्राप्त किए हैं और दावों का निपटान किया है।

ii. (ख)
- भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 29.11.2018 को प्रचालन दिशानिर्देश ज़ारी किए हैं जो रुपये के निर्यात क्रेडिट के पूर्व एवं पश्चात शिपमेंट पर ब्याज इक्वलाईज़ेशन स्कीम (आईईएस) के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के विनिर्माताओं द्वारा निर्यात के संबंध में 3% से 5% तक की ब्याज इक्वलाईज़ेशन वृद्धि से संबंधित है।
- तत्पश्चात दिनांक 02.01.2019 से, व्यापारी निर्यातकों को इस स्कीम के अंतर्गत चिन्हित 416 टैक्स टैरिफ लाईन के लिए 3% ब्याज इक्वलाईज़ेशन दर में शामिल किया गया है।
- डीजीएफटी ने इस संबंध में सविस्तार स्थिति स्पष्ट करते हुए दिनांक 1.02.2019 को ट्रेड नोटिस संख्या 45 ज़ारी की है।
- ब्याज इक्वलाईज़ेशन स्कीम के लिए बजट अनुमान 2019–20 के अंतर्गत 2500 करोड. रु. की राशि आबंटित की गई है।
- 2500 करोड़ रु. में से भारतीय रिजर्व बैंक को 2426.41 करोड़ रु. (लगभग) ज़ारी किए गए हैं।

iii. (क)
- राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा चिन्हित एक सूची के अनुसार 2009 कंपनियों का कारोबार 500 करोड़ रु. से अधिक का था। टीआरईडीएस पर पंजीकृत कंपनियां और केंद्र सरकार की ऐसी कंपनियां (सूक्ष्म, लघु और

मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ज़ारी दिनांक 02.11.2018 की अधिसूचना संख्या. एस.ओ 5621 (ई) के अनुसार इनके लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के अनुपालन की मॉनिटरिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा) को फिल्टर करने के बाद, 1881 कंपनियों (जिनका कारोबार 500 करोड़ से अधिक है और जो न तो टीआरईडीएस पर पंजीकृत हैं और न ही ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं) ने अनुपालन नहीं किया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुपालन नहीं करने वाली 1881 कंपनियां को कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है, अब तक 812 कंपनियों ने टीआरईडीएस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लिया है।

- 500 करोड़ रु. और इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों की बैठक बुलाने और इनके टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर ऐसी कंपनियों को बोर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए आरडीएस/आरओसीएस को पत्र ज़ारी कर दिया गया है।

iii. (ख)
- डीपीई ने टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर सीपीएसई की बोर्डिंग करने के लिए सभी सीपीएसई से पत्राचार किया है।
- 157 सीपीएसई पहले से ही टीआरईडीएस पोर्टल पर बोर्डिंग हैं।
- पंजीकृत सीपीएसई की 2048 एमएसएमई हैं।

iv.
- राजपत्रित अधिसूचना जारी की गई।
- इस बारे में सभी सीपीएसई/विभागों/मंत्रालयों को सूचना दी गई।
- वर्ष 2019–20 के दौरान अब तक, सीपीएसयू ने 104,364 सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 26,511.49 करोड़ रु. मूल्य की माल एवं सेवाएं खरीदी हैं जो कुल खरीद का 28-92% है।

v.
- वर्ष 2019–20 के दौरान अब तक, सीपीएसयू ने 2243 महिला सूक्ष्म और लघु उद्यमों से 228.09 करोड़ रु. की राशि का माल एवं सेवाएं खरीदी हैं जो कुल खरीद का 0.25% है।

vi.
- दिनांक 02.11.2018 के बाद जीईएम पोर्टल पर 265 सीपीएसयू/सीपीएसबी को बोर्ड/पंजीकृत किया गया है।
- कुल 70,254 सूक्ष्म और लघु उद्यम विक्रेता और सेवा प्रदाता जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत किए।
- जीईएम पोर्टल पर आर्डर मूल्य के 52.42% राशि सूक्ष्म और लघु उद्यम से प्राप्त होते हैं।

vii.
- प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) और विस्तार केंद्रों (ईसी) के लिए मॉडल डीपीआर विकसित किए गए।
- प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए 12 स्थलों को अंतिम रूप और अनुमोदन दिया गया।
- राज्यों ने भूमि/भवनों हेतु अनुरोध किया।

- 20 विस्तार केंद्रों के लिए डीपीआर का अनुमोदन किया।
- ₹ 17 विस्तार केंद्रों के लिए 99.30 करोड़ रु. ज़ारी किए गए हैं।

viii.
- चार जिलों अर्थात् सोलन (बद्दी), इंदौर, औरंगाबाद और पुणे जिनमें बड़ी तादाद में दवा उद्योगों मौजूद हैं, में साझा सुविधाओं के विकास के लिए दवा क्लस्टरों की सहायता हेतु चयनित किया गया है।
- चार जिलों अर्थात औरंगाबाद, इंदौर, पुणे और सोलन (बद्दी) से प्रस्ताव प्राप्त किए गए।
- दिनांक 31.01.2019 को पुणे से प्रस्ताव के लिए सिद्धांतः अनुमोदन प्रदान किया गया।

ix.
- मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के संबंध में सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को अपने क्षेत्र के नियोक्ताओं से संपर्क करने का परामर्श दिया गया ताकि 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के अंतर्गत श्रम सुविधा पोर्टल पर ऑनलाईन एकीकृत वार्षिक रिटर्न फाईलिंग की सुविधा के बारे में इन्हें जागरुक किया जा सके।
- वर्ष 2018 के लिए 40352 एकीकृत वार्षिक रिटर्न प्राप्त किया गया।

x.
- सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को भी निर्देश दिया गया है कि वे श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से जोखिम आधारित कम्प्यूटराईज्ड रैंडम आबंटन प्रणाली का अनुसरण कर निरीक्षणों को पारदर्शी और जवाबदेय बनाएं। निर्देशों के ज़ारी होने के बाद 15705* स्थापनाओं (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापनाओं के लिए शामिल) का कम्प्यूटराईज्ड रैंडम आबंटन प्रणाली द्वारा निरीक्षण किया गया है और सभी निरीक्षण रिपोर्टों को श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया गया है जिसमें से 48 घंटों के भीतर 15047* रिपोर्टें अपलोड की गई हैं। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों और क्षेत्रीय अधिकारियों को 48 घंटों के भीतर अपलोड की गई निरीक्षण रिपोर्टों को विडियों कॉनफ्रेंस/संचार के अन्य चैनलों द्वारा नियमित रूप से सुग्राही बनाया जा रहा है।

  *आंकड़े 1 अप्रैल, 2019 से 26.11.2019 की अवधि के लिए हैं।

xi.
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने निदेश ज़ारी किए हैं, जो दिनांक 2 नवंबर, 2018 को वायु एवं जल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों से ईसी और सीटीई की एक चरण वाली प्रक्रिया पहले से ही हैं। तथापि, उक्त निदेशों के प्रचालन पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई। वर्तमान में उक्त मामला न्यायाधीन है।

xii.
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को अधिनियम लागू किया गया है और अब यह कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 बन गयी है।
- एमसीए ने क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए पत्र लिखे हैं।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दी गई सूचना अनुसार, अब तक दो कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जो अध्यादेश/संशोधन अधिनियम के अनुसार न्यायालय में मुकदमा दायर करने की बजाय शास्तियां लगाने के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की श्रेणी में आती हैं।

एमएसएमई क्षेत्र का कार्यनिष्पादन और विहंगावलोकन

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य परिणाम

2.1.1 देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अनुमानित संख्याः

2.1.1.1 भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अन्य बातों के साथ–साथ बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूँजी लागत पर रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध कराकर तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन कम करके, राष्ट्रीय आय एवं धन का अधिक समान वितरण सुनिश्चित कर अहम भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान आयोजित राष्ट्रीय सैंपल सर्वे (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, देश में 633.88 लाख असमाविष्ट गैर कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे थे (196.65 लाख विनिर्माण में, 0.03 लाख नॉन–कैप्टिव बिजली उत्पादन व संचरण में, 230.35 लाख व्यापार में और 206.85 लाख अन्य सेवाओं में) फैक्टरी अधिनियम, 1948 की(क) धारा 2 एम (प) और 2 एम (पप), (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 और (ग) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 की धारा एफ के तहत आने वाले निर्माण कार्यकलापों, के तहत पंजीकृत एमएसएमई को इससे अलग रखा गया है। तालिका 2.1 और चित्र 2.1 एमएसएमई के कार्यकलाप वार वितरण दर्शाते हैं।

तालिका संख्या 2.2: एमएसएमई की अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार)

कार्यकलाप श्रेणी	उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	114.14	82.50	**196.65**	**31**
इलेक्ट्रिसिटी*	0.03	0.01	**0.03**	**-**
ट्रेड	108.71	121.64	**230.35**	**36**
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	**206.85**	**33**
सभी	**324.88**	**309.00**	**633.88**	**100**

**नॉन–कैप्टिव बिजली उत्पादन एवं संचरण*

चित्र 2.1: अनुमानित एमएसएमई का वितरण (कार्यकलापवार प्रकृति)

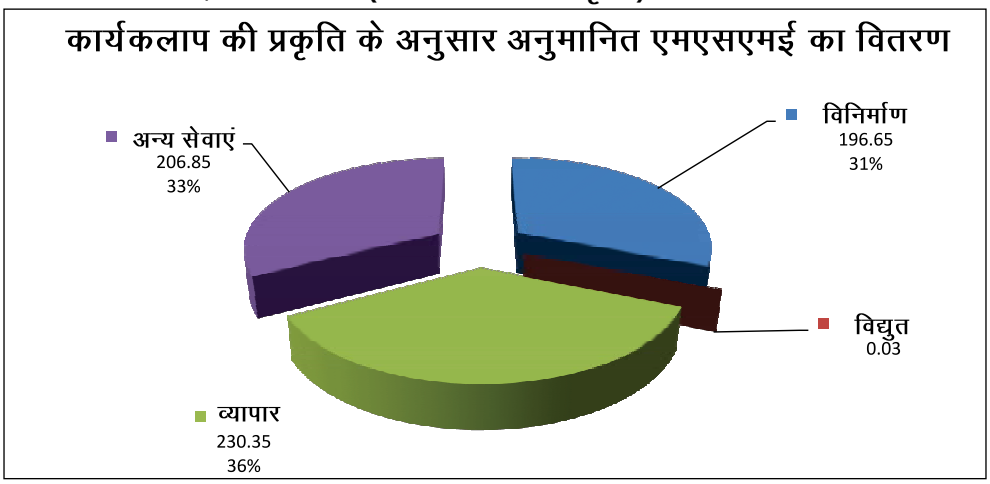

**गैर कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण*

2.1.1.2 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों वाले सूक्ष्म क्षेत्र में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या 99 फीसदी से अधिक है। 3.31 लाख वाले लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई वाले मध्यम क्षेत्र कुल अनुमानित एमएसएमई का क्रमशः 0.52 और 0.01 हिस्सा है। एमएसएमई की अनुमानित संख्या 633.38 में से 324.88 लाख एमएसएमई (51-25%) ग्रामीण क्षेत्रों में हैं तथा 309 लाख एमएसएमई (48.75%) शहरी क्षेत्रों में हैं। तालिका 2.2 तथा चित्र 2.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण को दर्शाते हैं। एमएसएमई की राज्य–वार अनुमानित संख्या भी अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है।

तालिका 2.2: श्रेणी–वार उद्यमों का वितरण **(संख्या लाख में)**

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**	**100**

2.2 देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई के हिस्से का प्रतिशत

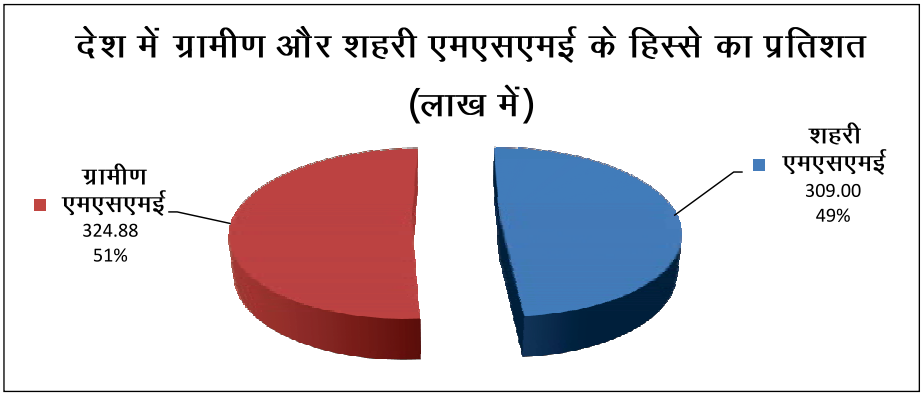

2.1.2 उद्यमों के स्वामित्व के प्रकार

2.1.2.1 पुरूष/महिला स्वामित्व

633.88 लाख एमएसएमई में से, 608.41 लाख (95.98 प्रतिशत) एमएसएमई स्वामित्व के उद्यम थे। एमएसएमई स्वामित्व के मालिकों में पुरूषों का सर्वाधिक वर्चस्व रहा। इस प्रकार समग्र एमएसएमई में स्वामित्व में पुरूषों का उद्यमों में स्वामित्व 79.63 प्रतिशत है इसकी तुलना में उद्यमों में महिलाओं का स्वामित्व वाले 20.37 प्रतिशत है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस पैटर्न में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं था, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पुरूष स्वामित्व वाले उद्यमों का वर्चस्व थोड़ा ज्यादा (77.76 प्रतिशत की तुलना में 81.58 प्रतिशत) रहा।

तालिका संख्या 2.3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों का प्रतिशत वितरण (पुरूष/महिला स्वामित्व – श्रेणी–वार)

क्षेत्र	पुरुष	महिला	सभी
ग्रामीण	77.76	22.24	100
शहरी	81.58	18.42	100
सभी	**79.63**	**20.37**	**100**

तालिका संख्या 2.4: उद्यमवार पुरूष/महिला के स्वामित्व वाले उद्यमों का वितरण प्रतिशत

श्रेणी	पुरूष	महिला	सभी
सूक्ष्म	79.56	20.44	100
लघु	94.74	5.26	100
मध्यम	97.33	2.67	100
सभी	79.63	20.37	100

2.1.3 सामाजिक श्रेणी–वार उद्यमों का स्वामित्व

2.1.3.1 सामाजिक रूप से पिछडे समूह एमएसएमई के लगभग 66.27 प्रतिशत स्वामित्व वाले था जिसमें से सर्वाधिक अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) 49.72 प्रतिशत का स्वामित्व था। एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मालिकों का प्रतिनिधित्व निम्नस्थ क्रमशः 12.45 प्रतिशत और 4.10 प्रतिशत था। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई का लगभग 73.67 प्रतिशत स्वामित्व सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों का था जिनमें से 51.59 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के थे। शहरी क्षेत्रों में लगभग 58.68 प्रतिशत सामाजिक रूप से पिछड़े समूह के थे, जिनमें से 47.80 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के थे।

तालिका संख्या 2.5: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मालिक के सामजिक समूह द्वारा उद्यमों का प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	अन्य	ज्ञात नहीं	सभी
ग्रामीण	15.37	6.70	51.59	25.62	0.72	100.00
शहरी	9.45	1.43	47.80	40.46	0.86	100.00
सभी	**12.45**	**4.10**	**49.72**	**32.95**	**0.79**	**100.00**

चित्र 2.3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यम (समाज श्रेणी वार) प्रतिशत वितरण

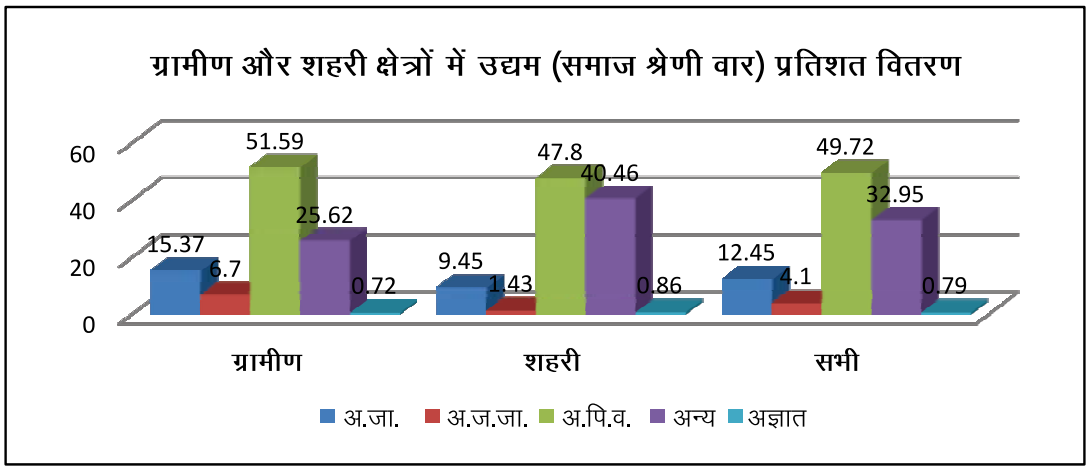

2.1.3.2 एमएसएमई क्षेत्र के तीनों खण्डों में से प्रत्येक में सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के स्वामित्व वाले उद्यमों के विश्लेषण से पता चलता है कि सूक्ष्म क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े समूह का 66.42% उद्यमों पर स्वामित्व था जबकि सूक्ष्म और मध्यम क्षेत्रों में सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों का उद्यमों पर क्रमशः 36.80% और 24.94% स्वामित्व था।

तालिका संख्या 2.6 सामाजिक श्रेणीवार उद्यम का प्रतिशत वितरण

क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	अन्य	अज्ञात	**कुल**
सूक्ष्म	12.48	4.11	49.83	32.79	0.79	100
लघु	5.50	1.65	29.64	62.82	0.39	100
मध्यम	0.00	1.09	23.85	70.80	4.27	100
कुल	**12.45**	**4.10**	**49.72**	**32.95**	**0.79**	**100**

चित्र 2.4: मालिक के सामाजिक समूह और श्रेणी द्वारा उद्यमों के प्रकार का प्रतिशत वितरण

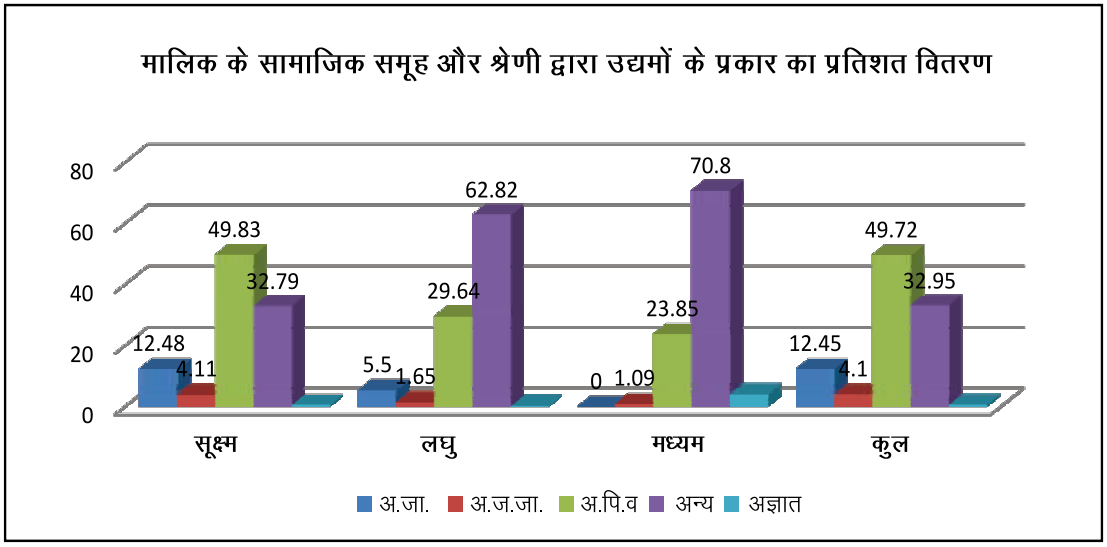

2.1.4 रोजगार

2.1.4.1 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा आयोजित 73वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11.10 करोड़ (विनिर्माण क्षेत्र में 360.42 लाख, व्यापार में 387.18 लाख, अन्य सेवाओं में 362.82 लाख तथा नॉन–कैपटिव बिजली उत्पादन एवं संचरण में 0.07 लाख) रोजगार सृजित करता रहा है। तालिका संख्या 2.7 और चित्र 2.5 एमएसएमई कार्यकलाप वार वितरण दर्शाते हैं।

तालिका संख्या 2.7: एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित रोजगार (कार्यकलाप–वार)

मुख्य कार्यकलाप श्रेणी	रोजगार (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	32
विद्युत'	0.06	0.02	0.07	-
व्यापार	160.64	226.54	387.18	35
अन्य सेवाएं	150.53	211.69	362.22	33
सभी	**497.78**	**612.10**	**1109.89**	**100**

**नॉन–कैप्टिव बिजली उत्पादन एवं संचरण*

चित्र 2.5: श्रेणी–वार एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार का वितरण

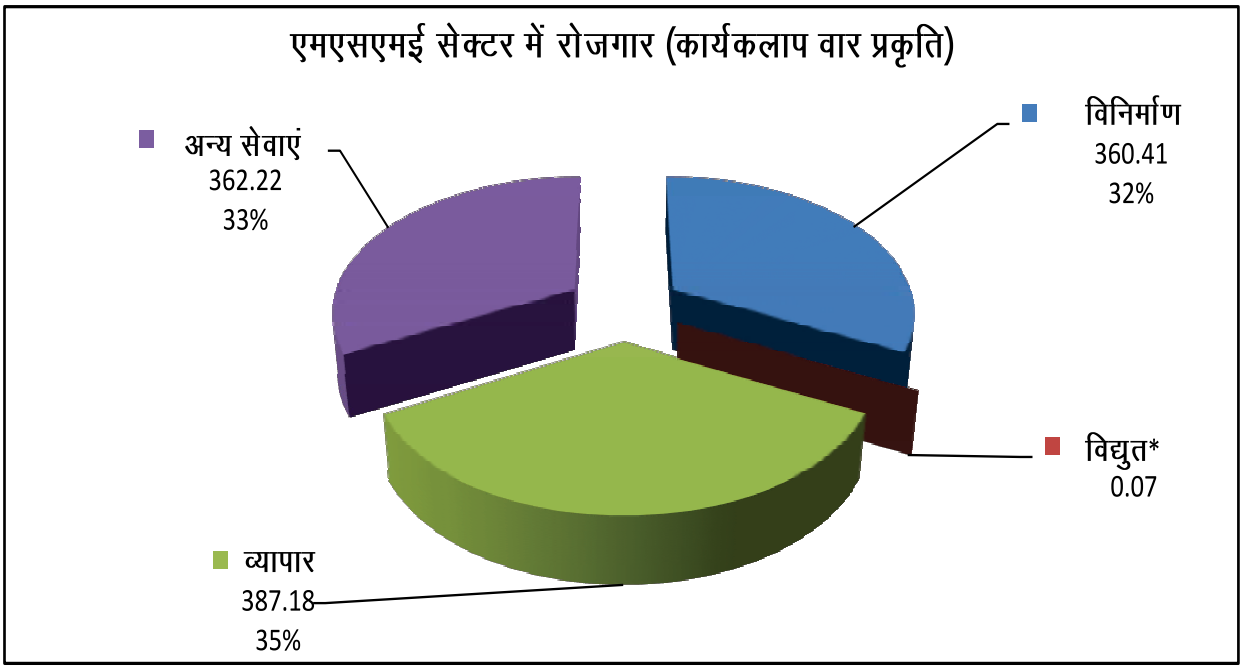

**नॉन–कैपटिव बिजली उत्पादन एवं संचरण*

2.1.4.2 सूक्ष्म क्षेत्र में अनुमानित 630.52 लाख उद्यमों ने 1076.19 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराए हैं, जो इस क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 97% है। लघु क्षेत्र में 3.31 लाख और मध्यम क्षेत्र में 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई ने क्रमशः एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार 31.95 लाख (2.88%) और 1.75 लाख (0.16%) व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । तालिका 2.8 और चित्रः 2.6 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्षेत्रवार रोजगार के वितरण को दर्शाता है। रोजगार का राज्यवार वितरण अनुबंध–II में दिया गया है।

तालिका संख्या 2.8% ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा रोजगार का वितरण

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	**497.78**	**45**
शहरी	586.88	24.06	1.16	**612.10**	**55**
सभी	**1076.19**	**31.95**	**1.75**	**1109.89**	**100**

चित्र 2.6: देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई का प्रतिशत हिस्सा

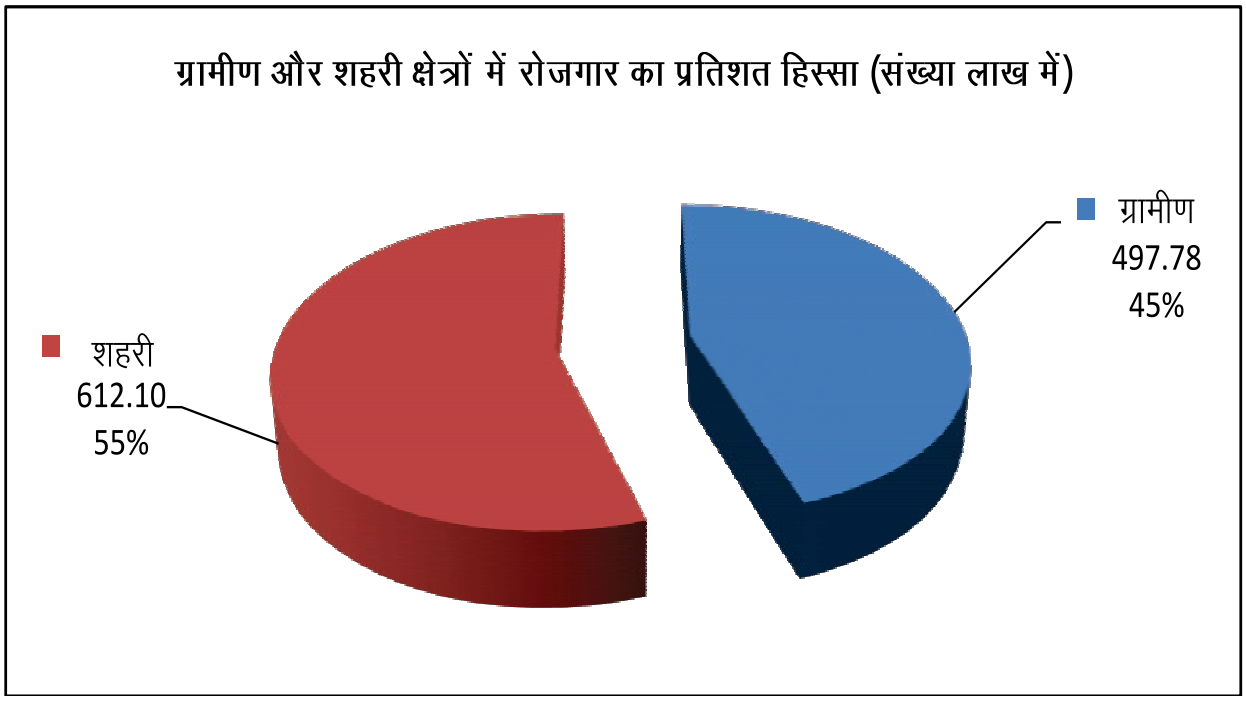

2.1.4.3 एमएसएमई क्षेत्र में 1109.89 लाख कर्मचारियों में से, 844.68 लाख (76%) पुरुष कर्मचारी हैं और शेष 264.92 लाख (24%) महिला कर्मचारी हैं। तालिका 2.9 और चित्र 2.8 महिला और पुरूष श्रेणी में कामगारों का क्षेत्रवार वितरण दर्शाते हैं।

तालिका संख्या 2.9: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जेन्डर द्वारा कामगारों का वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	महिला	पुरुष	कुल	हिस्सा (:)
ग्रामीण	137.50	360.15	497.78	45
शहरी	127.42	484.54	612.10	55
कुल	264.92	844.68	1109.89	100
हिस्सा (%)	**24**	**76**	**100**	

चित्र 2.7: महिला और पुरुष श्रेणी में कर्मचारियों का वितरण

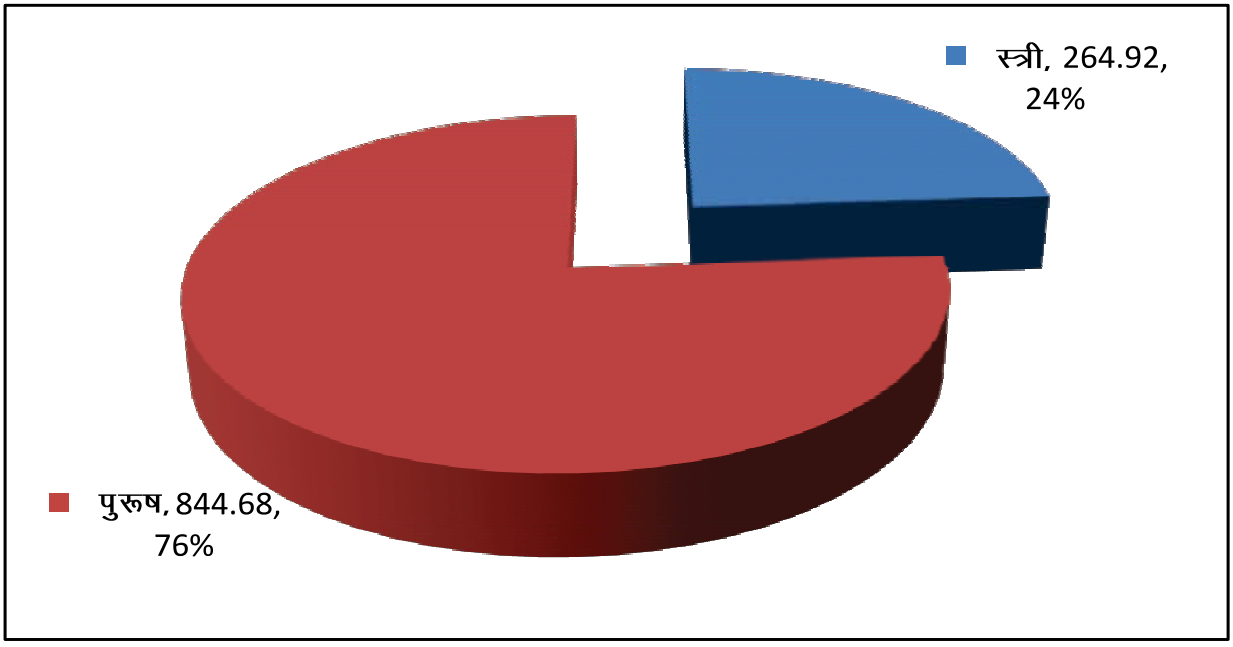

2.1.5 अनुमानित एमएसएमई का राज्यवार वितरण

2.1.5.1 देश में उत्तर प्रदेश एमएसएमई के 14.20% हिस्से के साथ सर्वाधिक अनुमानित एमएसएमई वाला राज्य है। देश में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या में से शीर्ष 10 राज्यों में ही 74.05% एमएसएमई का हिस्सा हैं। तालिका संख्या 2.10 और चित्र 2.8 में शीर्ष 10 राज्यों में अनुमानित उद्यमों का वितरण दर्शाते हैं।

तालिका संख्या 2.10 उद्यमों का राज्यवार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमएसएमई की अनुमानित संख्या	
		संख्या (लाख में)	हिस्सा (% में)
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14
3	तमिलनाडु	49.48	8
4	महाराष्ट्र	47.78	8
5	कर्नाटक	38.34	6
6	बिहार	34.46	5
7	आंध्र प्रदेश	33.87	5
8	गुजरात	33.16	5
9	राजस्थान	26.87	4
10	मध्य प्रदेश	26.74	4
11	**उपर्युक्त दस राज्यों का योग**	**469.36**	**74**
12	**अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**164.52**	**26**
13	**सभी**	**633.88**	**100**

चित्र 2.8: शीर्ष 10 राज्यों में एमएसएमई का वितरण

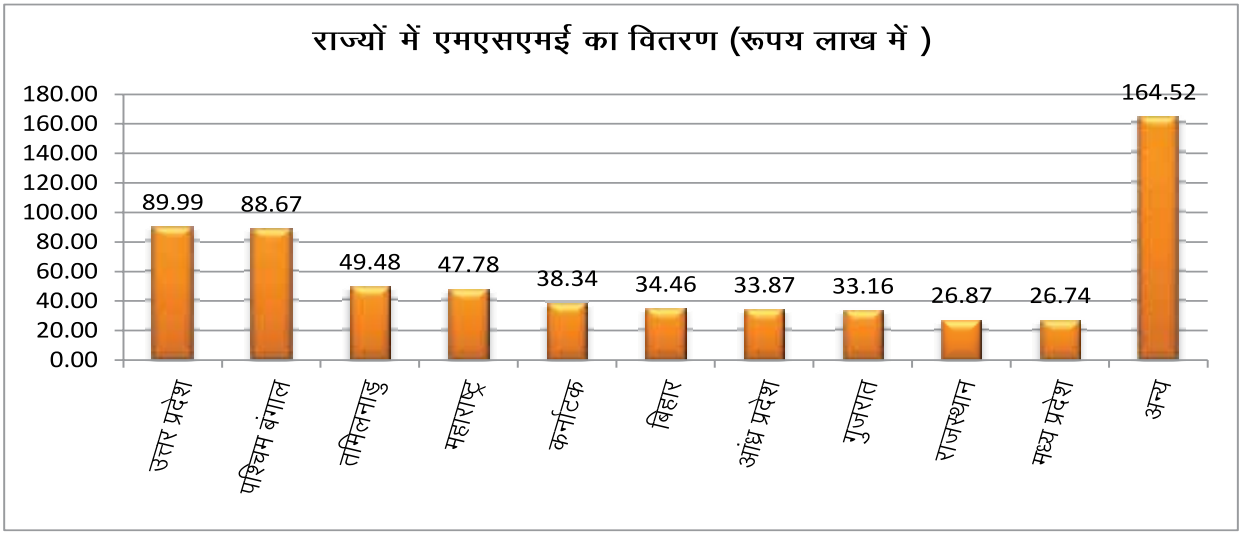

2.2 एमएसएमई के अखिल भारतीय गणना तथा एनएसएस के 73वें दौर के बीच शीर्ष 10 राज्यों का तुलनात्मक वितरण

2.2.1 निम्न तालिका 2.11 शीर्ष 10 राज्यों में एमएसएमई का तुलनात्मक वितरण दर्शाती है।

तालिका संख्या 2.11: एमएसएमई के अखिल भारतीय गणना तथा एनएसएस के 73वें दौर के बीच शीर्ष 10 राज्यों का तुलनात्मक वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनएसएस का 73वां दौर		एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना	
		संख्या (लाख में)	हिस्सा (%)	संख्या (लाख में)	हिस्सा (%)
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14	44.03	12
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14	34.64	10
3	तमिलनाडु	49.48	8	33.13	9
4	महाराष्ट्र	47.78	8	30.63	8
5	कर्नाटक	38.34	6	20.19	6
6	बिहार	34.46	5	14.70	4
7	आंध्र प्रदेश''	33.87	5	25.96	7
8	गुजरात	33.16	5	21.78	6
9	राजस्थान	26.87	4	16.64	5
10	मध्य प्रदेश	26.74	4	19.33	5
11	**शीर्ष दस राज्यों का योग**	**469.4**	**74**	**261.04**	**72**
12	**अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	164.5	26	100.72	28
13	**सभी**	633.9	100	361.76	100

**राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 73वें दौर (2015–16) एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना में तेलंगाना सहित सूक्ष्म, लघु और मद्यम उद्यम की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006–07)*

चित्र 2.9: एमएसएमई का तुलनात्मक प्रतिशत वितरण

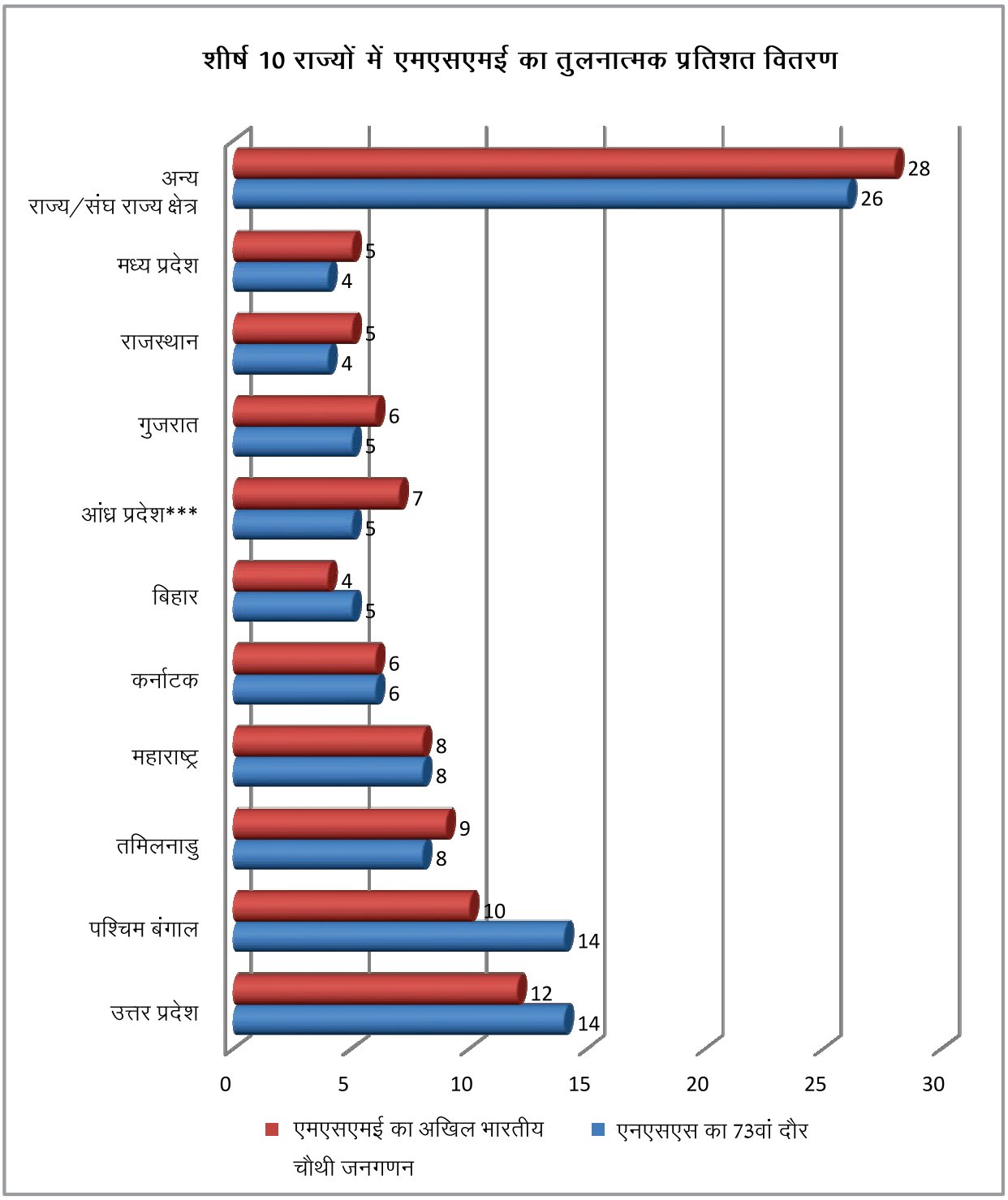

2.3 नए एमएसएमई का पंजीकरण

2.3.1 किसी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के सफल विकास का आंकलन करने के महत्वपूर्ण संकेतों में से एक नई एमएसएमई खोलने पर आंकड़े हैं तथा यह अर्थव्यवस्था में ऐसी इकाइयों को शुरू करने और विकास के लिए अनुकूल

माहौल को दर्शाता है अर्थव्यवस्था में मैक्रोइकोनॉमिक्स में उद्यमियों का उच्च मनोबल दिखाता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 से पहले, डीआईसी में लघु उद्योगों द्वारा पंजीकरण की प्रणाली थी। उसके बाद, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, एमएसएमई कोई उद्यम शुरू करने से पहले जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में उद्यमी ज्ञापन (भाग I) दाखिल करते थे। उत्पादन शुरू होने के बाद संबंधित उद्यमी ज्ञापन (भाग–II)/[ईएम–II, फाइल करता था। 2007 और 2015 के बीच कुल 21,96,902 ईएम– II की फाइलिंग हुई थी। ईएम– II फाइलिंग प्राप्त सूचना के विश्लेषण http://www.dcmsme.gov.in/publications/EMII-2014-15.pdf पर दिये गये हैं।

2.3.2 सितंबर, 2015 से, आसानी से व्यवसाय करने में आसानी को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए, स्व–घोषित सूचना के आधार पर उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के अंतर्गत एक ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली दी गई है। 15.01.2020 के अंत तक, 84.82 लाख एमएसएमई यूएएम पर पहले ही पंजीकरण करवा चुके हैं, जिसकी विस्तृत सूचना http://udyogaadhaar.gov.in/UA/UdyogAadhar&New-aspx पर उपलब्ध है।

2.3.3 यूएएम फाइलिंग का विश्लेषण भी एमएसएमई के विनिर्माण और सेवाओं का एक ब्यौरा प्रदान करता है। इसे नोट किया जा सकता है कि एमएसएमई की विनिर्माण की तुलना में सेवा क्षेत्र में यूएएम फाइलिंग का बड़ा अंश समाविष्ट होता है। ब्यौरा चित्र 2–10 में दिया गया है।

चित्र 2.10: यूएएम फाइलिंग का हिस्सा – विनिर्माण और सेवायें

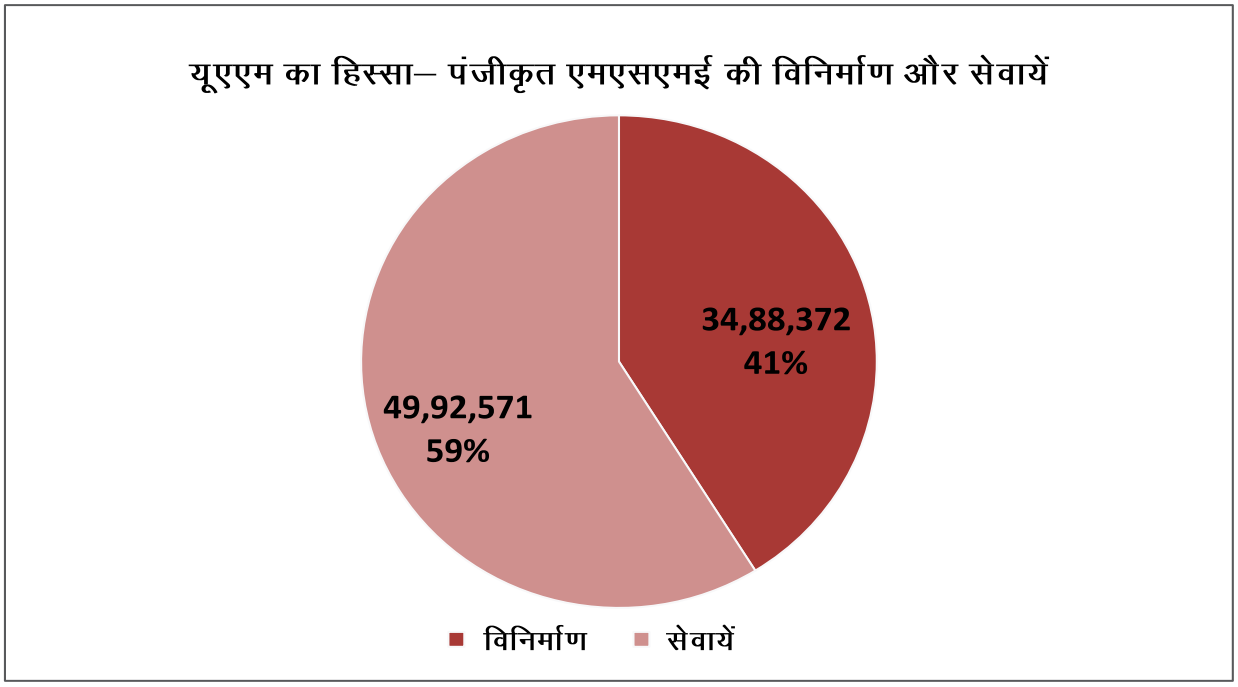

2.3.4 चित्र 2–11 यूएएम फाइलिंग की कुल संख्या के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण दर्शाता है। जैसा कि देखा जा सकता है, वर्ष 2015 से यूएएम फाइल करने वाले उद्यमों में से सूक्ष्म उद्यमों की संख्या सर्वाधिक (89%) है जबकि शेष ज्यादातर लघु उद्यम (11%) हैं, जो फाइल कुल यूएएम के 0.5% से कम है।

चित्र 2.11: यूएएम फाइलिंग के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण

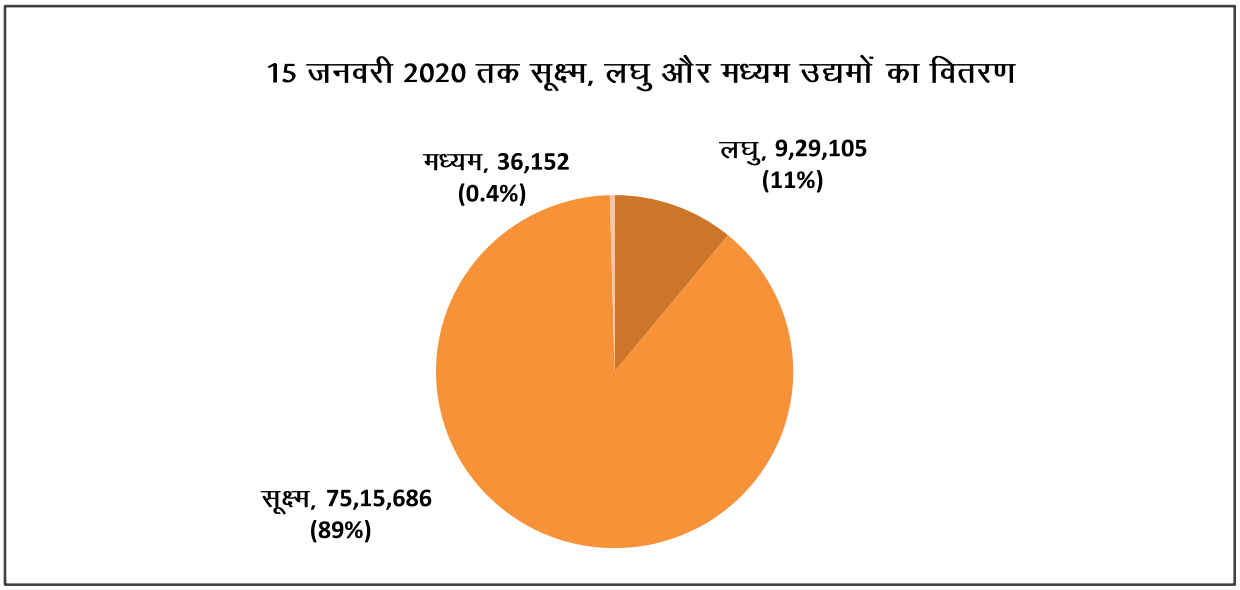

2.3.5 यूएएम उद्यमों के मालिकों की सामाजिक श्रेणी से संबंधित सूचना भी एकत्रित करते हैं। चित्र 2–12, 2015 से यूएएम फाइल करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वितरण को दर्शाता है।

चित्र 2.12: सामाजिक श्रेणी – एससी/एसटी/ओबीसी के अनुसार यूएएम

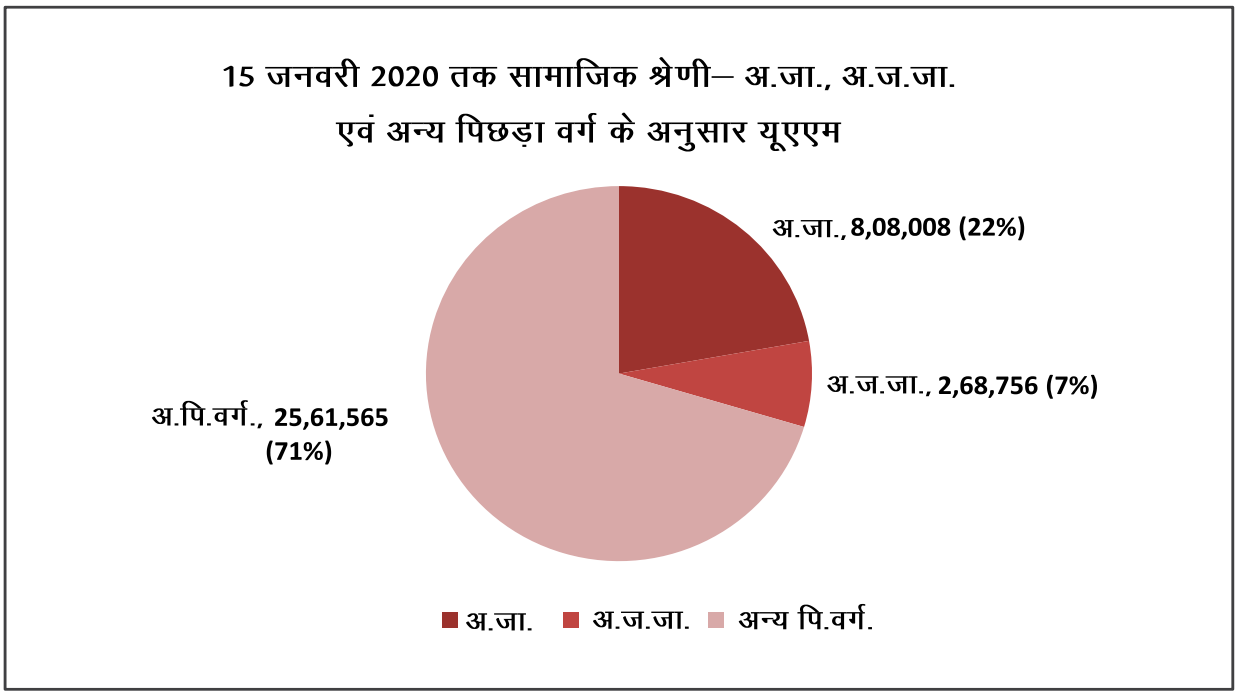

2.3.6 यूएएम फाइलिंग का विश्लेषण यूएएम के भौगोलिक प्रसार को असमान दर्शाता है। चित्र 2.13 सभी भारतीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यूएएम के भौगोलिक वितरण को दर्शाता है। एमएसएमई क्षेत्र के भीतर अधिक समान विकास को प्रोत्साहित करना मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी है और इसका समाधान करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

चित्र 2.13 : यूएएम फाइलिंग का राज्यवार वितरण

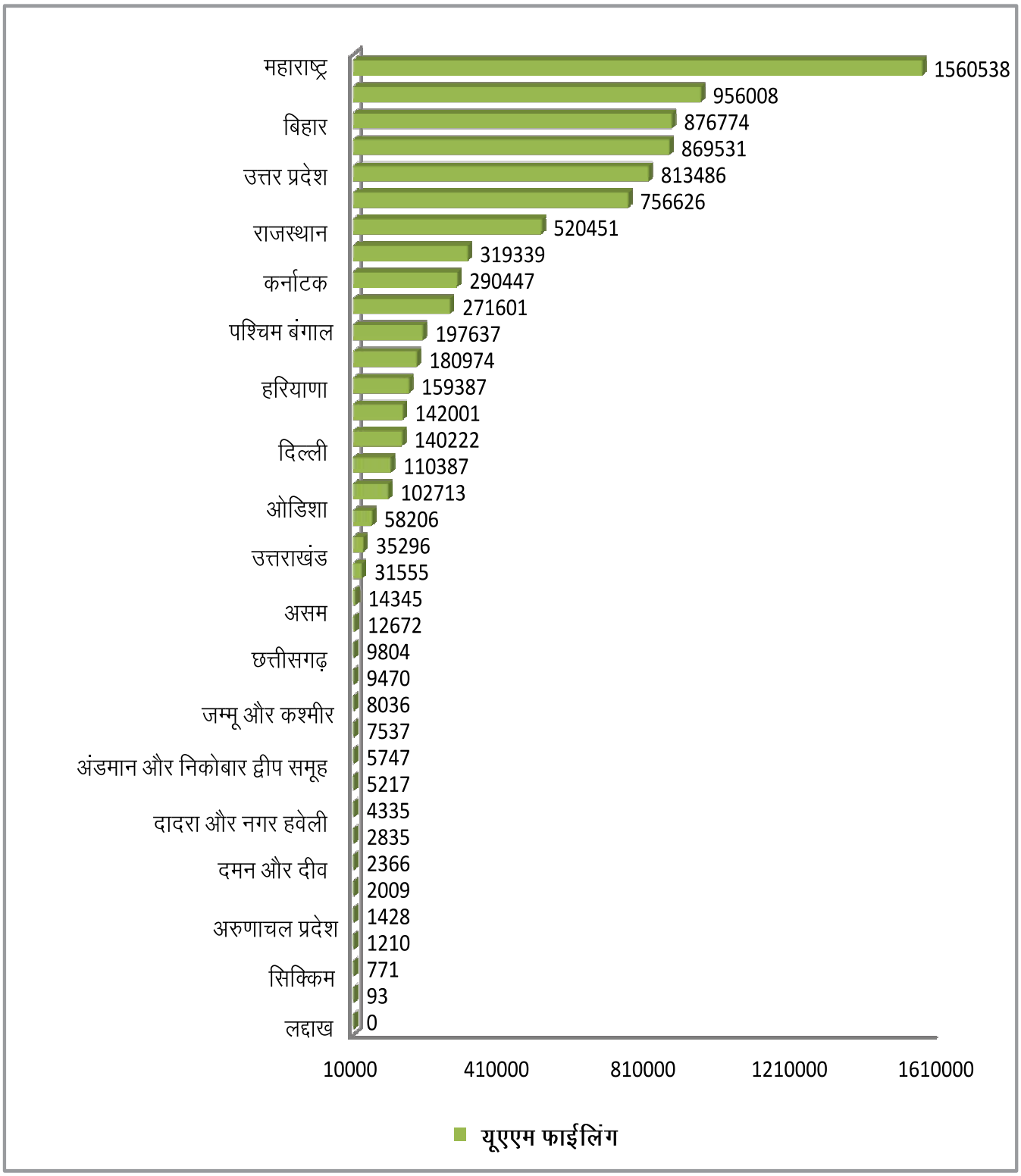

अनुबंध-I

तालिका 1: एमएसएमई की अनुमानित संख्या का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उद्यमों की अनुमानित सभी संख्या (संख्या लाख में)			
		सभी			
		सुक्ष्म	लघु	मध्यम	एमएसएमई
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	आंध्र प्रदेश	33.74	0.13	0.00	33.87
2	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.00	0.23
3	असम	12.10	0.04	0.00	12.14
4	बिहार	34.41	0.04	0.00	34.46
5	छत्तीसगढ़	8.45	0.03	0.00	8.48
6	दिल्ली	9.25	0.11	0.00	9.36
7	गोवा	0.70	0.00	0.00	0.70
8	गुजरात	32.67	0.50	0.00	33.16
9	हरियाणा	9.53	0.17	0.00	9.70
10	हिमाचल प्रदेश	3.86	0.06	0.00	3.92
11	जम्मू और कश्मीर	7.06	0.03	0.00	7.09
12	झारखंड	15.78	0.10	0.00	15.88
13	कर्नाटक	38.25	0.09	0.00	38.34
14	केरल	23.58	0.21	0.00	23.79
15	मध्य प्रदेश	26.42	0.31	0.01	26.74
16	महाराष्ट्र	47.60	0.17	0.00	47.78
17	मणिपुर	1.80	0.00	0.00	1.80
18	मेघालय	1.12	0.00	0.00	1.12
19	मिजोरम	0.35	0.00	0.00	0.35
20	नागालैंड	0.91	0.00	0.00	0.91
21	ओडिशा	19.80	0.04	0.00	19.84
22	पंजाब	14.56	0.09	0.00	14.65
23	राजस्थान	26.66	0.20	0.01	26.87
24	सिक्किम	0.26	0.00	0.00	0.26
25	तमिलनाडु	49.27	0.21	0.00	49.48
26	तेलंगाना	25.94	0.10	0.01	26.05
27	त्रिपुरा	2.10	0.01	0.00	2.11
28	उत्तर प्रदेश	89.64	0.36	0.00	89.99
29	उत्तराखंड	4.14	0.02	0.00	4.17
30	पश्चिम बंगाल	88.41	0.26	0.01	88.67
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.19	0.00	0.00	0.19
32	चंडीगढ़	0.56	0.00	0.00	0.56
33	दादरा और नगर हवेली	0.15	0.01	0.00	0.16
34	दमन और दीव	0.08	0.00	0.00	0.08
35	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.00	0.02
36	पुडुचेरी	0.96	0.00	0.00	0.96
	कुल	**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**

स्रोत : एनएसएस का 73वां दौर 2015–16

तालिका 2 – कर्मचारियों का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रोजगार		
		महिला	पुरुष	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	21.01	34.98	55.99
2	अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.29	0.41
3	असम	1.78	16.37	18.15
4	बिहार	4.79	48.26	53.07
5	छत्तीसगढ़	4.07	12.79	16.86
6	दिल्ली	2.41	20.59	23.00
7	गोवा	0.41	1.20	1.60
8	गुजरात	13.71	47.44	61.16
9	हरियाणा	2.78	16.27	19.06
10	हिमाचल प्रदेश	1.13	5.29	6.43
11	जम्मू और कश्मीर	1.50	9.37	10.88
12	झारखंड	5.57	19.34	24.91
13	कर्नाटक	19.73	51.11	70.84
14	केरल	13.77	30.86	44.64
15	मध्य प्रदेश	10.13	38.61	48.80
16	महाराष्ट्र	17.97	72.77	90.77
17	मणिपुर	1.40	1.52	2.92
18	मेघालय	0.72	1.19	1.91
19	मिजोरम	0.28	0.34	0.62
20	नागालैंड	0.59	1.18	1.77
21	ओडिशा	8.37	24.87	33.26
22	पंजाब	4.24	20.55	24.80
23	राजस्थान	8.01	38.31	46.33
24	सिक्किम	0.14	0.31	0.45
25	तमिलनाडु	32.27	64.45	96.73
26	तेलंगाना	15.24	24.91	40.16
27	त्रिपुरा	0.44	2.51	2.95
28	उत्तर प्रदेश	27.27	137.92	165.26
29	उत्तराखंड	0.69	5.91	6.60
30	पश्चिम बंगाल	43.51	91.95	135.52
31	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.10	0.29	0.39
32	चंडीगढ़	0.12	1.17	1.29
33	दादरा और नगर हवेली	0.07	0.29	0.36
34	दमन और दीव	0.02	0.12	0.14
35	लक्षद्वीप	0.01	0.02	0.03
36	पुडुचेरी	0.57	1.27	1.84
सभी		**264.92**	**844.68**	**1109.89**

सोत्रः एनएसएस का 73 वां दौर, 2015–16

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्राालय के अधीन सांविधिक निकाय और अन्य सम्बद्ध कार्यालय

श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 14 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) के 39वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए। सचिव, एमएसएमई श्री अरुण कुमार पण्डा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं।

3.1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम (1956 की संख्या 61) के अधीन स्थापित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तत्वाधान में एक सांविधिक संगठन है। यह देश में खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, संवर्धन, संगठन और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी, इसने पूर्ववर्ती अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया था।

3.1.1. उद्देश्य :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–

- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।
- बिक्री–योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।
- लोगों में आत्म–निर्भरता व सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करने का व्यापक उद्देश्य।

3.1.2. कार्य :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 61) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–

i. खादी और ग्रामोद्योगों में नियोजित क्षेत्र से जुड़े अथवा इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण की योजना बनाना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना;

ii. हाथ से कते सूत अथवा खादी अथवा ग्रामोद्योगों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों अथवा संभावित व्यक्तियों को ऐसी दर पर, जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाय, प्रत्यक्ष रूप से अथवा विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों का भंडारण करना;

iii. कच्चे माल अथवा अर्ध–निर्मित माल के प्रसंस्करण हेतु जन सुविधा केंद्र के सृजन को बढ़ावा देना तथा सहायता करना अथवा उत्पादन को सरलीकृत करना व खादी व ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री एवं विपणन करना।

iv. खादी अथवा ग्रामोद्योगी उत्पादों अथवा हस्त–निर्मित उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना और इस प्रयोजनार्थ यथासंभव व यथा आवश्यक गठित विपणन एजेंसियों (एजेंसियों) के साथ संपर्क करना;

v. उत्पादकता को बढ़ाने, नीरसता को कम करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाने तथा ऐसे अनुसंधान के प्राप्त परिणामों के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करने की दृष्टि से गैर परंपरागत तथा विद्युत ऊर्जा के उपयोग सहित खादी और ग्रामोद्योग आयोग में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अनुसंधान को बढ़ावा देना;

vi. प्रत्यक्ष अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से, खादी अथवा ग्रामोद्योग की समस्याओं का अध्ययन शुरू करना।

vii. खादी अथवा ग्रामोद्योग के विकास व प्रचालन में शामिल संस्थाओं व व्यक्तियों को सीधे अथवा विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के उद्देश्य से डिजाइन, प्रोटोटाइप व अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना, जिनकी आयोग की दृष्टि में अधिक मांग है।

viii. प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से प्रयोग व उन पायलट परियोजनाओं का निष्पादन करना, जो कि आयोग की राय में खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु आवश्यक हैं।

ix. उपरोक्त सभी मामलों अथवा किसी मामले के कार्यान्वयन के लिए एक पृथक संगठन की स्थापना और रखरखाव करना।

3.1.3. संगठनः

3.1.3.1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग का केंद्रीय कार्यालय मुंबई में स्थित है तथा नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तथा गुवाहाटी स्थित इसके 06 आंचलिक कार्यालय हैं तथा देशभर में इसके 44 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

3.1.3.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग की संगठनात्मक डिजाइन नीचे तालिका में नीचे दी गई है:–

चित्र 3.1: खादी और ग्रामोद्योग आयोग का संगठनात्मक चार्ट

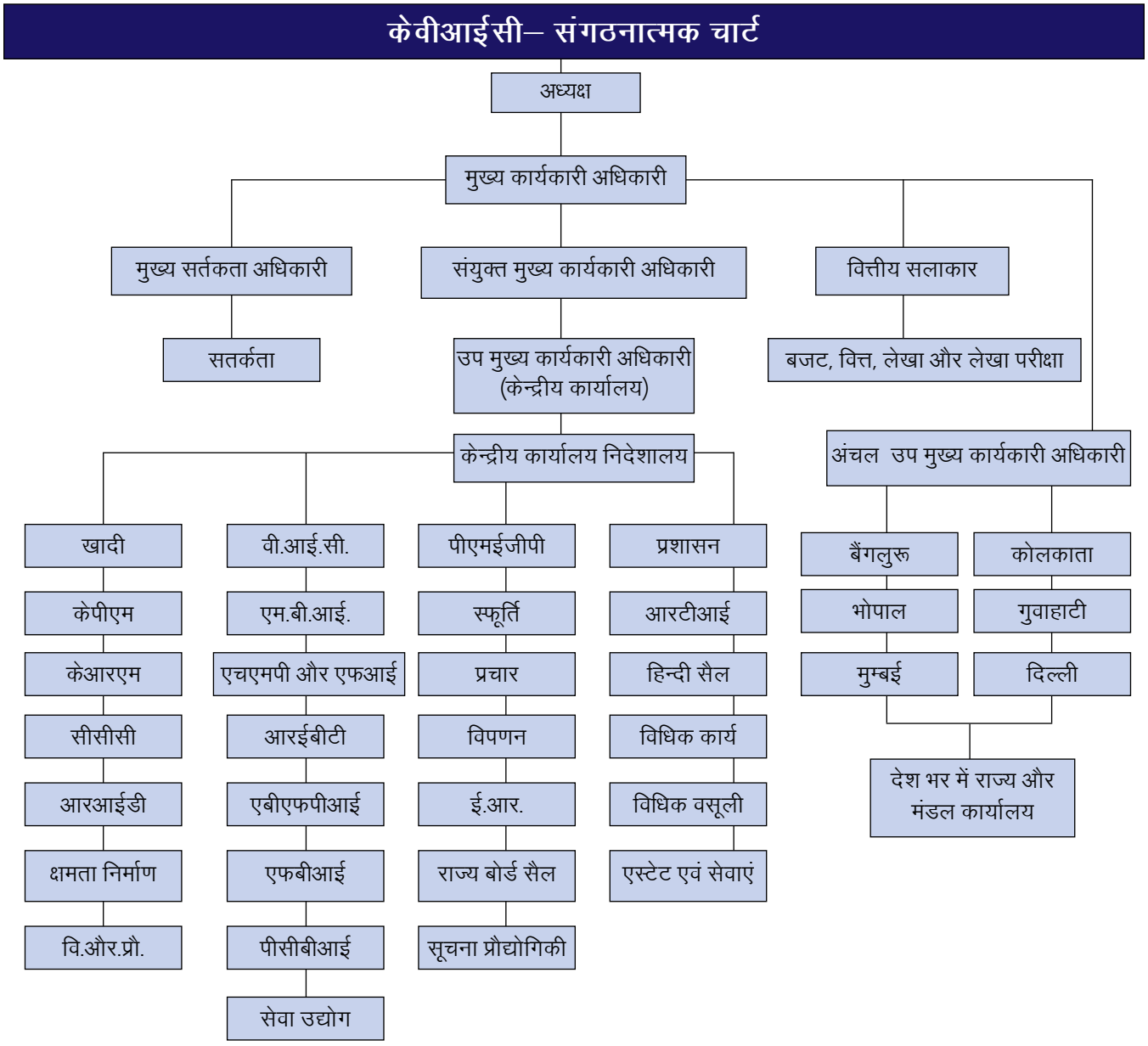

3.1.3.3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने 38 विभागीय एवं गैर–विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करता है। खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं तथा इकाइयों द्वारा उत्पादित खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों का विपणन केवीआई संस्थाओं द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भंडार व भवन द्वारा देशभर के विभिन्न भागों में स्थित इसके 8058 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। केवीआईसी/केवीआई/संस्थाओं/एनजीओ एवं उद्यमियों के खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री के लिए 07 विभागीय बिक्री केंद्र भी संचालित करता है।

3.1.3.4. खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड्स, पंजीकृत केवीआई संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। खादी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के केवीआई बोर्ड्स में पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

3.1.4. भारत में खादी क्षेत्र :

श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 14 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (आईआईटीएफ) के 39वें संस्करण का उद्घाटन करते हुए। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री, श्री सोम प्रकाश भी उपस्थित हैं।

3.1.4.1. खादी गतिविधि को बहुत कम पूंजीगत निवेश पर ग्रामीण कारीगरों के घरों पर ही रोजगार के अवसर–सृजित करने के लिए संभावित टूल के रूप में माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात, खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद राष्ट्रवाद का एक महान प्रतीक बन गया। इस तरह खादी को केवल एक वस्त्र के रूप में ही नहीं अपितु स्वतंत्रता व आत्म–निर्भरता के प्रतीक के रूप में भी एक विशिष्ट पहचान मिली।

3.1.4.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक सांविधिक संगठन है जिसे खादी के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। 2,701 से अधिक खादी संस्थाएं एक वृहत नेटवर्क का निर्माण करती हैं और भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। इस गतिविधि में लगभग 4.96 लाख व्यक्ति शामिल हैं, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक महिला कारीगर हैं।

3.1.4.3. खादी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक विशिष्ट कार्यक्रम है तथा कारीगरों को उनके घरों पर ही रोजगार सृजन हेतु एक प्रभावी टूल है। इसे खादी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बाज़ार विकास सहायता (एमडीए) तथा ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र स्कीम (आईसेक) के माध्यम से प्रदत्त सहायता रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु खादी संस्थाओ को सक्षम बना रही हैं।

3.1.4.4. पिछले वर्ष के दौरान खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। वर्तमान वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) और विगत 4 वर्षों के दौरान खादी क्षेत्र की उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है।

खादी क्षेत्र का उत्पादन और बिक्री

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2015-16	1158.44 @	1663.98 @
2016-17	1520.83 @	2146.60 @
2017-18	1626.66 #	2510.21 #
2018-19	1963.30 #	3215.13 #
2019-20 (31-12-2019 तक)	1787.19 #	2883.71 #
2019-20 (31-03-2020 तक अनुमानित)	2159.01 #	3753.45 #

@पॉलीवस्त्र समेत # पॉलीवस्त्र एवं सोलरवस्त्र समेत

श्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 01 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में कनॉट पैलेस में खादी इंडिया आउटलेट में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विशेष बिक्री अभियान तथा शुभारंभ करते हुए।

3.1.4.5. खादी क्षेत्र का रोज़गार में, विगत वर्ष 2018–19 में 4.96 लाख खादी कारीगरों की तुलना में वर्ष 2019–20 में बढ़कर 4.98 लाख कारीगर हो गया है। (31–12–2019 तक)

खादी क्षेत्र के अंतर्गत रोज़गार

(कारीगर लाख में)

वर्ष	खादी क्षेत्र के रोज़गार
2016-17	4.56 @
2017-18	4.65 #
2018-19	4.96 #
2019-20 (31-12-2019 तक)	4.98 #
2019-20 (31-03-2020 तक अनुमानित)	4.99 #

@ पॉलीवस्त्र समेत # पॉलीवस्त्र एवं सोलरवस्त्र समेत

3.1.4.6 ग्रामोद्योग में सात भिन्न–भिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जो निम्नवत हैं:–

क्र. सं.	वर्गीकरण	उद्योग
1	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)	• ग्रामीण तेल उद्योग • सुगंधित तेल • शहद और मधुमक्खी पालन • पॉम गुड़ और अन्य पॉम उत्पाद • फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • दाल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • स्पाईसिस एवं मसाले प्रसंस्करण उद्योग • गुड़ और खंडसारी उद्योग • लघु वनोपज का संग्रहण • बांस, केन और रीड उद्योग • जैविक (ऑरगेनिक) डाईंग उद्योग • औषधीय पौधों का संग्रहण और प्रसंस्करण उद्योग
2	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)	• हस्तनिर्मित पॉटरी, गेलेज़ड और सिरामेक पॉटरी, आवास सज्जा के लिए पॉटरी, खाद्य उद्योग के लिए पॉटरी • पत्थरों की कटाई एवं पॉलिश उद्योग • सिरामेक टाईल उद्योग • ग्रेनाईट की कटाई, पॉलिश, नक्कशी, तथा मूर्तिकला आदि • ब्रास मैटल और अन्य मैटल क्राफ्ट उद्योग

3	स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई)	• साबुन और तेल समेत स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग • सुगंधित तेल और खुशबू उद्योग • कॉस्मैटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग • हेयर आयल और शैंपू, टॉयलेटरिज़ उद्योग • नहाने के साबुन का उद्योग
4	हस्तनिर्मित कागज़, चमड़ा और प्लस्टिक उद्योग (एचएमपीएलपीआई)	• हस्तनिर्मित कागज़ और कागज़ उत्पाद उद्योग • पेपर कनवर्ज़न उद्योग • चमड़ा उद्योग • प्लास्टिक उद्योग • कयर उद्योग से इतर प्राकृतिक फाईबर
5	ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (रेंटी)	• बायो–गैस, गैर–परम्परागत ऊर्जा, जैविक खाद, वर्मी–कम्पोस्ट उद्योग • बढ़ईगिरी और लौहारी उद्योग • कृषि उपकरण और औज़ार उद्योग • विद्युत और इलैक्ट्रोनिक उत्पाद उद्योग • ड्राइ डेयरी • घरेलू धात्विक बरतन और सामग्री विनिर्माण उद्योग
6	सेवा उद्योग	• लघु व्यावसाय • इलैक्ट्रिक्ल और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का अनुरक्षण और सर्विसिंग • फार्म एग्रीगेटर (प्री और पोस्ट फार्मिंग)

3.1.4.7. पिछले वर्षों में ग्रामोद्योगों ने वृद्धि दर्शाई है। वर्तमान वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) तथा विगत 4 वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योगों का उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है:

ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन और बिक्री

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2015-16	33424.62 #	40384.56 #
2016-17	41110.26	49991.61
2017-18	46454.75	56672.22
2018-19	56167.04	71076.96
2019-20 (31-12-2019 तक)	46980.59	60343.69
2019-20 (31-03-2020 तक अनुमानित)	66876.77	86774.84

 # पॉलीवस्त्र समेत

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में खादी उत्पादों का प्रदर्शन

3.1.4.8 ग्रामोद्योग रोज़गार पिछले वर्ष 2018–19 के 142.03 लाख कारीगरों की तुलना में वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) में बढ़कर 144.60 लाख कारीगर हो गया है।

ग्रामोद्योगों के अंतर्गत रोज़गार

(कारीगरों लाख में)

वर्ष	ग्रामोद्योग रोज़गार
2015-16	126.76 #
2016-17	131.84
2017-18	135.71
2018-19	142.03
2019-20 (31-12-2019 तक)	144.60
2019-20 (31-03-2020 तक अनुमानित)	147.97

 # पॉलीवस्त्र समेत

3.1.5. केवीआईसी द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हाल की रणनीतक पहलें:

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश में खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए हाल में की गई रणनीतिक पहल निम्न हैं:–

- **डीबीटी**– खादी संस्थाओं (केआई) और खादी कारीगरों को संशोधित बाज़ार संवर्धन सहायता (एमएमडीए) और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण–पत्र (आईएमईसी) स्कीम के अंतर्गत निधियों के संवितरण हेतु एक ऑनलाईन आवेदन प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का परिचालन किया गया है। ये संस्थाएं केवीआईसी के डीबीटी पोर्टल में एमएमडीए और आईएसईसी के अंतर्गत अपना डाटा अपलोड कर रही हैं और अपने दावे फाईल (दाखिल) कर रही हैं। अब खादी कारीगरों के खातों में प्रोत्साहन राशि सीधे ही अंतरित की गई।

- **कनवर्जेन्स**– मैसर्स रेमंड लिमिटेड, आदित्य बिरला फैशन और रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल), अरविंद मिल्स जैसे कॉरपोरेट के साथ कनवर्जेंस और इनके आधुनिक आउटलेटों के माध्यम से भारत और विदेश में खादी के विकास और बिक्री बढ़ाने और डिजाइन विकास और खादी फैशन गारमेंट विकसित करने तथा भारत में फैशन फैब्रिक के रूप में खादी को बढ़ावा देने के लिए एनआईएफटी के लिए खादी मार्क पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया।

- **टाई–अप** – खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने रितू बेरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त फैशन डिजाइनरों के साथ टाई–अप किया है ताकि खादी फैशन गारमेंटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो सके तथा इनके लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा सके।

- **केआईएमआईएस**– खादी संस्था प्रबंधन और सूचना प्रणाली (केआईएमआईएस), ने केवीआई उत्पादों की बिक्री और खरीद के लिए एकल अम्ब्रेला ई–मार्केटिंग सिस्टम का इन हाउस विकास किया है। यह खादी इंडिया और गोदामों के स्टॉक की बिक्री के आंकड़े और अद्यतन स्थिति वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध कराता है। 480 खादी संस्थाएं और खादी इंडिया इस बिलिंग सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई हैं तथा व्यापक मांग वाली वस्तुओं की मांग बढ़ाने और आपूर्ति के लिए उपयोगी है।

- **केआईआरसीएस** – केवीआईसी ने अधिक संस्थाओं को सूचीबद्ध करने के उद्देश्य से खादी कार्यकलापों अर्थात् खादी संस्था पंजीकरण और प्रमाणन सेवा (केआईआरसीएस) शुरू करने के लिए नई खादी संस्थाओं के पंजीकरण के लिए एक विशेष ऑनलाईन आवेदन की शुरुआत की।

- **खादी लांज**– केवीआईसी ने प्रीमियम खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री के लिए खादी लॉंजों की श्रृंखला की शुरुआत की है। खादी लॉज ऐसे आउटलेट हैं जिन्हें उच्च गुणवत्ता और प्रीमियर डिजाइन उत्पादों के वितरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार के खादी लांज नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर और भोपाल में स्थापित किए गए हैं।

- **एयरपोर्ट पर खादी आउटलेट** – केवीआईसी ने एयरपोर्ट पर आउटलेट खोले हैं। अब तक अहमदाबाद, वाराणासी और विशाखापट्टनम में तीन आउटलेट कार्यरत हैं।

- **खादी की आपूर्ति**– प्रधान मंत्री कार्यालय, एयर इंडिया, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, डाक विभाग, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, मैंगलौर रिफायनरी और पैट्रोकैमिकल लिमिटेड, गेल, ग्रामीण विद्युतिकरण निगम, बैंक और अन्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में खादी फैब्रिक और उत्पादों की आपूर्ति की गई।

- गिफ्ट कूपन और बॉक्स– केवीआईसी ने गिफ्ट कूपनों और बॉक्सों की शुरुआत की है जिससे गुणवत्ता युक्त सामग्री के उत्पादन, बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान और क्रेताओं के हाथों से सुव्यवस्थित रुप से पैक किए हुए उत्पाद प्रदान करने के माध्यम से कारीगरों के लिए अतिरिक्त रोज़गार सृजित होता है।

- **खादी कॉर्नर और खादी हाटः**–

  - ✓ सभी प्रकार के ग्राहकों तक पहुँचने के लिए केवीआईसी ने प्रसिद्ध आउटलेटों और मॉल में खादी बेचने की एक नई स्कीम आरंभ की जिससे बड़ी उपभोग पद्धति मिली जिससे कारीगरों का रोजगार जारी रहेगा।

- ✓ केवीआईसी ने मैसर्स ग्लोबस, मैसर्स अपना बाजार और मैसर्स कॉटन बाजार के साथ उनके स्टोर में शॉप इन शॉप परिकल्पना 'खादी कॉर्नर' स्थापित करने के लिए संबंध स्थापित किए हैं। खादी कॉर्नर नोएडा, अहमदाबाद और मुम्बई में पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, शीघ्र ही वाराणसी और चेन्नै में खादी कॉर्नर खोले जाने की योजना है।
- ✓ नई दिल्ली नगर निगम परिषद, (एनडीएमसी) के सहयोग से केवीआईसी ने जनवरी 2018 में नई दिल्ली के दिल में ''खादी हाट'' खोला। खादी संस्थाओं के पास हाट में अपने उत्पाद दर्शाने का अवसर है।

- ➢ **फ्रेन्चाइज स्कीम**– ज़ीरों कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रेन्चाइज स्कीम से नेटवर्क बढ़ाने और ग्राहकों के दरवाजे पर खादी लाने के लिए शुरूआत की गई है। अभी तक दिल्ली(2), पुणे (2), कोलकाता (1), अलीगढ़ (1), नवी मुम्बई (1) और केरल (1) में 8 फ्रेंचाइजी स्थापित किए गए हैं।
- ➢ **भीम एप**– ''खादी इंडिया'' में भीम एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया ताकि बैंकों के माध्यम से सीधे ई–भुगतान में आसानी हो तथा नकदी रहित लेन–देन की ओर बढ़ा जा सके। यह एप यूपीआई का उपयोग करने वाले सभी भारतीय बैंकों को सपोर्ट करता है, जो तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) अवसंरचना पर आधारित है तथा यह किन्हीं दो पक्षों के बैंक खातों के बीच फौरन निधि अंतरण करने की अनुमति प्रदान करता है।
- ➢ **मोबाईल बिक्री आउटलेट लोकेटर एप**– केवीआईसी ने एक विशेष मोबाईल बिक्री आउटलेट बिक्री आउटलेट लोकेटर एप का शुभारंभ किया है जो शोरूम और खादी स्टोरों के बिक्री आउटलेटों की स्थिति का पता बताता है। इस एप के साथ 3,550 बिक्री आउटलेटों को उनके पिनकोड के साथ जोड़ा गया है।
- ➢ **ई–वॉलेट**– ग्राहकों को खादी इंडिया और खादी ग्रामोद्योग भवनों में ऑनलाईन भुगतान की सुविधा देने के लिए नई दिल्ली और मुंबई स्थित खादी ग्रामोद्योग भवनों (केजीबी) के माध्यम से ई–वॉलेट भुगतान सिस्टम का शुभारंभ किया गया।
- ➢ **सोशल मीडिया**– फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सभी सोशल मीडिया सामग्री की हैंडलिंग, प्रचालन और प्रबंधन समेत सोशल मीडिया पहलों को केवीआई सेक्टर से ऑबजेक्ट रिलेशन मैंपिंग (ओआरएम) को जोड़ा गया।
- ➢ **एचएस कोड** – हारमोनाईज्ड कॉमोडिटी डिस्क्रिपशन और कोडिंग प्रणाली को एचएस कोड नाम से भी जाना जाता है, जो 200 से अधिक देशों में अपनाए जा चुके नामों और नंबरों का अंतर्राष्ट्रीय मानक सिस्टम है, इसका विकास विश्व कस्टम संगठन (डब्ल्यूसीओ) द्वारा किया गया है। केवीआईसी ने अपने खादी उत्पादों के लिए सुरक्षित एचएसकोड प्राप्त करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) से संपर्क किया है और डीजीएफटी ने 11 खादी उत्पादों के लिए एचएस कोड ज़ारी करने की स्वीकृति दे दी है। तद्नुसार, खादी जैकेट, खादी एनसेम्बल आदि जैसे खादी उत्पादों के लिए अलग प्रशुल्क लाईन निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त, प्रशुल्क लाईन के सृजन हेतु खादी की परिभाषा सीमा शुल्क दर अनुपूरक नोट शामिल किया गया है। इसके माध्यम से, खादी ब्रांड संरक्षित है और खादी उत्पादों के अंतराष्ट्रीय व्यापार को ट्रेक किया जाना संभव होगा। प्रशुल्क में उक्त बदलाव अस्थाई आधार पर भविष्य में किसी तारीख अर्थात् 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावी हो चुके हैं।

- **मिशन सोलर चरखा** – खादी कारीगरों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए सोलर चरखा और सोलर लूम की शुरुआत की गई।
- **हनी मिशन**– केवीआईसी ने वर्ष 2017–18 में हनी मिशन का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम ने प्रशिक्षित मधुमक्खी पालकों/लाभार्थियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में अच्छी प्रगति दिखाई।

केवीआईसी कार्यक्रम के अंतर्गत बी हनी मिशन

- **कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम**– केवीआईसी ने कुम्हार परिवारों के उत्थान के उद्देश्य से वर्ष 2018–19 में कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, कुम्हार कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा उन्हें विद्युत पॉटरी व्हील, क्ले बलंगर, पुगमिल आदि का भी वितरण किया जाता है। अतः कुम्हार कारीगरों की आय में चार गुना तक वृद्धि हो गयी है।
- **चमड़ा क्रॉफ्ट कारीगर सशक्तिकरण कार्यक्रम**– केवीआईसी परंपरागत चमड़ा क्रॉफ्ट कारीगरों के विकास पर विशेष रुप से ध्यान देता रहा है। चमड़ा क्राफ्ट कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें उन्नत किस्म की टूल किटें भी मुहैया कराई जाती हैं।
- **नीरा संयंत्र** – केवीआईसी ने वर्ष 2018–19 के दौरान नीरा पर आधुनिक पायलेट प्लांट विकसित किया था। शीतल पॉम नीरा के संवितरण के लिए वैंडिग मशीन स्थापित की गई।

3.1.6. स्वच्छ भारत अभियानः–

- केवीआईसी ने ''स्वच्छ भारत मिशन'' के अन्तर्गत 16 जून से 30 जून, 2019 के दौरान पूरे भारत में ''स्वच्छता पखवाड़ा'' मनाया। 17 जून, 2019 को मुंबई मुख्यालय के अधिकारियों को अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी द्वारा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और अधिकारियों ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन पर चित्रकारी और वाद–विवाद प्रतियोगिता, स्वच्छ भारत

मिशन पर जागरुकता अभियान, स्वच्छता पर नवप्रवर्तकारी प्रौद्योगिकियों पर सेमिनारों का आयोजन और वृक्षारोपण भी किया गया।

- स्वच्छ भारत अभियान और जल संरक्षण कार्यक्रम का दिनांक 26 जून, 2019 को कुतुबगढ़ नई दिल्ली में श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा श्री प्रताप चंद्र षड़गी, माननीय राज्यमंत्री, एमएसएमई और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य तथा माननीय सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी की उपस्थिति में उदघाटन किया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष केवीआईसी ने भाग लिया।

- केवीआईसी ने संपूर्ण भारत में ''स्वच्छ भारत अभियान–2019'' के तत्वाधान में दिनांक 11 सितम्बर, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019 तक ''स्वच्छता ही सेवा'' कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

3.1.7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्कीमों का कार्यान्वयन :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्कीमों हेतु खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक कार्यान्वयन/नोडल एजेंसी है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों/उप स्कीमों की सूची निम्नानुसार है:

केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीम

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नए स्व–रोजगार वाले उद्यम/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से पीएमईजीपी गैर कृषि क्षेत्र में, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, रोजगार अवसरों के सृजन के लिए एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में यह स्कीम खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। विभिन्न श्रेणियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी 15 से 35% होती है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। स्कीम केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2008–09 में आरंभ से और 31.12.2019 तक, अनुमानित 47 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 13,033.3 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से लगभग 5.7 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 2247.10 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण द्वारा 5.8 लाख व्यक्तियो के लिए अनुमानित रोजगार के अवसर सृजित करते हुए 73241 नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2	बाजार संवर्धन और विकास सहायता (एमपीडीए)	एमपीडीए स्कीम विभिन्न स्कीमों/उप स्कीमों/घटकों नामतः बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन और बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम बनाई गई है और विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं का समावेश कर अवसंरचना का एक नया घटक जोड़ा है।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) खादी और पॉलीवस्त्र उत्पादन की मूल लागत का 30 प्रतिशत प्रदान किया जाता है और उत्पादन संस्थाओं (40 प्रतिशत), विक्रय संस्थाओं (20 प्रतिशत) और खादी कार्यकर्ताओं और कारीगरों (40 प्रतिशत) में प्रोत्साहन वितरित किया जाता है। वर्ष 2018–19 के दौरान खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1,366 खादी संस्थाओं और 2,18,619 खादी कामगारों को संशोधित बाज़ार विकास सहायता के रुप में 303.81 करोड़ रु. का संवितरण किया गया। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1,045 खादी संस्थाओं और 1,33,309 खादी कारीगरों को संशोधित बाज़ार विकास सहायता के रुप में 192.89 करोड़ रु. का संवितरण किया गया।
3	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) स्कीम	भारत सरकार ने वित्तीय संस्थानों/बैंकों से निधियों के अतिरिक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के लिए वर्ष 1977–78 में ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसआईसी) के रूप में स्कीम शुरू की थी। खादी कार्यक्रम के लिए आईएसईसी के अंतर्गत बैंक वित्त एक प्रमुख निधि का स्रोत है। केवीआईसी द्वारा स्वीकृत किए गए वार्षिक बजट में अनुमोदित पात्रता तक खादी/पॉली वस्त्र संस्थाओं को बैंकों द्वारा क्रेडिट सुविधा सीमा प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज संस्था द्वारा अदा किया जाता है और शेष अर्थात् भारत सरकार द्वारा खादी और पॉलीवस्त्र संस्थाओं के खाते में नकदी सीधे प्रदान किए गए बजटीय स्रोत से केवीआईसी द्वारा वास्तविक उधार दर घटा 4 प्रतिशत अदा किया जाना होता है। यह स्कीम खादी और पॉलीवस्त्र के लिए ही लागू है। वर्ष 2018–19 के दौरान खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1,225 खादी संस्थाओं को ब्याज सब्सिडी के रूप में 34.87 करोड़ रु. का संवितरण किया गया। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1,064 खादी संस्थाओं को ब्याज सब्सिडी के रुप में 20.12 करोड़ रु. का संवितरण किया गया था।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
4	खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड स्कीम	केवीआईसी ने वर्ष 2008–09 में, गरीबी रेखा के नीचे के समूह से संबंधित खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम आरंभ की। स्कीम का उद्देश्य कच्चे माल, औजार और सामान, धागा/कपड़ा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अधिक कार्य और भण्डारण स्थान, बेहतर कार्य परिवेश प्रदान करना है जिससे कारीगरों की दक्षता और उत्पादकता में सुधार होगा। इस स्कीम के अंतर्गत वैयक्तिक कारीगर को 60,000/–रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018–19 के दौरान 672 वर्कशेडों के निर्माण के लिए 3.72 करोड़ रु. का संवितरण किया गया था जिससे 1,179 खादी कारीगरों लाभान्वित हुए। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान निर्माण के लिए 4.998 करोड़ रु. का संवितरण किया गया जिससे 1,786 खादी कारीगर लाभान्वित हुए।
5	विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता	वर्ष 2009–10 के दौरान, केवीआईसी ने ''विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' स्कीम का शुभारंभ किया। यह स्कीम दो उप स्कीमों नामतः ''विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण'' और ''विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' का एक सम्मिलन है। "विद्यमान कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत कमजोर/समस्याग्रस्त खादी संस्थाओं को उनकी सामान्य स्थिति में लाने के लिए 9.90 लाख रू. तक की सहायता प्रदान की जाती है। खादी संस्थाओं, केवीआईबी के बिक्री आउटलेटों और विभागीय बिक्री आउटलेटों की विपणन अवसंरचना के विकास अर्थात सामान्य प्रतीक चिन्ह (लोगो), साईनेज, विजुअल मर्चनडाईजिंग, बिल और बार कोडिंग सहित कम्प्यूटीकृत करना, बिक्री स्टॉफ का प्रशिक्षण, नवीकरण आदि हेतु प्रासंगिक सिविल कार्य सहित फर्नीचर और फिक्चर इत्यादि के लिए 25.00 लाख रू. तक की सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2018–19 के दौरान 26 कमज़ोर संस्थाओं को उनकी अवसंरचनात्मक सुदृढ़ीकरण के लिए 2.03 करोड़ रु. का संवितरण किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान 61 बिक्री आउटलेटों के नवीकरण के लिए 6.93 करोड़ रु. का संवितरण किया गया। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान 50 कमज़ोर संस्थाओं को उनकी अंवसंरचनात्मक सुवधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 2.475 करोड़ रु. का संवितरण किया गया।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>स्कीम</th><th>केवीआईसी गतिविधियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान 07 बिक्री आउटलेटों के नवीनीकरण के लिए 1.17 करोड़ रु. का सवितरण किया गया।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>खादी कारीगर बीमा स्कीम का कनवर्जेन्स (पीएमजेजेबीवाई) / पीएमएसबीवाई और संशोधित एएबीवाई का विलय)</td><td>खादी कार्यकलापों से जुड़े कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में केवीआईसी ने 15 अगस्त, 2003 को ''आम आदमी बीमा योजना'' (पूर्ववर्ती खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना) शीर्षक से समूह बीमा स्कीम का शुभारंभ किया। यह विशेष रुप से खादी कारीगरों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा बनाई गई एक विशिष्ट स्कीम है। इस स्कीम का प्रचालन केंद्र स्तर पर होता है जिसमें देश भर के कारीगर कवर किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम राशि केवी. आईसी, खादी संस्थाओं, कारीगरों और भारत सरकार के बीच बांटी जाती है।

इस स्कीम के प्रतिस्थानी के रुप में, भारत सरकार ने दो स्कीमों का शुभारंभ किया है, प्रथमतः 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के कारीगरों के लिए आम आदमी बीमा योजना के साथ प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) का विलय (कन्वर्जेन्स) और द्वितीयतः 51 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के कारीगरों के लिए संशोधित आम आदमी बीमा योजना (संशोधित एएबीवाई) है।

इन स्कीमों के अंतर्गत, निम्नवत मौद्रिक लाभ प्रदान किए जाते हैं :–

पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई
<table><tr><td>किसी भी कारण से मृत्यु</td><td>रु. 2.00 लाख</td></tr><tr><td>दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी विकलांगता</td><td>रु. 2.00 लाख</td></tr><tr><td>आंशिक स्थायी विकलांगता</td><td>रु. 1.00 लाख</td></tr><tr><td>कक्षा 9वीं से 12वीं तक (आईटीआई मेत) लाभार्थी के अधिकतम दो बच्चों को छात्रवृति</td><td>रु. 100/- माह प्रति बालक/बालिका</td></tr></table>
संशोधित एएबीवाई
<table><tr><td>किसी भी कारण से मृत्य</td><td>रु. 30,000/-</td></tr><tr><td>दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी विकलांगता</td><td>रु. 2.00 लाख</td></tr><tr><td>आंशिक स्थायी विकलांगता</td><td>रु. 1.00 लाख</td></tr></table>
वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान इस सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कुल 2,45,080 खादी कारीगरों को नामांकित किया गया।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
7	मिशन सोलर चरखा	वर्ष 2016 में बिहार के नवादा जिले के खानवा गांव में सोलर चरखा पर एक पॉयलट परियोजना कार्यान्वित की गई। पॉयलट परियोजना की सफलता के आधार पर भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान 50 ऐसे क्लस्टरों को स्थापित करने का अनुमोदन दिया है। इस स्कीम में लगभग एक लाख व्यक्तियों को सीधे रोजगार सृजित करने की परिकल्पना है। इस स्कीम में ''सोलर चरखा क्लस्टर'' स्थापित करने की परिकल्पना है जिसका अर्थ 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र के आस–पास के गांव को केन्द्रित करना है। इसके अलावा, ऐसे एक क्लस्टर में 200 से लेकर 2042 लाभार्थी अर्थात् स्पिनर, बुनकर, दर्जी और अन्य कुशल कारीगर होंगे। परियाजना संचालन समिति ने शुरुआत से 31–12–2019 तक की अवधि में मिशन सोलर चरखा के अंतर्गत् 11 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है।
8	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	भारत सरकार ने परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम आरंभ की है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों के हुनर, रचनात्मकता, विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों के मेहनतकस उद्यम, खाद्य उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, चमड़ा उत्पादों, आयुर्वेदिक दवाओं को पहचानना है तथा परंपरागत उद्योंगों को अधिक उत्पादक, लाभदायक बनाना है तथा परंपरागत कारीगरों को सतत रोजगार सृजित करने योग्य बनाना तथा बाद में उन्हें स्वशासित उद्यमी बनाना है। यह भारत सरकार की क्लस्टर आधारित स्कीम है। शुरुआत से 31–12–2019 तक की अवधि में, इस स्कीम के अंतर्गत, 63 क्लस्टरों (खादी : 10 और ग्रामोद्योगों: 53) को सहायता प्रदान की गई।
9	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम एशियन विकास बैंक (एडीबी) से 105 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण राशि से भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया और सहायता की गई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के किए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं को सहायता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		स्कीम का मुख्य उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन, कारीगरों की आय में बढ़ोतरी, उपकरणों का प्रतिस्थापन और उन्नत प्रौद्योगिकी तथा वर्तमान बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप खादी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सम्भावित महत्वपूर्ण विकास को पूर्णतया पूरा करना है। शुरुआत से 31–12–2019 तक की अवधि में, केआरडीपी के अंतर्गत प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) 454 क्लस्टरों (खादी क्लस्टर : 447 और ग्रामोद्योग क्लस्टरः 7) को उपलब्ध कराई जाती है।
10	हनी मिशन	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) सतत रोजगार और आय सृजित करने और आधुनिक मधुमक्खी पालन के आरंभ और लोकप्रियता हेतु अत्याधिक आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के विचार से मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य में घोषणा की ''श्वेत क्रांति के साथ–साथ स्वीट क्रांति की भी जरूरत है'' उनके इस विजन से प्रेरित होकर वर्ष 2017–18 के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उद्यम मंत्रालय ने हनी मिशन के लिए अनुमोदन दिया। वर्ष 2018–19 के दौरान 9,636 लाभाथिर्यों को मुधुमक्खी कॉलोनियों सहित 95,726 मधुमक्खी (हाईव) बाक्स का वितरण किया गया है। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान 2046 लाभार्थियों को मुधुमक्खी कॉलोनियों समेत 20238 मुधुमक्खी हाईव बॉक्स का वितरण किया गया है। शुरूआत से 31–12–2019 तक 13066 लाभार्थियों को मधुमक्खी कॉलोनियों समेत 129469 मधुमक्खी (हाईव) बाक्स का वितरण किया गया है।
11	कुम्हार सशक्तिकरण	खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कुम्हारी कार्य में संलग्न कुम्हार परिवारों को मज़बूती प्रदान करने के लिए, कुम्हार कारीगरों को पॉटरी व्हील समेत अन्य औज़ारों और उपकरणों का वितरण किया। वर्ष 2018–19 के दौरान 26,220 कुम्हार कारीगरों को 6,555 विद्युत पॉटरी व्हील, 360 क्ले बलंगर, 360 पम–मिल और 54 अप–ड्राट पॉटरी क्लिन्स का वितरण किया। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) 5360 कुम्हार कारीगरों को 5360 विद्युत पॉटरी व्हील और 464 क्ले बलंगरों का वितरण किया गया।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
12	चमड़ा कारीगर सशक्तिरण कार्यक्रम	चमड़ा कार्यकलापों से जुड़े परंपरागत चमड़ा क्राफ्ट कारीगर परिवार के विकास के लिए, खादी और ग्रामोंद्योग आयोग (केवीआईसी) ने परंपरागत चमड़ा क्राफ्ट कारीगरों के प्रशिक्षण समेत उन्नत टूलकिटों का वितरण किया। वर्ष 2018–19 के दौरान 110 चमड़ा क्रॉफ्ट कारीगरों को 110 उन्नत टूलकिटों का वितरण किया गया। वर्ष 2019–20 (31–12–2019) के दौरान 2049 चमड़ा क्राफ्ट कारीगरों को 2049 उन्नत टूलकिटों का वितरण किया गया।
13	ग्रामोद्योग	ग्रामोद्योग का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग जो किसी वस्तु का उत्पादन करता है अथवा बिजली के साथ या बिजली के बिना कोई सेवा प्रदान करता है जिसमें प्रति कारीगर अथवा कामगार निर्धारित पूंजी निवेश मैदानी क्षेत्र में 1.00 लाख रू. और पहाड़ी क्षेत्र में 1.50 लाख रू. से अधिक न हो। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी खादी और ग्रामोद्योग इकाइयों को मार्गदर्शन, तकनीकि सहायता, विपणन सहायता प्रदान करता है और ग्रामोद्योग के संवर्धन के लिए केवीआईसी प्रशिक्षण, कार्यशाला, जागरूकता कैम्प, क्रेता–विक्रेता बैठकें इत्यादि आयोजित करता है। केवीआईसी के कार्य क्षेत्र में ग्रामोद्योगों को मुख्यतः सात समूहों में वर्गीकृत किया जाता है नामतः कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई), वन आधारित उद्योग (एफबीआई), खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई), पॉलीमर और कैमिकल आधारित उद्योग (पीसीबीआई), हस्तनिर्मित कागज और फाईबर उद्योग (एचएमपीएफआई), ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव–प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईबीटीआई) तथा सेवा उद्योग। वर्ष 2018–19 के दौरान ग्रामोद्योग उत्पादों का उत्पादन 56167.04 करोड़ रु. था और बिक्री 71076.96 करोड़ रु. की थी। वर्ष 2018–19 के दौरान ग्रामोद्योगों के अंतर्गत 142.03 लाख व्यक्तियों को संचयी रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2019–20 (31–10–2019 तक) ग्रामोद्योगों उत्पादों का उत्पादन 36765.87 करोड़ रु. का था और बिक्री 46980.59 करोड़ रु. की थी। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान ग्रामोद्योगों के अंतर्गत 144.60 व्यक्तियों को संचयी रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए थे।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
14	विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी)	खादी और ग्रामोद्योग आयोग का लक्ष्य विजन के साथ कार्यकरण को बढ़ावा देना, नवप्रवर्तन आरंभ करना, गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाना और खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है तथा बाजार मांग के कारण ग्रामीण उद्योगों को सशक्त करना भी है। केवीआईसी ने गुणवत्ता पहलुओं के समाधान के लिए कठोर प्रयास किए हैं। अनुसंधान और विकास (आरएडंडी) परियोजनाओं तथा आईएसओ प्रमाणन एकल गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के माध्यम से केवीआई क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से उत्पाद की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से जरूरतमंद संस्थाओं को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलाप निरंतर खोजे और कार्यान्वित किए जाते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 14 खादी परियोजनाओं और 12 ग्राम उद्योग परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 6 खादी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।
15	क्षमता निर्माण	खादी और ग्रामोंद्योग आयोग ने 38 विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। ये प्रशिक्षण क्रेंद्र विभिन्न डिस्पिलन के अंतर्गत फल और वनस्पति प्रसंस्करण, खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, कन्फेशनरी और मिठाई निर्माण, स्पाईसेज़ और मसाला निर्माण, कुकिंग और कैटरिंग कोर्स, ग्राम तेल निर्माण, टॉयलेट और लॉडरी साबुन निर्माण, डिटरजेंट पाउडर निर्माण, टेलरिंग और एंबायडरी, रेडीमेड कपड़े, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, पेपर कनवर्जन, पॉटरी उत्पाद निर्माण, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग, मोबाईल रिपेयरिंग, बाईंडिंग आदि जैसे आवश्यकता आधारित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, 67,613 व्यक्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान 46,225 व्यक्तियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया।

3.1.8. खादी उद्योग में विकास

खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकलाप ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों की अजीविका का प्रमुख स्रोत है जिसमें देश भर के स्पिनर, बुनकर और अन्य कारीगर शामिल हैं। निम्नवत तालिका में वर्ष 2018–19 और 2019–20 (31–12–2019 तक) के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन दिया गया है और यह शानदार बढ़ोत्तरी दर्शाता है।

खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन

(उत्पादन एवं बिक्री:करोड़ रू. में, रोजगार: लाख व्यक्ति में)

क्र. सं.	उद्योग	2018-19	2019-20 (31-12-2019 तक)	2019-20 (31-03-2020 तक अनुमानित)
I	**उत्पादन**			
क	खादी	1765.51	1583.96	1900.75
ख	पॉलीवस्त्र	191.70	200.73	254.26
ग	सोलरवस्त्र	6.09	2.50	4.00
	कुल (क + ख + ग)	**1963.30**	**1787.19**	**2159.01**
घ	ग्रामोद्योग	56167.04	46980.59	66876.77
	कुल केवीआई उत्पादन	**58130.34**	**48767.78**	**69035.78**
II	**बिक्री**			
क	खादी	2854.19	2566.99	3351.52
ख	पॉलीवस्त्र	355.47	312.97	396.43
ग	**सोलरवस्त्र**	5.47	3.75	5.50
	कुल (क + ख + ग)	**3215.13**	**2883.71**	**3753.45**
घ	ग्रामोद्योग	71076.96	60343.69	86774.84
	कुल केवीआई बिक्री	**74292.09**	**63227.40**	**90528.29**
III	**रोज़गार**			
क	खादी	4.60	4.61	4.62
ख	पॉलीवस्त्र	0.30	0.31	0.31
ग	**सोलरवस्त्र**	0.06	0.06	0.06
	कुल (क + ख + ग)	**4.96**	**4.98**	**4.99**
घ	ग्रामोद्योग	142.03	144.60	147.97
	कुल केवीआई रोज़गार	**146.99**	**149.58**	**152.96**

3.1.9. खादी क्षेत्र के समक्ष चुनौतियां :–

- खादी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैंडलूम, मिल में बने, ब्रांडेड देशी सेगमेंट से है और नकली, जाली तथा एक जैसे दिखने वाले उत्पादों को पूरे देश में खादी के नाम पर बेचा जा रहा है।
- खादी को इसकी समृद्ध विरासत और भावनात्मक मूल्य के लिए जाना जाता है जो हमें उत्पादों और ब्रांडों से परिपूर्ण सम्पूर्ण स्वदेशी वस्त्र खंड प्रदान करता है। बाजार उन्मुख, फैशन के प्रति जागरूक युवाओं के लिए तैयार आधुनिक उत्पादों के विकास को पूरा करना एक चुनौती है, साथ ही साथ मुनाफा कमाने का एक मौका भी है।
- नियमित बिक्री और उच्च आमदनी कारीगरों को समय पर उनको मेहनताना देने के लिए जरूरी है और कारीगरों को मुख्य धारा में बनाए रखने के लिए उनकी आमदनी में वृद्धि जरूरी है।
- भंडारों का आधुनिकीकरण अन्य बड़ी चुनौतियां हैं।

3.1.10. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को बजटीय सहायता:–

3.1.10.1 एमएसएमएम मंत्रालय योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु केवीआईसी को निधियाँ प्रदान करता है। इन निधियों को मुख्य रूप से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और केवीआईसी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां पुनः आबंटित करता है अर्थात् राज्य केवीआईबी; सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं तथा राज्य सरकारों के सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां, और जिला उद्योग केंद्र आदि। पेंशन भुगतान सहित आयोग के प्रशासनिक व्यय को गैर–योजना सरकारी बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

3.1.10.2 पिछले चार वर्षों के दौरान बजटीय स्रोतों (दोनों योजना और गैर–योजना शीर्ष) से प्रदान और बजट अनुमान–2019–20 में निर्धारित की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

केवीआईसी को बजटीय सहायता

(रु. करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (संशोधित अनुमान)		जारी निधि	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
2014 & 15	1452.00	229.09	1384.40	227.31
2015 & 16	1579.65	244.71	1520.49	244.18
2016 & 17	1647.40	258.74	1591.08	258.74
2017 & 18	2269.21	-	2125.51	-
2018-19	3082.22	-	3081.70	-
2019-20 सं.अनु. (31-12-2019 तक)	3433.73	-	2897.30	-

नोटः गैर–योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से पृथक से बजट आबंटन नहीं किया गया है।

प्रौद्योगिकी केन्द्र

3.2. प्रौद्योगिकी केन्द्र (पूर्व में टूल रूम एवं प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र)

3.2.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं और उद्योग कार्यबल को व्यावहारिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2018–19 में, देश भर में 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों ने 208174 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, 39859 इकाइयों की सहायता की है और 318.82 करोड़ रू. का राजस्व अर्जित किया है। ये प्रौद्योगिकी केन्द्र मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किए गए हैं और ये अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए स्वयं वहनीय आधार पर कार्य करते हैं। जर्मनी सरकार के द्विपक्षीय सहयोग से चार प्रौद्योगिकी केन्द्रों और डेनमार्क के सहयोग से 3 प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना की गई है।

1. केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), कोलकाता
2. केन्द्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
3. इण्डो–जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इन्दौर
4. इण्डो–जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद
5. इण्डो–जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
6. इण्डो–डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर
7. केन्द्र टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर
8. टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी
9. केन्द्रीय हैण्ड टूल संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर
10. केन्द्रीय टूल डिजाईन संस्थान (सीआईटीडी), हैदराबाद
11. इलैक्ट्रानिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र (ईएसटीसी), रामनगर
12. इलैक्ट्रिक मेजरिंग उपकरण डिजाईन संस्थान (आईडीईएमआई), मुम्बई
13. सुगंध एवं महक विकास केन्द्र (एफएफडीसी), कन्नौज
14. ग्लास उद्योग विकास केन्द्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद
15. प्रसंस्करण एवं उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), आगरा
16. प्रसंस्करण–सह–उत्पाद विकास केन्द्र (पीपीडीसी), मेरठ
17. केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा
18. केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नै

3.2.2 18 प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) में से, 10 टीसी टूल डिजाईन एवं विनिर्माण, शुद्धता घटकों माउल्ड्स, डाईज इत्यादि के माध्यम से प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करते हैं। ये टीसी टूल इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण सेक्टर के क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराकर उद्योग को सेवा प्रदान करते हैं। ये टीसी अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिक निपुण हैं।

3.2.3 फोर्जिंग एवं फाउंडरी, इलैक्ट्रॉनिक्स, इलैक्ट्रिकल मेजरिंग उपकरणों, सुगंध एवं महक, ग्लास, फुटवियर एवं खेल का सामान जैसे विशिष्ट उत्पाद समूहों में प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रसंस्करण और उत्पादों, उन्नत प्रौद्योगिकियों और विकसित तकनीकी सेवाएं देकर संबंधित क्षेत्रों में एमएसएमई को उत्पाद विशिष्ट सहायता के लिए आठ प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं। देश में रक्षा, ऐरोस्पेस इत्यादि के लिए उनके अनुसंधान और विकास अपेक्षाओं की रणनीति जैसे क्षेत्रों को भी डिजाईन, विकास एवं विनिर्माण सहायता देने के अलावा जटिल टूल, पार्ट और घटकों के लिए कुछ प्रौद्योगिकी केन्द्रों ने एमएसएमई को भी सहायता प्रदान की है।

3.2.4 मंत्रालय ने सीएडी/सीएएम, सीएनसी मशीनिंग, वेक्यूम हीट ट्रीटमेंट, 3डी प्रिंटिंग इत्यादि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को समय–समय पर जोड़ा है और उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीन उन्नति के साथ–साथ उन्हें प्रासंगिक और अब्रेस्ट बनाने के लिए इन केन्द्रों की सहायता की है। ये प्रौद्योगिकी केन्द्र गुणवत्ता टूल, प्रशिक्षित कार्मिक और टूलिंग और संबंधित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करके उद्योगों के संबंधित खण्डों के एकीकृत विकास पर ध्यान दे रहे हैं। उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं ने भी स्वयं के उद्यम स्थापित कर लिए हैं जिससे वे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।

सीएनसी मशीन पर कार्यरत प्रशिक्षु

3.2.5 राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में 76 पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कौशल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। क्षेत्र स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लेने लिए राज्य स्तरीय कौशल प्रतिस्पर्धा में कुल 37 छात्रों ने अर्हता प्राप्त की है। राष्ट्र स्तरीय भारत कौशल प्रतिस्पर्धा 2018 में विभिन्न कौशल श्रेणियों में 9 छात्रों ने पदक जीते हैं। 2019 में, विश्व कौशल, प्रतिस्पर्धा कजान, रूस में हमारे देश के एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों से दो छात्रों ने प्रतिनिधित्व किया।

3.2.6 सभी प्रौद्योगिकी केन्द्र सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांत का पालन करते हैं। वे आईएसओ 9001–2000 प्रमाणित संस्थान है और उनमें से कुछ आईएसओ 14001, ओएचएसएएस–18001 आईएसओ–29990 आईएसओ/आईईसी 17025:2005 और आईएसओ–50001 प्रमाणित हैं। ऐरोस्पेस घटक आपूर्ति के लिए केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर भी एएस–9100 प्रमाणित है।

प्रौद्योगिकी केन्द्रों में उपकरण विनिर्माण

3.2.7 वर्ष 2019–20 के लिए टीसी का वास्तविक कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

	प्रशिक्षित प्रशिक्षु (संख्या में)	सहायता प्राप्त इकाई (संख्या में)	प्लेसमेंट के लिए विकल्प चुना	कुल रखे गए (वेतन एवं स्व–रोजगार)
2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	1,76,312	31,138	25776	16150

3.2.8 मूल्य वर्धित सेवाओं और उच्च गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त, ये टीसी चुनौतीपूर्ण कार्य भी करते हैं। अत्यधिक उन्नत मशीनों पर अपने छात्रों को ऑन–जॉब प्रशिक्षण प्रदान करने में जटिल घटकों की इन हाउस उत्पादन में सहायता करते हैं। ऐसे कुछ जॉब कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क. चन्द्रयान–II चन्द्र मिशन: केन्द्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर इसरो की विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ा है। सीटीटीसी ने विभिन्न प्रकार के फ्लो कन्ट्रोल वॉल्व, सेंसर, रेगुलेटर लिंक्स एवं घटक उपर्युक्त असेम्बली के लिए विकसित किए हैं। चन्द्रयान–II (इसरों का दूसरा चन्द्र मिशन) के लिए सीटीटीसी भुवनेश्वर ने मिशन के 4 प्रमुख घटकों के लिए घटकों की आपूर्ति की है:

- जीएसएलवी मार्क–III लांच व्हीकल–
- चन्द्र उपग्रह
- मून लेन्डर (विक्रम)
- मूल रोबर (प्रज्ञान)

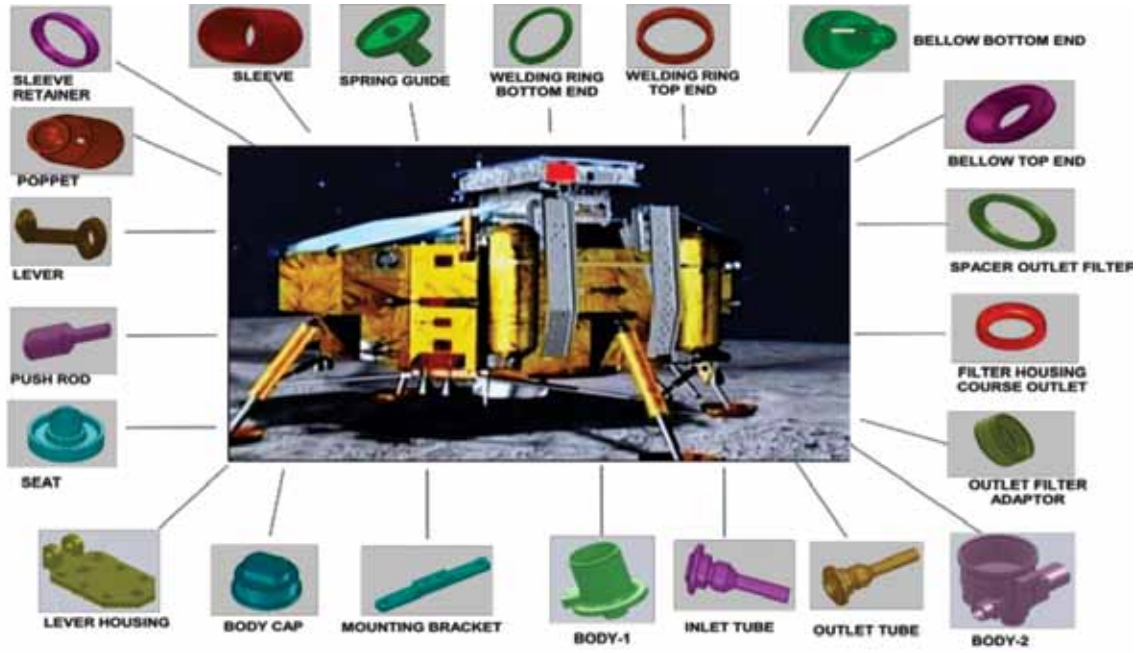

ख. इलैक्ट्रिकल मेजरिंग उपकरण डिजाईन संस्थान (आईडीईएमआई), मुम्बई ने चन्द्रयान 2.0 को ले जाने वाले लांच व्हीकल जीएसएलवी एमके–III रॉकेट में प्रयुक्त स्वदेशी क्रायोजेनिक सीई 20 इंजन के लिए महत्वपूर्ण घटकों के विनिर्माण में योगदान दिया है।

ग. **3डी प्रिंटिंग:** प्रौद्योगिकी केन्द्रों, पूर्व में भुवनेश्वर, केन्द्र में औरंगाबाद, पश्चिम में अहमदाबाद और उत्तर में लुधियाना में नवीन 3डी प्रिंटिंग सुविधाओं की पूर्ण श्रृंखला है और इसमें इनपुट सामग्री के रूप में मेटल और पॉलीमर विकल्प दोनों का प्रयोग शामिल है। इन केन्द्रों ने महत्वपूर्ण घटकों के री–इन्जीनियरिंग, पॉलिमर से मेटल प्रतिस्थापन, कुल मिलाकर नए उत्पाद विकास इत्यादि सहित 3,000 से अधिक उत्पाद विकास प्रयासों के साथ विभिन्न उद्यमों की सहायता की है। फ्लोर मिल, अंतरिक्ष एप्लीकेशन में आईएनवीएआर–36 जैसे उपभोक्ता दीर्घावधि उत्पाद–सम्पूर्ण उद्योग रेन्ज में महत्वपूर्ण उदाहरण हैं।

आईजीटीआर, अहमदाबाद द्वारा मेटल आरपीटी के माध्यम से विकसित कुछ जटिल उत्पाद

रोगी विशिष्ट कपाल प्रत्यारोपण

एफडीएम प्रौद्योगिकी के माध्यम से आईजीटीआर, अहमदाबाद में विनिर्मित

घ. कला–डी पहलः कारीगर क्षेत्र के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं विकसित की गई हैं।

- हैण्ड हैल्ड कॉटन पिकर
- महिन्द्रा युवा 265 डीआई ट्रेक्टर रेडियेटर ग्रिल।
- हाथ से बनी महात्मा गांधी जी की मूर्ति/अशोक स्तंभ से डिजिटल डेटा जेनरेशन और बैच उत्पादन।
- विराट शक्ति ट्रैक्टर के लिए डाईफ्राग्म स्प्रिंग और डिस्क बैक प्लेट (प्रेस टूल)
- सेवा–सैडल (इन्जेक्शन माउल्ड्स)
- आईजीटीआर औरंगाबाद ने परियोजना न्यूमेटिक प्रेशर नियंत्रित सोया पनीर प्रेस विकसित किया है।

हैण्ड हेल्ड कॉटन पिकर

महिन्द्रा युवा 265 डीआई ट्रैक्टर रेडियेटर ग्रिल

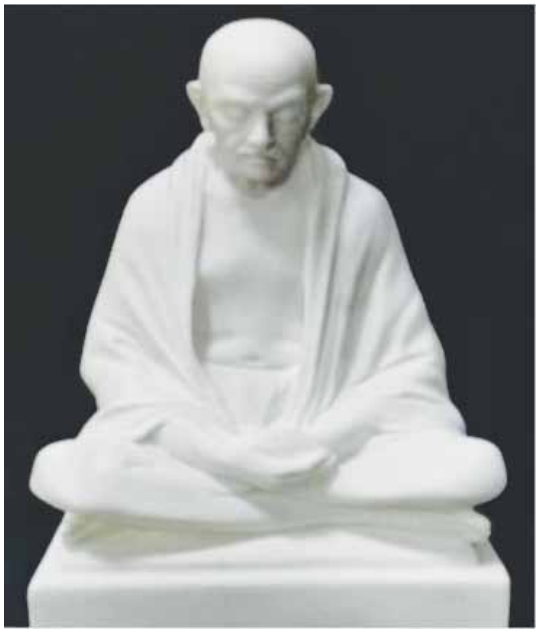

हाथ से निर्मित गांधी जी की मूर्ति से डिजिटल डेटा जेनरेशन और बैंच उत्पादन

3.2.9 आयात प्रतिस्थापनः एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विनिमय को बचाने के लिए आयात प्रतिस्थानी के लिए उत्पादों के विकास में अन्य इकाइयों तथा एमएसएमई की सहायता भी करते हैं। आयात प्रतिस्थानी के कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं :

- आईडीटीआर जमशेदपुर ने मैसर्स जोस्ट इण्डिया लिमिटेड के लिए बेंडिंग टूल की डिजाईन और विकास किया है।
- आईडीटीआर जमशेदपुर ने मैसर्स ऑटोमोटिव इण्डिया लिमिटेड, जमशेदपुर के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से एक आयात प्रतिस्थानी डिजाईन और विकास किया है।
- सीटीआर लुधियाना ने न्यूक्यूलियर पाबर जनरेशन प्लांट, रावतभाटा, राजस्थान के लिए एक्सपेंडर असेम्बली टूल विकसित किया है।
- सीटीआर लुधियाना ने मैसर्स जगदीप इंजीनियरिंग लुधियाना के लिए सीआरसी स्टील रोलिंग मिल उपकरण विकसित किया है।

3.2.10 प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

3.2.10.1 मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों की सफल कार्य पद्धति को देखते हुए एवं देश में प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों) के नेटवर्क के उन्नयन और विस्तार के विचार से एमएसएमई मंत्रालय ने देशभर में मौजूदा टीसी के उन्नयन और 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों को (टीसी) स्थापित करने के लिए 2200 करोड़ रू. की अनुमानित परिलक्षित लागत पर प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) आरंभ किया है। टीसीएसपी ने देश में एमएसएमई के लिए नवप्रवर्तनकारी इकोसिस्टम सृजित करने की संकल्पना की है।

3.2.10.2 कार्यक्रम की स्थिति

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन 15 जनवरी 2015 से आरंभ किया।
- रोहतक, भिवाड़ी, बद्दी, बैंगलुरू, दुर्ग, पुडुचेरी, विशाखापटनम, सितारगंज, भोपाल, इम्फाल, एर्नाकुलम, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में कुल 15 नए टीसी में से 13 नए टीसी का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। टीसी भिवाड़ी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और अगस्त 2019 से प्रशिक्षण कार्यकलाप आरंभ हो गए हैं। एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा प्रशिक्षण के दो बैच आरंभ किए गए हैं।
- आधुनिकीकरण के अंतर्गत, मौजूदा 9 टीसी को नवीनतम अत्याधुनिक मशीन और उपकरण प्रदान किए गए हैं।
- नए टीसी के लिए मशीनें, उपकरणों और फर्नीचर इत्यादि की खरीद पहले ही आरंभ कर दी गई है और निर्माण कार्य की प्रगति के साथ समकालिक आपूर्ति की जाती है।
- 8 नए टीसी के लिए उप महाप्रबंधक भी नियुक्त किए गए हैं।
- डीजीएम के अलावा, 11 नए टीसी में 41 स्टॉफ की भर्ती की गई है और आगे आवश्यकता के आधार पर भर्ती की जा रही है।
- 11 टीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरंभ किए गऐ हैं और 1688 व्यक्तियों को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है।
- प्रौद्योगिकी क्लस्टर प्रबंधक (टीसीएम) लगाया गया है। टीसीएम ने कार्यक्रम के अंतर्गत दिए अधिदेश के अनुसार अपने कार्यकलाप आरंभ किए हैं।
- विश्व बैंक ने विकास उद्देश्य को 'संतोषजनक' पाया है जो परियोजना के लिए उच्चतम रैंकिंग है।

3.2.10.3 यह परियोजना 2020–21 के अंत तक अनुसूचित है। यह आशा की जाती है कि परियोजना के पूर्ण हो जाने के उपरांत, टीसी के नेटवर्क की प्रशिक्षण क्षमता वर्तमान 2.0 लाख से बढ़कर 3.0 लाख प्रतिवर्ष हो जाएगी। नए टीसी परामर्श, इनक्यूवेशन, टूलिंग सहायता और अन्य उत्पादन से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करेंगे। यह परियोजना देशभर में एमएसएमई की वृद्धि और विकास के लिए पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) प्रदान करेगी। मणिपुर, इम्फॉल स्थित सुगंध और महक की स्थापना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्षेत्र के कृषि उत्पाद से मूल्य वर्धित उत्पादों का एक पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) सृजित करके किसानों की आय में वृद्धि होगी।

किया गया व्ययः

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (क्यू1-क्यू3)
संयंत्र और मशीनरी प्रापण (लाख रुपये में)	4,453.17	2,022.95	5,378.26	3,245.07
टीसी का निर्माण (लाख रुपये में)	888.40	11,692.97	19,845.26	11,310.61
प्रचालन लागत (लाख रुपये में)	56.94	8.92	58.26	223.04
पीएमयू परामर्श (लाख रुपये में)	599.33	328.43	775.29	320.19
टीसीएम परामर्श (लाख रुपये में)	-	-	105.60	352.23
अन्य तकनीकी सहायता (लाख रुपये में)	1.29	0.24	45.94	5.84
कुल व्यय	**5,999.14**	**14,053.51**	**26,208.61**	**15,456.99**

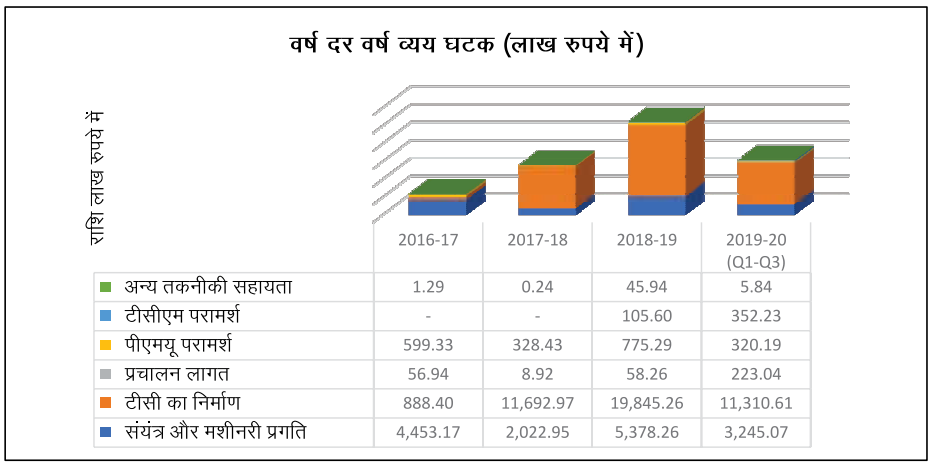

प्रशिक्षण – प्रशिक्षित छात्रों की संख्या

क्र. सं.	टीसी स्थान	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20 (क्यू1–क्यू3)	वित्त वर्ष 2020–21 (योजना–बद्ध)
		कोर पाठ्यक्रम	कोर पाठ्यक्रम	कोर पाठ्यक्रम
1	भिवाड़ी	4	188	2200
2	भोपाल	0	487	1580
3	विजाग	29	103	1530
4	रोहतक	22	195	1700
5	दुर्ग	0	279	1530
6	बद्दी	6	9	1100
7	सितारगंज	21	60	1100
8	कानपुर	0	136	1100
9	पुडुचेरी	0	109	900
10	बेंगलुरू	18	83	600
11	इम्फाल	0	39	400
12	ग्रेटर नोएडा	0	0	360
13	कोच्चि (एर्नाकुलम)	0	0	100
14	पटना	0	0	0
15	श्रीपेरामबदूर	0	0	0
	कुल	**100**	**1688**	**14200**

तैयार साइटः

टीसी भिवाडी प्रचालन के लिए तैयार है। नीचे चित्र दिए गए हैं:

भिवाड़ी : प्रशिक्षण और उत्पादन ब्लॉक

भिवाड़ी : ऑडीटोरियम

भिवाड़ी : साइट का अवलेकन

भिवाड़ी : कार्यशाला

टीसी भोपाल :

भोपाल : साइट का अवलोकन

भोपाल : कार्यशाला

टीसीः पूदी (बीक्षर)	
पूदी : साइट का अवलोकन	*पूदी : कार्यशाला*
टीसीः रोहतक	
रोहतकः साइट का अवलोकन	*रोहतक : कार्यशाला*

3.2.11 रुफटाप सोलर पीवी इकाइयों का संस्थापन

सरकारी कार्यालयों में शीघ्र नवीकरणीय ऊर्जा के उद्देश्य, रूफटाप सोलर पीपी परियोजना विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के 11एमएसएमई–डीआई/टीसी में संस्थापित किए गए हैं। ब्यौरा निम्न तालिका में है:

क्र सं.	संस्थान का नाम
1	एमएसएमई विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर
2	एमएसएमई विकास संस्थान, करनाल
3	एमएसएमई विकास संस्थान, मुम्बई
4	एमएसएमई परीक्षण केन्द्र, मुम्बई
5	एमएसएमई विकास संस्थान, जयपुर

क्र सं.	संस्थान का नाम
6	एमएसएमई विकास संस्थान, आगरा
7	एमएसएमई शाखा विकास संस्थान, वाराणसी
8	एमएसएमई विकास संस्थान, कोलकाता
9	एमएसएमई विकास संस्थान, चेन्नई
10	एमएसएमई परीक्षण केन्द्र, चेन्नई
11	एमएसएमई विकास संस्थान, हलद्वानी

विशेषज्ञ फुटवियर तैयार करते हुए

3.2.12 दिव्यांगजनों के लिए पहुंचनीय भवन निर्माण हेतु की गई पहल

पहुंचनीय इंडिया अभियान के अंतर्गत 2.96 करोड़ रुपये की निधि दिव्यांगजनों के लिए पहुंचनीय भवन के निर्माण के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के 11 एमएसएमई विकास संस्थानय/ प्रशिक्षण संस्थानों को आवंटित की गई है। ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है:

क्र सं.	संस्थानों का नाम
1	एमएसएमई विकास संस्थान, रांची
2	एमएसएमई विकास संस्थान, त्रिशूर
3	एमएसएमई विकास संस्थान, इम्फाल

क्र सं.	संस्थानों का नाम
4	एमएसएमई विकास संस्थान, कानपुर
5	एमएसएमई विकास संस्थान, कोलकाता
6	एमएसएमई विकास संस्थान, बेंगलुरू
7	एमएसएमई विकास संस्थान, हलद्वानी
8	एमएसएमई विकास संस्थान, नई दिल्ली
9	एमएसएमई विकास संस्थान, लुधियाना
10	एमएसएमई परीक्षण केन्द्र, तिरुवल्ला
11	एमएसएमई विकास संस्थान, अगरतला

3.3 कयर बोर्ड

श्री प्रताप चन्द्र षड़गी, माननीय राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, 24 अगस्त, 2019 को कयर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में उद्घाटन भाषण देते हुए।

3.3.1 परिचय

कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ाने एवं इस परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कयर उद्योग अधिनियम 1953 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड एक सांविधिक निकाय है।

3.3.2 उद्देश्य

भारत, विश्व का सर्वाधिक कयर उत्पादन करने वाला देश है, जो विश्व में उत्पन्न होने वाले कुल कयर फाइबर का 80% से अधिक उत्पादन करता है। भारत में विविध कयर क्षेत्र हैं जिसमें घरेलू निर्माता, सहकारी समितियां, गैर–सरकारी संगठन, विनिर्माता एवं निर्यातक इत्यादि शामिल हैं। यह सुन्दर हस्त–निर्मित वस्तुओं, हस्तशिल्प एवं नारियल के छिलके से बने उपयोगी उत्पादों को बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है जो कि अन्यथा एक कचरे के रूप में होता है। कयर उद्योग लगभग 7.34 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है जिसमें अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और ये आर्थिक रूप से समाज के कमजोर वर्ग से संबंधित हैं। फाइबर निष्कर्षण एवं कताई क्षेत्र के कयर कामगारों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। कयर बोर्ड कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ाने एवं परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने का कार्य करता है।

3.3.3 कार्य

कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड के कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- कयर यार्न और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उस प्रयोजन के लिए प्रचार–प्रसार करना।
- कयर उत्पादों के विनिर्माता के रूप में कयर स्पिन्डल और करघों को पंजीकृत करके और कयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण में हस्क, कयर यार्न और कयर उत्पादों को विनियमित करना।

- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान को सहायता व प्रोत्साहन देना और एक या एक से अधिक अनुसंधान संस्थानों का रखरखाव और सहयोग करना।
- कयर उद्योगों के निर्माताओं और डीलरों तथा अन्य व्यक्तियों से आंकड़ों को एकत्रित करना जो कयर उद्योग से संबंधित किसी भी मामले और आंकड़ों के प्रकाशन हेतु इस प्रकार एकत्रित किए हों।
- फाइबर, कयर यार्न और कयर उत्पादों के निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर ग्रेड मानकों का निर्धारण करना।
- भारत और अन्य जगहों में नारियल हस्क, कयर फाइबर, कयर यार्न और कयर उत्पादों के विपणन में सुधार करना और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना।
- विद्युत की सहायता से कयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु कारखानों की स्थापना करना अथवा स्थापना में सहायता करना।
- हस्क, कयर फाइबर और कयर यार्न के उत्पादकों और कयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठन को बढ़ावा देना।
- हस्क, कयर फाइबर और कयर यार्न और कयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।
- कयर उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना।

3.3.4 संगठन

भारत सरकार ने दिनांक 22.02.2019 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.आ. 1019 (ई) के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए 12 सदस्यों के साथ कयर बोर्ड का पुनर्गठन किया।

- कयर बोर्ड में वर्तमान में कयर बोर्ड के अध्यक्ष सहित 13 सदस्य हैं।
- कयर बोर्ड का मुख्यालय कयर हाउस, एमजीआर रोड, कोच्ची, केरल में स्थित है।
- कयर बोर्ड भारत के विभिन्न भागों में स्थापित 29 शोरूम सहित 47 प्रतिष्ठानों को संचालित कर रहा है। बोर्ड के अधीन कुल कर्मचारियों की संख्या 280 है। (31.12.2019 की स्थिति अनुसार)

3.3.5 भारत में कयर उद्योग

3.3.5.1 कयर, हस्क से निष्कर्षण किया गया मोटा फाइबर है, जो नारियल की रेशेदार बाहरी परत होती है। नारियल रेशे से बनी रस्सी और डोरियों का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारतीय नाविक, जो मलाया, जावा, चीन और अरब की खाड़ी में सैकड़ों वर्षों पूर्व समुद्री यात्रा करते थे, अपने जहाज के लिए रस्सी के रूप में कयर का इस्तेमाल करते थे।

3.3.5.2 मैटिंग और अन्य फर्श की कवरिंग फैक्टरी आधार पर भारत में 150 वर्षों से भी पहले आरंभ की गई थी जब अलप्पुझा में वर्ष 1859 में पहली फैक्टरी स्थापित की गई थी।

3.3.5.3 कयर उद्योग एक कृषि आधारित पारंपरिक उद्योग है जो केरल राज्य में प्रारम्भ हुआ और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक राज्यों में इसे उगाया जाता

है। यह एक निर्यात उन्मुख उद्योग है जिसमें प्रौद्योगिकी इंटरवेशन के माध्यम से मूल्य वृद्धि के जरिए निर्यात बढ़ाने की अत्यधिक संभावना है।

3.3.5.4 कुल विश्व कयर फाइबर उत्पादन 12,25,089 टन (एफएओ सांख्यिकी बुलेटिन 2017) है। विकासशील विश्व के कुछ क्षेत्रों में कयर फाइबर विशेष तौर पर महत्वपूर्ण उद्योग माना जाता है। भारत में कयर का उत्पादन मुख्य रूप से केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में किया जाता है यहां पर सफेद कयर फाइबर के प्रमुख हिस्से का उत्पादन होता है। तमिलनाडु भारत में भूरे फाइबर का प्रमुख उत्पादक है। भारत विश्व में कयर आधारित उत्पादों का प्रमुख निर्यातक है।

पिछले 5 वर्ष के दौरान कयर का निर्यात (मात्रा और मूल्य)

वर्ष	मात्रा (एमटी)	मूल्य (रु. लाख में)
2014-15	626666	163033.77
2015-16	752020	190142.52
2016-17	957045	228164.82
2017-18	1016564	253227.84
2018-19	964046	272804.59
2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	764000	210000.00
2019-20 (अनुमानित मार्च 2020 तक)	1000000	300000.00

3.3.5.5 भारत से 5 शीर्ष कयर आयातक देश निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:

भारत से कयर के आयातक देश

क्र. सं	देश	मात्रा (टन में)	प्रतिशत (%)	मूल्य (रु. लाख में)	प्रतिशत (%)
1	चीन	354268	36.75	71505.98	26.21
2	यूएसए	122221	12.68	60134.19	22.04
3	नीदरलैंड	96982	10.06	24841.02	9.11
4	दक्षिण कोरिया	75186	7.80	11743.33	5.22
5	यू के	22192	2.30	11306.73	4.30

3.3.6 मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियां

3.3.6.1 मंत्रालय देश में कयर क्षेत्र के विकास के लिए अधिक महत्व देता आ रहा है। दिसम्बर, 2019 तक कुल 5,67,000 मीट्रिक टन कयर फाईबर का उत्पादन किया गया था जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7,49,600 मीट्रिक टन फाइबर हुआ था और 7.34 लाख व्यक्तियों के लिए संचयी रोजगार सृजित किए गए।

कयर उत्पादन

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20
कयर फाइबर उत्पादन (मी. टन)	5,42,000	5,49,300	5,56,900	5,59,400	7,49,600	**5,67,000** (दिसम्बर 2019 तक)	**7,52,000** (मिट्रिक टन में) (मार्च, 20 तक अनुमानित

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान कयर और कयर उत्पादों का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है:

वर्ष 2019–20 के दौरान कयर उत्पादों के उत्पादन में विकास

मद	2016-17 (मीट्रिक टन में मात्रा)	2017-18 (मीट्रिक टन में मात्रा)	2018-19 (मीट्रिक टन में मात्रा)	2019-20 (मीट्रिक टन में मात्रा) (दिसम्बर 2019 तक)	2019-20 (मीट्रिक टन में मात्रा) (मार्च 2020 तक अनुमानित)
कयर फाइबर	556900	559400	7,49,600	5,67,000	7,52,000
कयर यार्न	334200	335700	4,49,800	3,40,230	4,51,250
कयर उत्पाद	220500	221500	2,96,800	2,24,500	2,97,750
कयर रस्सी	66850	67150	90,000	68,080	90,300
कर्ल्ड कयर	66800	67100	89,900	68,000	90,200
रबड़युक्त कयर	89100	89500	1,19,900	90,700	1,20,000

जियो – टेक्सटाइल का उत्पादन

3.3.6.2 पिछले तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान कयर और कयर उत्पादों के अनुमानित उत्पादन में सतत रूप से वृद्धि हुई है। कयर उद्योग में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में वही प्रवृत्ति दिखाई गई है।

कयर उद्योग में रोजगार की राज्यवार प्रवृति

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (दिसम्बर 2019 तक)	2019-20 (मार्च 2020 तक अनुमानित)
केरल	4,70,788	4,72,100	4,72,961	474590	475077	475080	475750
तमिलनाडु	1,25,937	1,27,420	1,29,803	130862	132443	132445	133375
कर्नाटक	30,338	30,440	30,872	31159	31365	31365	31580
आंध्र प्रदेश	52,946	53,825	54,477	54670	55455	55455	55585
ओडिशा	17,210	17,535	17,760	18135	18421	18420	18490
अन्य	20,542	20,650	20,876	20965	21031	21180	21200

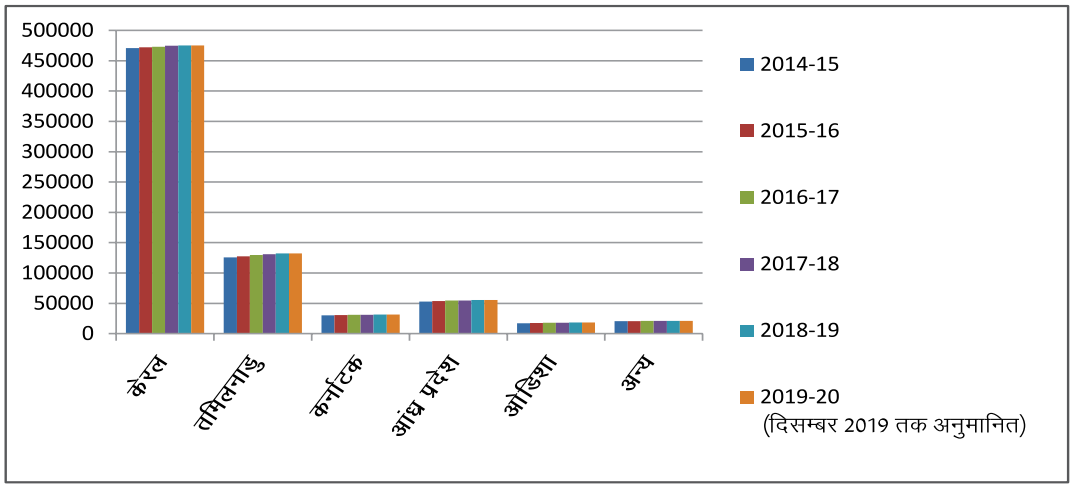

3.3.7 स्वच्छ भारत अभियान

- कयर बोर्ड ने केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देकर स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। बोर्ड वर्ष 2019–20 के लिए कई कार्य बिन्दुओं की अपनी कार्य योजना को कार्यान्वित कर रहा है।
- इसके अतरिक्त, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 16 से 30 जून, 2019 तक उपयुक्त रूप से स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन भी किया और सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्यकलापों के कैलेंडर के अनुसार बहुत से विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

3.3.8 कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

3.3.8.1 कयर विकास योजना (सीवीवाई)

देश में कयर उद्योग के समग्र विकास और वृद्धि के लिए कयर बोर्ड विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। अमब्रेला स्कीम, कयर विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित घटक स्कीमें/कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(I) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एस और टी)

कयर बोर्ड के अंतर्गत नवप्रवर्तनकारी अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का निपटान दो अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है– केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान, अल्लपी, केरल और कयर प्रौद्योगिकी केंद्रीय संस्थान, बैंगलुरू, कर्नाटक। इन कार्यकलापों में निम्नवत् क्षेत्र शामिल हैं (i) उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण, (ii) मशीनरी और उपकरणों का विकास, (iii) उत्पाद विकास और विविधता, (iv) पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास, (v) प्रद्यौगिकी अंतरण, (vi) इन्क्यूबेशन, (vii) परीक्षण और सेवा सुविधाएं आदि। अनुसंधान के परिणाम को प्रयोगशाला स्तर से फील्ड स्तर तक वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए विस्तार देना, बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में परीक्षण और सेवा सुविधाओं को विस्तार देना विशेष रूप से ध्यान दिए जाने वाले कुछ क्षेत्रों में शामिल हैं। कयर के विभिन्न उपयोगों का प्रमाणित रिकार्ड रखने वाले अनुसंधान संगठनों, संस्थाओं, यूनिवर्सिटियों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान करना, नए उत्पादों का विकास, नई मशीनरी, उत्पादन विविधिता, पर्यावरण अनुकूल प्राद्योगिकी का विकास, प्रौद्योगिकी अंतरण, इन्क्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएं प्रदान करना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में शामिल हैं।

रिपोर्ट के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान, इन संस्थानों ने निम्नवत उपलब्धियां अर्जित की हैं:

(i) सीसीआरआई की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को दर्शाने वाला एक मॉडल डेमो सेन्टर कयर बोर्ड परिसर, कलावूर में स्थापित किया गया है।

(ii) जियो–टैक्स्टाईल के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए पूर्णतः स्वचालित 2 एमटीआर पावर लूम "अनुग्रह–तेजस" का निर्माण प्रगति पर है।

(iii) 23 विभिन्न प्रकार के कयर उत्पादों का उत्पादन किया गया है और बोर्ड द्वारा आयोजित की गई विभिन्न प्रदर्शनियों में इन उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है और सीसीआरआई में आने वाली जनता और अखिल भारतीय स्तर पर संचालित प्रदर्शनियों में इन उत्पादों का प्रचार किया गया है।

(iv) रबड़ युक्त कयर की अग्निशमक क्षमताओं को और बेहतर बनाने के लिए अध्ययन किए गए हैं क्योंकि विभिन्न ट्रीटमेंटों द्वारा गलाने की क्रिया संपन्न की जाती हैं और केंद्रीय प्लॉस्टिक इंजीनियरिंग और प्राद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद में इस पर परीक्षण किए हैं।

(v) कयर बोर्ड ने दिनांक 24.08.2019 को भुवनेश्वर में "सरकारी विभागों में कयर उत्पादों के इकोलॉजीकल एप्लीकेशन" पर एक राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन किया था। इस सेमीनार का उद्घाटन श्री प्रताप चंद्र षड़गी, माननीय राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने किया। इस सेमीनार में विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई ।

(vi) श्री प्रताप चंद्र षड़गी, माननीय राज्यमंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ने आर्थिक लाभ हेतु कयर इकाइयों की स्थापना के लिए ओडिशा में कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अपेक्षित अवसंरचना की स्थापना द्वारा दिनांक 24.08.2019 को क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र (एलबीआई) का उद्घाटन किया।

(vii) वैल्लूर में दिनांक 28.09.2019 को एक प्रौद्योगिकी सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार के दौरान नए इन–हाउस और कयर बोर्ड की अनुसंधान एवं विकास पहलों पर 10 तकनीकी पेपरों का

प्रस्तुतीकरण किया गया। इस सेमिनार के संबंध में, दिनांक 28.09.2019 को वैलूर में कयर बोर्ड की नई पहलों के उद्घाटन के दौरान श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम ने निम्नवत नए अनुसंधान एवं विकास उत्पादों का शुभारंभ किया, (क) कोको वॉल पैनल, (ख) कोको प्रदर्शनी मैट, (ग) कयर पिथ ऑयल अवशोषक मैट, (घ) टैनरी अपशिष्ट और नारियल हस्क से लैदर कोको गास्केट, (ड.) टैनरी एफ्ल्युएंट और कयर पिथ से टैन पिथ कंपोस्ट, और (च) कैरियर के रूप में कयर पिथ के उपयोग से राईज़ो बैक्टेरिया (पीजीपीआर) की वृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्लांट के विकास हेतु बायो–उर्वरक।

(viii) कयर बोर्ड ने आईआईटी, चैन्नई में दिनांक 13 से 14 दिसम्बर, 2019 को अवसंरचना में कयर जियो टैक्सटाईलों के उपयोग के लिए अनुमति और सिफारिश करने हेतु "व्यावसायियों के साथ अवसंरचना परियोजनाओं में कयर जियो टैक्सटाईलों के अनुप्रयोगों और परियोजना निष्कर्षों पर बातचीत" पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया। विभिन्न अवधियों में कयर जियोटैक्सटाइलों की शुरूआत करने वाले विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां दी और संवाद के आधार पर आईआईटी मद्रास ने ढालों/किनारों और खदानों के स्पॉईल स्थिरिकरण में कटाव को नियंत्रित करने हेतु कयर जियोटैक्सटाईलों के उपयोग की सिफारिश की है।

(ix) विभिन्न अनुप्रयोग के लिए कयर बोर्ड के उपयोग के संवर्धन और लोकप्रियता के लिए, कयर बोर्ड ने बैंगलुरु में 23 जनवरी, 2020 को कयर वुड एंड वायवल प्रीप्लेसमेंट ऑफ प्लाईवुड एंड वुड इन बिल्डिंग एंड ट्रेक कंन्सट्रेक्शन पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित की। इस सेमिनार में कयर उत्पादों जैसे कयर जियो टैक्सटाईल, कयर वुड, कयर मैट्रेस, कयर पिथ आदि के उपयोग में माननीय प्रधान मंत्री के विज़न और श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के निदेशों के अनुसार बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया। कयर वुड/ कम्पोज्टिस उद्योग की बहुत सी इकाइयों की स्थापना रेलवे में कयर वुड का उपयोग बढ़ाने, तीव्र गति से आवास निर्माण कार्य करने के लिए उत्कृष्ट अवसर है। कयर वुड क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्तियों/ व्यावसायियों ने व्यापक स्तर पर व्यापार और उद्योग के लाभ के लिए कयर वुड, कयर पिथ आधारित उद्योगों, पॉलिमर प्रौद्योगिकी, आईपीआईआरटीआई आदि क्षेत्रों में तकनीकी पेपरों का प्रस्तुतिकरण किया।

(II) कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना

(i) प्रशिक्षण और विस्तार के माध्यम से कौशल उन्नयन

उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास कयर बोर्ड का एक प्रमुख कार्यकलाप है। इस उद्देश्य के साथ बोर्ड अपने राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्र केरल, जिला अलप्पूजा, कलावूर, अनुसंधान सह विस्तार केन्द्र, थंजावूर और देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड कयर कामगारों की सुविधा के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र नीति आयोग के दर्पण पोर्टल के साथ पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों और कयर गतिविधियों में लगे सहकारी समितियों/संघों और स्फूर्ति क्लस्टरों इत्यादि की सहायता से चलाया जाता है। बोर्ड के अधिकतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में वृत्तिका सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कयर क्षेत्र में उपलब्ध अपनी स्कीमों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर सूचना प्रसारित करने तथा भावी उद्यमियों को कयर इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के विचार से बोर्ड उद्यमिता विकास कार्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार, जागरूकता कार्यक्रम, एक्सपोजर टूर इत्यादि आयोजित करता है।

इस वर्ष के दौरान, दिनांक 30.12.2019 तक की रिपोर्ट के अंतर्गत, बोर्ड ने मूल्यवर्धित कयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए 1475 कयर कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। बोर्ड ने अपने क्षेत्रीय, उप–क्षेत्रीय कार्यालयों और देश भर में फैले अन्य कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से 20 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, 26 जागरुकता कार्यक्रमों, 24 कार्यशालाओं, 2 सेमिनारों और 4 एक्सपोज़र टूरों का आयोजन किया है।

(ii) महिला कयर योजना

महिला कारीगर के द्वारा कयर रस्सी विनिर्माण

महिला कयर योजना कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही महिला उन्मुखी, स्व–रोजगार स्कीम है। इस स्कीम में कयर प्रौद्योगिकी पर महिला कारीगरों को वृत्तिका सहित प्रशिक्षण प्रदान करने और महिला कयर कामगारों के कौशल को बढ़ाने की परिकल्पना है। प्रशिक्षित महिला कारीगरों को कयर बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन सहायता सहित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नई कयर इकाइयों को स्थापित करने के लिए पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत मशीनरी/उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है जिसकी अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रू. है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, उदाहरण के लिए 30.12.2019 तक, बोर्ड ने कयर यार्न की कताई और मूल्य–वर्धित उत्पादों के विनिर्माण में 1416 कयर कारीगरों को प्रशिक्षण दिया और शेष अवधि के दौरान बोर्ड ने इस स्कीम के अंतर्गत 784 कारीगरों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया है।

(III) निर्यात बाज़ार संवर्धन

निर्यात बाज़ार संर्वधन के अंतर्गत बोर्ड के कार्यकलापों में कयर निर्यातकों का पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और क्रेता–विक्रेता बैठकों में कयर क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराना, विदेशो में कार्यालयों की स्थापना, कयर उद्योग अवार्ड आदि शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, बोर्ड मौजूदा और नए बाज़ारों में भारतीय कयर उत्पादों का शेयर बढ़ाने, विदेश में पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक रेशे के रूप में कयर का प्रचार आदि के लिए प्रयास कर

कोकोनट हस्क

रहा है। बोर्ड विदेश के अंतराष्ट्रीय मेलों, भारत और विदेश में कयर के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेलों, कयर के लिए विदेश में क्रेता विक्रेता बैठकें, भारत में रिवर्स क्रेता–विक्रेता बैठकें, सेमीनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भागीदारी का आयोजन सुनिश्चित करता है। बोर्ड वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश करने और भारतीय कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य के साथ बाह्य बाज़ार विकास सहायता स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत, पात्र उद्यमियों को पात्रता की शर्तों और निर्धारित मात्रा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/क्रेता–विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए सहायता के रूप में जगह का किराया(स्पेस रेंट), वायु यान किराया, भाड़ा प्रभार आदि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

उपलब्धियां (अप्रैल से दिसम्बर, 2019 तक):

1. 71 इकाइयों का कयर निर्यातकों के रूप में पंजीकरण किया गया है और इन्हें पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाण पत्र ज़ारी किए गए हैं।

2. कयर बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत विदेश में निम्नवत दो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मेलों में भारत के कयर क्षेत्र से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित की है:–

   क) दिनांक 9 से 11 अक्टूबर, 2019 के दौरान गारडेक्स 2019, चीबा, टोक्यों, जापान में आयोजन किया।

   ख) दिनांक 6 से 8 नवम्बर, 2019 के दौरान आईएफटीएफ/आईएचटीएफ 2019, विज़फुहीज़ेन, हॉलैंड में आयोजन किया।

   ग) दिनांक 10 से 13 जनवरी, 2020 के दौरान आयोजित डोमोटैक्स अंतर्राष्ट्रीय मेला, हन्नओवर, जर्मनी।

   घ) दिनांक 28 से 31 जनवरी, 2020 के दौरान आईपीएम, इस्सेन, जर्मनी में आयोजन किया।

3. बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत विदेशी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में भारतीय कयर क्षेत्र से 38 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को 77,53,353/– रु. की प्रतिपूर्ति की।

4. शेष वर्ष के के दौरान निम्नवत अंतर्राष्ट्रीय विदेश मेलों में भारतीय कयर क्षेत्र की संगठित भागीदारी के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

i) दिनांक 7 से 11 जनवरी में एंबीएंटी, 2020, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में आयोजन किया।

ii) दिनांक 23 से 26 जनवरी को नॉर्थ कैलिफोर्निया, अमेरिका में आयोजित होने वाला आईईसीए वार्षिक सम्मेलन और एक्सपो।

(IV) घरेलू बाज़ार संवर्धन

कयर उत्पादों के लिए घरेलू बाजार विकास के लिए, बोर्ड प्रचार और प्रसार, मुख्य घरेलू प्रदर्शनी में भागीदारी, सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के माध्यम से विक्री को बढ़ाने के लिए कार्यनिष्पादन से संबंधित बाजार विकास सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न कार्यकलापों करता है। पूरे भारत में कयर उत्पादों के विपणन में बोर्ड के 30 शोरूम और बिक्री डिपो लगे हैं, इसमें माननीय प्रधान मंत्री के विज़न के अनुसार स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, गुजरात में एकता मॉल की एक दुकान शामिल है। बोर्ड गुजरात राज्य हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट विकास निगम लिमिटेड (जीएसएचएचडीसीएल) के नियंत्रणाधीन मॉल में विभिन्न सरकारी निकायों द्वारा दुकानों की स्थापना हेतु सफलता और विज़न को पूरा करने के लिए स्फूर्ति कयर क्लस्टरों समेत मास्टर कारीगरों द्वारा विनिर्मित सभी किस्मों के कयर हैंडीक्राफ्टों और हैंडलूम उत्पादों की प्रदर्शनी लगाता है। बोर्ड कयर उत्पादों के वार्षिक टर्नओवर का 10% की दर से बाज़ार विकास सहायता के रूप में कयर उत्पादक राज्यों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। व्यय को 1:1 आधार पर केंद्र एवं संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच साझा किया जाता है। बोर्ड प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार के माध्यम से कयर एवं कयर उत्पादों को लोकप्रिय भी बना रहा है। बोर्ड ने विपणन कार्यनीति में संशोधन किया है और 277 लाख रु. के व्यय के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 60 प्रदर्शनियों में भागीदारी सुनिश्चित की है। वर्ष 2019 के दौरान, बोर्ड ने प्रगति मैदान में आईआईटीएफ में भागीदारी की और सभी विशिष्ट कयर उत्पादों के प्रदर्शन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त किया है।

कयर मैट

(V) व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं

किसी उद्योग के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कयर उद्योग अधिनियम 1953 के अंतर्गत कयर बोर्ड को सौपें गए कार्यों में कयर उद्योग से संबंधित सांख्यिकी आँकड़ों का प्रसार और विश्लेषण, संकलन, संग्रह करना हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड कयर उद्योग का बाजार विश्लेषण अध्ययन, टैक्नोंइकॉनोमिक संभाव्यता अध्ययन, संकलन और कयर से संबंधित सूचना का प्रसार, बोर्ड कार्यालय में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम इत्यादि का सर्वेक्षण संचालित करता है। अब तक, 122 अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कयर इकाइयों के क्षेत्रीय दौरों आदि का प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 300 कयर कामगारों के लिए 6 एचआरडी ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का संचालन किया गया है।

(VI) कल्याणकरी उपाय

बोर्ड देश में कयर कामगारों के हित के लिए कयर बोर्ड कयर कामगार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम के रूप में प्रचलित एक बीमा स्कीम कार्यान्वित कर रहा था। दिनांक 01.06.2016 से आगे स्कीम को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में सम्मिलित कर दिया गया है। कयर बोर्ड कयर कामगारों की ओर से प्रिमियम का भुगतान करके स्कीम के अंतर्गत नामांकन करने हेतु देश में कयर कामगारों की सहायता करता आ रहा है।अब तक कयर बोर्ड द्वारा पीएमएसबीवाई स्कीम के अंतर्गत 44,634 कयर कामगारों का नामांकन किया गया है।

3.3.9 कयर क्षेत्र के आगे चुनौतियां:

भारत के कयर निर्यात क्षेत्र के समक्ष निम्नवत चुनौतियां आ रही हैं:

- सिंथेटिक रेशों समेत अन्य प्राकृतिक रेशों से प्रतिस्पर्धा।
- श्रीलंका वियतनाम आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा।
- चीन द्वारा रेशों के आयात में वृद्धि से कच्चे माल की कमी।
- अन्य क्षेत्रों की ओर परंपरागत और हैंडलूम क्षेत्र के कामगारों का पलायन।

3.3.10 कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई)

यद्यपि कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) को पीएमईजीपी के साथ एकीकृत कर दिया गया है परंतु मंत्रालय ने इस स्कीम के अंतर्गत विद्यमान दावों के निपटान के लिए सीयूवाई के अंतर्गत बजट अनुमान वर्ष 2019–20 में 2.00 करोड़ रु. की राशि को अनुमोदित किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान, बोर्ड ने इस स्कीम के अंतर्गत केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्य में 76 कयर इकाइयों की सहायता करने के लिए यथाअनुपात वित्तपोषक बैंकों से सामान्य श्रेणी के लिए 173.89 लाख रु. की राशि जारी की है।

वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न राज्यों में सहायता प्राप्त इकाइयां और ज़ारी सब्सिडी (दिसम्बर, 2019 तक)

राज्य	2019-20	
	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	ज़ारी सब्सिडी (लाख रु. में)
केरल	34	22.77
तमिलनाडु	26	103.12
आंध्र प्रदेश	4	14.00
कर्नाटक	5	20.00
ओडिशा	2	4.00
महाराष्ट्र	5	10.00
कुल	**76**	**173.89**

(वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान, कयर उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 कयर इकाइयों की सहायता के लिए 27.63 लाख रु. की सब्सिडी जारी करने के लिए बोर्ड ने प्रस्ताव किया।)

3.3.11 प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत कयर इकाइयां

संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, कयर उद्यमी योजना पीएमईजीपी में शामिल कर ली गई है और कयर बोर्ड को इस स्कीम के अंतर्गत कयर परियोजनाओं को चिन्हित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शामिल कर लिया गया है। अप्रैल, 2018 के बाद से 10 दिसम्बर, 2019 तक, केरल, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में पीएमईजीपी के अंतर्गत 35 कयर इकाइयों को 111.67 लाख रु. की मार्जिन राशि जारी की गई है, इसका ब्यौरा निम्नवत है:

राज्य	2019-20	
	सहायता प्राप्त इकाइयों की संख्या	ज़ारी सब्सिडी (लाख रु. में)
केरल	19	34ण्20
आंध्र प्रदेश	13	65ण्05
तमिलनाडु	2	11ण्31
ओडिशा	1	1ण्11
कुल	35	111ण्67

3.3.12. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)

कयर बोर्ड देश के नारियल उत्पादक राज्यों में कयर क्लस्टरों की स्थापना द्वारा इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक नोडल एजेंसी है। अब तक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कुल 139.25 करोड़ रु. की परियोजना लागत के साथ स्फूर्ति के अंतर्गत 40 कयर क्लस्टरों के लिए अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है, जिसमें से 115.20 करोड़ रु. की राशि भारत सरकार का अनुदान है। इन 40 अनुमोदित कयर क्लस्टरों में 2 विरासत, 19 बड़े, 11 मिनी और 8 नियमित क्लस्टर हैं। इन 40 कयर क्लस्टरों में से क्रमशः 14 तमिलनाडु में, 4 केरल में, 8 कर्नाटक में, 5 ओडिशा में, 4 आंध्र प्रदेश में, गुजरात और महाराष्ट्र में से प्रत्येक में 2 और 1 अंडमान और निकोबार केंद्रशासित प्रदेश में हैं।

मंत्रालय की योजना संचालन समित द्वारा वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 26.14 करोड़ रु. की परियोजना लागत के साथ कुल 6 बड़े स्फूर्ति कयर क्लस्टरों का अनुमोदन किया गया है। इन 6 कयर क्लस्टरों में से प्रत्येक का वित्तीय परिव्यय निम्नवत है:

योजना संचालन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन प्राप्त छह प्रमुख स्फूर्ति क्लस्टर

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	कयर क्लस्टर का नाम	स्फूर्ति के अंतर्गत कुल सहायता (भारत सरकार का अनुदान)	एसपीवी अंश	कुल परियोजना लागत
1	कर्नाटक	चैलूरू	413.69	38.55	452.24
2		कडालुरू	415.67	38.85	454.52
3		कोराटीगिरी	450.88	42.87	493.75
4		श्री गावि रंगानाथ स्वामी	442.20	40.80	483.00
5	आंध्र प्रदेश	काडियापुलंकी	377.29	33.90	411.19
6		अमलापुरम	313.94	27.44	341.38
कुल योग			2,413.67	222.41	2,636.08

उपरोक्त 6 नए क्लस्टरों में से प्रत्येक में प्रारंभिक कार्यान्वयन कार्य जैसे स्थानीय अनुमतियां प्राप्त करना, संयुक्त खाते खोलना, लाभार्थी शेयर का जुटाव, समझौतों का निष्पादन, कार्यान्वयन एजेंसी कार्यालय का शुभारंभ, क्लस्टर विकास कार्यकारी की नियुक्ति आदि प्रारंभ हो चुके हैं।

3 कयर क्लस्टरों अर्थात् केरल में निय्यट्टीनकारा और तमिलनाडु में कंगायम और पल्लाडम का उद्घाटन क्रमशः वर्ष 2017–18 और 2018–19 में किया गया है। वर्तमान में, इन क्लस्टरों ने कयर नीडल्ड फैल्ट, बागवानी वस्तुओं, कयर यार्न, जियो–टैक्सटाईल और कयर मैटिंग, कयर पिथ ब्लॉक, पिथ कंपोस्ट आदि जैसे मांग उन्मुखी कयर उत्पादों का वाणिज्यिक उत्पादन और निर्यात शुरू कर दिया है। अब, निम्नलिखित 13 अन्य क्लस्टरों (7 तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक प्रत्येक में 2 और गुजरात और महाराष्ट्र में प्रत्येक में 1) के सार्वजनिक सुविधा केंद्रों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

क्र. सं.	राज्य का नाम	कयर क्लस्टर का नाम	प्रकार
1	केरल	कुमता	लघु
2		हरिपद	बड़ा
3	गुजरात	संवेदना (एसटी क्लस्टर)	लघु
4	तमिलनाडु	डींडिगुल	बड़ा
5		तिरूनेलवेली कयर क्लस्टर	बड़ा
6		सेलम कयर मैट कंर्सोटियम	बड़ा
7		धर्मापुरी	लघु
8		इथामोज़ी	लघु
9		मदुरै	बड़ा
10		पोलाची (दक्षिण)	विरासत
11	कर्नाटक	कुमता	लघु
12		हरलकट्टा	लघु
13	महाराष्ट्र	पेंडुर	लघु

वित्त वर्ष 2015–16, 2016–17, 2018–19 और 2019–20 के दौरान उपर्युक्त क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के अनुदान के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 82.125 करोड़ रु. ज़ारी किए हैं। इनमें से, इस मंत्रालय ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान 14.26 करोड़ रु. ज़ारी किए हैं। 82.125 करोड़ रु. की कुल ज़ारी राशि में से, बोर्ड ने क्लस्टरों को अब तक 43.97 करोड़ रु. ज़ारी किए हैं ताकि डीपीआर में निर्धारित कार्यकलापों जैसे कि सार्वजनिक सुविधा केंद्र (सीएफसी) और कार्यान्वयन एजेंसी कार्यालय की स्थापना, मशीनरी की खरीद, विपणन पहलों, जागरुकता कार्यक्रमों आदि जैसे सॉफ्ट इंटरवेशनों आदि का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

3.3.13 कयर बोर्ड को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता

3.3.13.1 भारत सरकार योजना और गैर–योजना शीर्ष के अंतर्गत अपने विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए कयर बोर्ड को निधियां प्रदान करता है। विगत पांच वर्षों के दौरान कयर बोर्ड को प्रदान की गई बजटीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

(करोड़ रुपय में)

वर्ष	आबंटन (संशोधित अनुमान)		जारी निधियां	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
2014-15	41.90	26.75	38.58	26.60
2015-16	34.90	23.95	31.55	23.73
2016-17	37.00	35.85	35.04	35.70
2017-18	70.20	0.10	58.89	0.10
2018-19	81.93#	0.10*	81.93	0.10*
2019-20	72.92	0.42*	63.43 (दिसम्बर 2019 तक)	0.00*

 # वर्ष 2108–19 के दौरान संशोधित अनुमान में संशोधन किया गया। अंतः आंकड़े संशोधित आरई दर्शाते हैं।

**वित्तीय वर्ष 2017–18 से गैर योजना घटक को सीवीवाई के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। इसलिए आंकड़े केवल ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत आबंटन दर्शाते हैं।*

3.4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

3.4.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। एनएसआईसी देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन, सहायता तथा विकास के काम में लगा हुआ है।

3.4.2 उद्देश्य

एनएसआईसी का उद्देश्य ''विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता और संवर्धन करना हैं।

एनएसआईसी का विजन देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को पोषित करने वाला प्रमुख संगठन बनना है।''

3.4.3 संगठन

निदेशक मंडल में एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक; दो कार्यकारी निदेशक; दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन गैर–सरकारी अंश–कालिक निदेशक होते हैं।

एनएसआईसी देश भर में कार्यालयों और तकनीकी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालन करता है। एनएसआईसी ने प्रशिक्षण–सह–इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की है और इसमें बड़ी तादाद में व्यावसायिक कर्मचारी तैनात हैं और साथ ही यह एमएसएमई क्षेत्र की जरुरतों के अनुसार सेवाओं का पैकेज भी उपलब्ध कराता है।

3.4.4 मुख्य गतिविधियाँ और उपलब्धियां

3.4.4.1 विपणन सहायता: विपणन की व्यवसाय विकास के लिए अधिक महत्वपूर्ण टूलों के रूप में पहचान की गई है। एनएसआईसी एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है और इसने घरेलू और विदेशी दोनों बाजार में विपणन प्रयासों में उद्यम सहायता के लिए कई स्कीमें बनाई हैं। एनएसआईसी इसे निम्नलिखित माध्यम से प्रमुखता से करता है:

क) कच्चे माल का वितरण––

I. एनएसआईसी कच्चा माल अपेक्षित मात्रा में किफायती और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर समय पर वितरित करके और उनकी धीमी अपेक्षाओं को पूर्ण करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के विकास में प्रमुख प्रेरक की भूमिका निभाता है। यह न केवल एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है बल्कि उनके व्यवसाय बढ़ाने में योगदान देता है।

II. वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, एनएसआईसी ने मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) एवं मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) से लोहा एवं स्टील, मैसर्स राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) से एल्युमिनियम, मैसर्स चेन्नै पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (सीपीसीएल) से पैराफिन वैक्स, मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयला, मैसर्स इंडियन ऑयल निगम

लिमिटेड (आईओसीएल) से पीपी, एचडीपीई एवं एलएलडीपीई जैसै पॉलीमर उत्पादों, मैसर्स भारतीय सीमेंट निगम (सीसीआई) और मैसर्स एसीसी सीमेंट से सीमेंट की आपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कच्चे माल की जरूरतों के लिए सेवा प्रदान की। एमएसएमई को और सुविधा देने और इनकी कच्चे माल की बाध्यताओं को दूर करने के लिए एनएसआईसी ने 37 बल्क उत्पादकों/ आपूर्तिकर्ताओं उदाहरणार्थ ओम स्टील, पोस्को स्पेशल स्टील और पनयाम सीमेंट आदि के साथ एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए व्यवस्थाओं/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

III. इस कॉरपोरेशन ने अपनी "एजेंसी बिक्री स्कीम" के अंतर्गत गुवाहाटी में नए वितरण केंद्रों को खोलकर अपनी बिटूमिन और इमल्शन सामग्री के रखरखाव हेतु अन्य प्रमुख उत्पादक अर्थात मैसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को शामिल किया है। इसके साथ ही, निगम के पास देश भर में 49 कच्चा माल वितरण केंद्र हैं।

IV. वर्ष 2018–19 के दौरान, आरएमडी (एजेंसी सेल्स सहित) के अंतर्गत कच्चे माल का वितरण मूल्य 1856.69 करोड़ रू. है।

V. वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान (31 दिसम्बर, 2019 तक) कच्चे माल का वितरण 543473 मीट्रिक टन था और कच्चे माल का वितरण मूल्य (एजेंसी विक्रय समेत) 753420 लाख रु. था तथा कच्चा माल वितरण (एजेंसी सेल समेत) के अंतर्गत शेष माह के दौरान अनुमानित उपलब्धियां 216075 मीट्रिक टन थी और कच्चे माल का वितरण मूल्य 278961 लाख रु. था।

ख) कन्सोर्टिया और निविदा विपणन–

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) बड़े आर्डर प्राप्त करने में बाधाओं का सामना कर रहे हैं जब वे बड़े उद्यमों के सामने अपनी क्षमता पर निविदा हेतु बोली लगाते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए एनएसआईसी ऐसे उत्पादों की लघु विनिर्माण इकाई को भागादारी बनाता है जिससे उनकी क्षमता में पूलिंग होती है जो आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को भी लाभ प्रदान करता है। निगम एमएसई की भागीदारी की ओर से निविदाओं के लिए आवेदन करता है और यह अत्याधिक मात्रा के लिए आर्डर भी प्राप्त करता है। इन आर्डरों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार एमएसई में वितरित किया जाता है।

निविदा विपणन स्कीम के अंतर्गत, एनएसआईसी निविदा में भागीदारी से लेकर निविदा निष्पादित होने तक निविदा कार्यकलाप के प्रत्येक स्तर पर सुविधा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, इस कॉरपोरेशन ने 615.65 करोड़ रु. मूल्य के 823 टेंडरों में हिस्सा लिया और 317.90 करोड़ रु. के टेंडर प्राप्त किए तथा 280.48 करोड़ रु. के टेंडर निष्पादित किए।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान (दिसम्बर, 2019 तक) दो कंसोर्टिया के निर्णाण द्वारा कॉरपोरेशन ने 151.94 करोड़ रु. के मूल्य के टेंडरों का निष्पादन किया।

3.4.4.2 क्रेडिट सहायता:

एनएसआईसी बैंक गारंटी के बदले में कच्चा माल सहायता स्कीम में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चा माल प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) में क्रेडिट सहायता प्रदान करता है। एनएसआईसी निविदा विपणन, निर्यात और बिल रियायत जैसी स्कीमों के अंतर्गत एमएसएमई को सहायता प्रदान करके वित्त की सुविधा भी देता है।

इसके अलावा, एनएसआईसी ने एमएसएमई इकाइयों की क्रेडिट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। हालांकि इन बैंकों के साथ समूहन से एनएसआईसी एमएसएमई को किसी लागत के बिना बैंकों से (निधि अथवा गैर निधि आधारित सीमा) क्रेडिट सहायता का प्रबंध करता है।

इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने ऑनलाइन वित्त सुविधा केंद्र शुरू किया है जिसके तहत एनएसआईसी पोर्टल और बैंक पोर्टल के बीच वेब लिंकेज के माध्यम से एमएसएमई को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई इकाई या तो सीधे www.nsicffconline.in लॉग इन कर सकते है अथवा ऋण प्रस्ताव सहित अपने नजदीकी एनएसआईसी वित्त सुविधा केन्द्र से भी सम्पर्क कर सकते है। वित्त सुविधा केन्द्र के अधिकारी एमएसएमई इकाई द्वारा विकल्प चुने गए किसी तीन अधिमानित बैंकों को ऋण प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजीकरण में इकाई की सहायता करके पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करेंगे हैं जोकि एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन है।

वर्ष 2018–19 के दौरान 6912 करोड़ रु. की ऋण सुविधाएं दी गई और वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 में दिसम्बर, 2019 तक यह आंकड़ा 3525.73 करोड़ रु. है।

3.4.4.3 एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एस पी आर एस)

एनएसआईसी सरकारी निविदाओं में भागीदारी के लिए एमएसई के क्षमता निर्माण के लिए सरकारी खरीद हेतु एकल बिन्दु पंजीकरण संचालित करता है और यह सरकारी लोक प्रापण प्रक्रिया में योगदान करता है। एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयां सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक प्रापण नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान, इस स्कीम के अंतर्गत 4,850 नई इकाइयां जोड़ी गईं और 7,333 इकाइयों का नवीकरण किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 (31 दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान, 3256 नई एमएसई का पंजीकरण किया गया और 5690 एमएसई का नवीकरण किया गया है।

3.4.4.4 एनएसआईसी एमएसएमई ग्लोबल मार्ट वेब पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से ई–विपणन सेवा भी प्रदान करता है। एनएसआईसी विपणन पोर्टल देश भर के एमएसई को उनका व्यवसाय बढ़ाने के लिए ई–विपणन मंच प्रदान करता है। पोर्टल पर पंजीकृत सदस्यों की सतत भागीदारी जो उप–संविदा करने और लोक प्रापण में भागीदारी के अनुसार व्यवसाय के अवसर तलाश रहे हैं, को एक विस्तृत डेटाबेस प्रदान करता है। दिसम्बर, 2019 के अंत तक, बी2बी पोर्टल के अंतर्गत 16897 इकाइयों का नामांकन किया गया है और 6.58 करोड़ रु. का राजस्व सृजन किया गया।

3.4.4.5 एनएसआईसी प्रौद्योगिकी सेवा केंद्र

एनएसआईसी अपने 8 ''तकनीकी सेवा केन्द्रों'' ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद (तेलंगाना), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), राजकोट (गुजरात), चेन्नै (तमिलनाडु), राजपुरा (पंजाब), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) एवं नीमका (हरियाणा) के माध्यम से प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान करता है और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल विकास की सुविधा प्रदान करता है। ज़ारी कार्यक्रमों को मज़बूत बनाने के उद्देश्य से, केंद्रों को "ज्ञान भागीदार" के रुप में विभिन्न उद्योग के साथ संबंद्ध किया गया। विभिन्न केंद्रों में चलाए जा रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निम्नवत है:

i) **डिजाइनः** कैड/कैम, कम्प्यूटर समर्थित इंजीनियरिंग (सीएई), सीएनसी प्रोग्रामिंग और कार्यान्वयन, कम्प्यूटेशनल फ्लुड डाईनेमिक्स (सीएफडी), मोल्ड डिजाइन, सोलिड वर्क, 3डी प्रिन्टिंग, इंटीरियर डिजाइन और एसटीएएडी प्रो और रेविट के माध्यम से प्रशिक्षण।

ii) **यांत्रिकः** टूल डिजाइन और एडवान्स विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं जांच, एचवीएसी डिजाइन, मेकेनिस्ट एंड वेल्डिंग इत्यादि।

iii) इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्सः औद्योगिक रोवोटिक्स, पीएलसी–एससीएडीए के साथ ऑटोमेशन, इम्बेडिड सिस्टम, सोलर ऊर्जा, इलैक्ट्रिक सर्किट और उप–स्टेशन रखरखाव, मोटर वाईडिंग एवं रिपेयर, मेकाट्रॉनिक्स इत्यादि।

iv) सूचना प्रौद्योगिकीः एडवांस सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग 'ओ' लेवल, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग लेंग्वेज, वेबसाईट डिजाइन एवं विकास, बिग डेटा एवं हाडूप, पायथन, एसक्यूएल सर्वर, कोर जावा, एमसीपी–सीसीएनए, एनड्रायड एप्लीकेशन, एडवान्सड जावा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, सी++ एवं ओओपीएस, कम्प्यूटरीकृत अकांटिंग एवं टेली ईआरपी इत्यादि।

एनएसआईसी त्वरित इन्क्यूबेसन केन्द्रों के माध्यम से उत्पाद विनिर्माण आरंभ करने के लिए भावी उद्यमियों और स्टार्ट– अप कम्पनियों को सहायता प्रदान करता है। ये इन्यूबेशन केन्द्र विपणन, व्यवसाय विकास परियोजना रिपोर्ट तैयार करने इत्यादि जैसे व्यवसाय के सैद्धान्तिक पहलुओं को कवर करते हुए और कार्यकारी परियोजनाओं पर प्रशिक्षण की सहायता भी प्रदान करते हैं। एनएसआईसी ने देवरिया (उत्तर प्रदेश), राजकोट (गुजरात), काशीपुर (उत्तराखंड), नैनी (उत्तर प्रदेश), नवादा (बिहार) और चेन्नै (तमिलनाडु) स्थित छ आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरस इस मंत्रालय की नवप्रवर्तन, उद्यमिता और कृषि उद्योग संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के अंतर्गत स्थापित किए हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान, विभिन्न तकनीकी केंद्रों के माध्यम से 41,201 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है जबकि वर्ष 2019–20 (31 दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान, इन केद्रों से 39103 व्यक्ति उत्तीर्ण हुए हैं।

3.4.4.6 उद्यमिता उन्मुखीकरण कार्यक्रमः उद्यमिता उन्मुखी कार्यक्रम (ईओपी) का उद्देश्य छात्रों को उनके अध्ययन पूर्ण होने के उपरांत रोजगार तलाशने के स्थान पर नए उद्यम स्थापित करने के लिए जागरूक करना है। यह कार्यक्रम आयकर, जीएसटी इत्यादि जैसी विभिन्न वैधानिक अपेक्षा संबंधी मामलों तथा विपणन सम्भावनाओं की पहचान करने,

परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया, भारतीय अर्थव्यवस्था के एमएसएमई का महत्व और भूमिका के बारे में भागीदारों को परिचित करना है। विवरण http://www.nsic.co.in/NTSC/EOP.aspx पर उपलब्ध है।

3.4.4.7 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग– उद्यम स्तर पर कार्यकलापों का केन्द्र बिन्दु उद्यमी है तथा इसका उद्देश्य भारतीय लघु उद्योगों और विदेशों में उद्यमों के मध्य सतत उद्यम से उद्यम सहयोग और दीर्घ कालिक उद्यम को आरंभ करना है। इसे दोनों देशों के उद्यमों के बीच आमने–सामने व्यवसाय बैठकें आयोजित करने और व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान–प्रदान करके प्राप्त किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विभिन्न देशों के साथ व्यवसाय/प्रौद्योगिकी मिशनों का आदान–प्रदान करना, उद्यम से उद्यम सहयोग में सुविधा देना, प्रौद्योगिकी अंतरण, सतत सहयोग के अन्य रूप में नए बाजारों की खोज करना, सहयोग के क्षेत्र, विदेशों में प्रदर्शनियों में भागीदारी द्वारा नए निर्यात बाजारों की पहचान करना, अन्य विकसित देशों के साथ भारतीय अनुभवों को साझा करना शामिल है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मुख्य उद्देश्य अन्य देशों के उद्यमियों के साथ व्यवसाय संबंध बनाना अथवा तकनीकी विकास के लिए अवसरों के बारे में भारतीय एमएसएमई के मध्य जागरूकता सृजित करना है। शुरू किए गए कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना

i) **एनएसआईसी ने एसएमई कॉर्प मलेशिया:** दो देशों के बीच एमएमएमई के क्षेत्र मे सहयोग के लिए एनएसआईसी और एसएमई कॉर्प के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ii) **एनएसआईसी ने एसबीसी, दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:** एनएसआईसी ने भारत और दक्षिण कोरिया के एमएसएमई के बीच सहयोग में वृद्धि करने के लिए दक्षिण कोरिया की लघु और मध्यम बिजनिस कॉरपोरेशन (एसबीसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

iii) **एनएसआईसी में भारत कोरिया प्रौद्योगिकी एक्सचेन्ज केन्द्र स्थापित किया:** भारत–कोरिया प्रौद्योगिकी विनिमय सेंटर (आईकेटीईसी) का उद्घाटन श्री गिरराज सिंह, तत्कालीन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार और श्री जोंग हाक होंग, माननीय मंत्री एसएमई और स्टार्ट–अप, दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा दिनांक 10 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली के एनएसआईसी तकनीकी सेंटर में किया गया। आईकेटीईसी भारत की एमएसएमई और दक्षिण कोरिया उद्यमों की सहायता करेगी ताकि इनकी प्रतिपूरक क्षमताओं में बढ़ोत्तरी हो और ये वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनी रहें।

iv) **एनएसआईसी ने मारोक–पीएमई, मोरक्को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:** एनएसआईसी ने दोनो देशों के बीच एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करने के लिए मोरक्को स्थित मोरक्को पीएमई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों संगठन क्षमता विकास, कार्य करने के तरीके साझा करने, बी2बी बिजनिस प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन करने आदि क्षेत्रों में मिल कर काम करेंगे।

v) **एनएसआईसी ने आरएसएमबी, रूस के साथ सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए:** एनएसआईसी ने दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग कायम करने के लिए आरएसएमबी, रूस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर रूस के माननीय राष्ट्रपति श्री विलादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, एनएसआईसी और आरएसएमबी रूस दोनों देशों की एमएसएमई को और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहयोग एवं अनुभव साझा करने का काम करेंगे और इनके बीच संपर्क भी कायम किए जाएंगे।

3.4.4.8 एनएसआईसी का व्यवसाय कार्य–निष्पादन

एनएसआईसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 को दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सुविधा प्रदान करने के प्रयास जारी रखे हैं और उन्हें एकीकृत सहायता सेवाओं सहित विपणन क्रेडिट, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाएं भी प्रदान की गईं।

वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 और 2019–20 (दिसम्बर तक) के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित कर पूर्व और करोपरांत लाभ तथा सकल मार्जिन नीचे तालिका में दर्शायी गयी है:

(रु. लाख में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31, दिसम्बर, 2019 तक)
सकल मार्जिन	37,710	36,744	29115	22845	32109
कर पूर्व निवल लाभ	15,695	16,507	15205	6342	8579
घटाकर: कर के लिए प्रावधान	5,549	5,867	5289	4280	2159
करोपरांत निवल लाभ	10,146	10,640	9927	2062	6420

सरकारी खरीद वर्ष 2018–19 के दौरान सरकार की खरीद स्कीमों से 14.14 करोड़ रु. का राजस्व अर्जित हुआ था और वर्ष 2019–20 (दिसम्बर 2019 तक) के दौरान यह आंकड़ा 10.37 करोड़ रु. रहा।

3.5 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकीकरण संस्थान (एमगिरी)

3.5.1 मौजूदा जमनालाल बजाज केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (जेबीसीआरआई), वर्धा का पुनरोद्धार, अक्तूबर, 2008 में एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से किया गया जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकीकरण संस्थान (एमगिरी) कहा गया है।

3.5.2 उद्देश्य

इसके संगम ज्ञापन में यथा वर्णित इस संस्थान के मुख्य उद्देशयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकीकरण को तीव्र बनाना ताकि केवीआई सैक्टर मुख्य धारा के साथ सह –अस्तित्व में रहे।
- व्यवसायियों और विशेषज्ञों को ग्राम समाज की ओर आकर्षित करना।
- परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाना।
- पायलट अध्ययन/क्षेत्रीय परीक्षणों के जरिए नवप्रवर्तन।
- स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास।

3.5.3 कार्य

एमगिरी के क्रियाकलाप, इसके 6 प्रभागों द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद है।

i) **रसायन उद्योग प्रभाग:** इस प्रभाग का मुख्य फोकस, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खाद्यों और ग्रामीण रसायन उद्योगों के अन्य उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता सचेतनता और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। यह एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता भी उपलब्ध कराता है और इस क्षेत्र के कुटीर और लघु स्तरीय इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय योग्य किट्स, तकनीकें और प्रौद्योगिकियां विकसित करने के प्रति कार्य कर रहा है।

ii) **खादी और वस्त्र प्रभाग:** इस प्रभाग द्वारा मुख्यतः किए गए कार्यकलाप, नई प्रौद्योगिकियां आरंभ करके और गुणवत्ता आश्वासन सहायता उपलब्ध कराकर खादी संस्थाओं में विनिर्मित उत्पादों की उत्पादकता, मूल्य वर्धन और गुणवत्ता में सुधार करना है। पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और पद्धति की सुविधा के लिए भी कार्य करता है।

iii) **बायो प्रौसेसिंग और हर्बल प्रभाग:** यह प्रभाग, ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों, जैव–ऊर्वरकों और जैव–पेस्टीसाइडस कृमिनाशियों का उत्पादन और उपयोग सुसाध्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज और सरल गुणवत्ता आश्वासन पद्धतियां तैयार करता है। यह अनुभाग 'पंचगव्य' और उनकी गुणवत्ता आवश्यक प्रक्रिया तथा सुविधा प्रयोग हेतु नए सूत्र विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

iv) **ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना प्रभाग:** इस प्रभाग के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि यह प्रभाग ग्रामीण उद्योगों की सुविधा के लिए, ऊर्जा के सामान्यतः उपलब्ध नवीकरणयोग्य संसाधनों का उपयोग करके उपयोग से पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियां विकसित करना अनिवार्य हो गया है और परंपरागत उद्योगों की लेखा परीक्षा भी करता है ताकि ऊर्जा दक्ष बनाया जा सके।

v) **ग्रामीण शिल्प और इंजीनियरी प्रभाग:** यह प्रभाग, ग्रामीण कारीगरों के कौशलों, सृजनात्मकता और उत्पादकता उन्नत करने में सहायता करने और उनके उत्पादों का मूल्य वर्धन तथा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए है।

vi) **प्रबंधन एवं पद्धति प्रभाग:** यह प्रभाग उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्रामीण उद्योगों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधन उपलब्ध कराता है।

3.5.4 संगठन

एमगिरी में एक जनरल काउन्सिल (जीसी) है, जिसमें अधिकतम 35 सदस्य हैं और जीसी के अध्यक्ष माननीय केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार हैं और एक कार्यकारी परिषद (ईसी) है जिसमें अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं और सचिव, एमएसएमई, भारत सरकार अध्यक्ष होते हैं। इस संस्थान के निदेशक, जीसी तथा ईसी दोनों के सदस्य सचिव हैं।

श्री नितिन जयराम गडकरी, केन्द्रीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और सड़क परिवहन और राजमार्ग, 22.11.2019 को अपने दौरे के दौरान नागपुर में 'एग्रो–विज़न' प्रदर्शनी को निहारते हुए। निदेशक एमगिरी ने एमगिरी प्रोद्योगिकियों के बारे में संक्षेप में अवगत कराया।

3.5.5 वर्ष 2019–20 के मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियां

3.5.5.1 इस संस्थान के कर्मचारियों ने 29 राष्ट्रीय सेमिनारों/ अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों, सम्मेलनों, और कार्यशालाओं में वैज्ञानिक समुदाय और केवीआई सेक्टर के बीच अनुसंधान कार्य, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रौद्योगिकी जागरुकता और ज्ञान साझा करने के प्रस्तुतीकरण हेतु भागीदारी की है।

3.5.5.2 एमगिरी ने एमगिरी प्रौद्योगिकीयों, उत्पादों और सेवाओं के बारे में जागरुकता सृजन के लिए 06 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की प्रदर्शनियों, एक्सपों, खादी फेस्ट, एग्रो विजन, और आईआईटीएफ 2019 में भागीदारी की है।

3.5.5.3 तीन (03) अनुसंधान पेपरों को राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित किया गया है।

3.5.5.4 ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए 13 मशीनों/ उत्पादों/ प्रक्रियाओं/ पर कार्य प्रगति पर है, इनमें यूवी प्रोटेक्टिव /खादी कपड़ो की पीसीएम फिनिशिंग, एमगिरी संशोधित नए चरखा का सौरीकरण, पोर्टेबल कॉम्पैक्ट अर्ध स्वचालित जैक का विकास, चरखे पर हैंप रेशे की कताई, मधुमक्खी परागंण के लिए सौर ड्रायर का विकास, मौजूदा धूप–बत्ती मशीन में कटाई प्रणाली में सुधार, एक्वा कृषि और मुर्गीपालन फीड सप्लीमेंट के लिए मुर्गीपालन अपशिष्ट मीट पदार्थों का विकास, सौर ऑरेंज ग्रेडिंग मशीन, संपूर्ण गेहूं मल्टीग्रेन पोषक बिस्कुट, प्रोबायोटिक पाम गुड़, मेरीगोल्ड पुष्पों के अपशिष्ट से बना प्राकृतिक डाई और बकरी के दूध का साबुन और बकरी के दूध पर आधारित स्किनकेयर लिक्विड शामिल हैं।

3.5.5.5 वाणिज्यिकरण के लिए यूएएम पंजीकृत एमएसएमई के लिए एमगिरि में विकसित 10 प्रौद्योगिकियों का प्रचार।

जनवरी, 2020 में सभी यूएएम पंजीकृत एमएसएमई के साथ एमगिरि की निम्नलिखित 10 सुविकसित प्रौद्योगिकियों का प्रचार किया गया। वाणिज्यिकरण के लिए इन प्रौद्योगिकियों को लेने के लिए उद्योगों से बड़े प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं:

- पायलट कार्डिंग मशीन: यह मशीन वस्त्र स्पिनिंग क्षेत्र के साथ–साथ खादी क्षेत्र के बाजार को कवर कर सकती है। वस्त्र स्पिनिंग उद्योग में यह नमूना विकास के लिए प्रयोग की जाएगी और खादी क्षेत्र में यह फीड चरखा क्लस्टर के लिए पूनी संयंत्र के रूप में प्रयोग की जाएगी।
- पायलट देसी वूल रूविंग मशीन: यह विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी क्षेत्र में वूल चरखा क्लस्टर विकास के लिए खादी क्षेत्र में उपयोगी है।
- हांक डाईंग मशीन: यह एक समान रंग के लिए हांक में खादी कॉटन यॉर्न डाईंग के लिए उपयुक्त है। यह कॉटन यार्न हांक डाईंग के लिए कम लागत की मशीन है, डाई के लिए मल्टी – हिटिंग सिस्टम उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए वहां निर्वाध डाईंग होगी और यह मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है। डाईंग के अलावा इस मशीन में स्कोरिंग, ब्लीचिंग, डिसाईजिंग, धुलाई और साबुन लगाया जा सकता है।
- बेकार मानव बाल से एक नोवल संयंत्र बूस्टर (अमीनो एसिड मिश्रण): यह पर्यावरण अनुकूल है; पारिस्थितिकी तंत्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं, सभी प्रकार के कीटनाशकों के अनुकूल, आसान एप्लीकेशन और रसायनिक उर्वरकों को कम करना, उच्च लाभ मार्जिन और सभी फसलों के लिए परिणाम उन्मुख उत्पाद।
- पंचगव्य आधारित उत्पाद (प्लोर – क्लीनर, धूपबत्ती, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की कॉइल): यह पर्यावरण अनुकूल, प्राकृतिक संसाधनों जैसे: गाय का गोबर, गाय घी, जडी बूटियों और आवश्यक तेलों का प्रयोग करके कम लागत का उत्पाद है।
- हल्दी पोलिशिंग मशीन: यह हल्दी के मूल्य संवर्धन के लिए कम लागत की साधारण प्रौद्योगिकी है।
- अपशिष्ट संग्रह गाड़ी: यह घरेलू कचरा प्रबंधन के लिए उपयुक्त नवप्रवर्तनकारी कम लागत की प्रौद्योगिकी है।

- कम लागत की पग मिलः इमसें संभावनाएं हैं, जहां पर पोटरी क्लस्टर में वृद्धि हो रही है, वही पग मिल नीरसता कम करने और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- हस्तनिर्मित साबुन और डिटर्जेंट (पारदर्शी साबुन, बकरी का दूध आधारित साबुन, डिटर्जेंट (ग्रेड–I और II) कम लागत वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी है।
- धूपबत्ती मशीन में नीरशता कम करने और उत्पादकता बढ़ाने की संभावना है और ग्रामोद्योगों द्वारा अपनाई जा सकती है।

3.5.5.6 **एमगिरी** ने उद्यम विकास और कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, प्रक्रियाओं, डिजाइन आदि के प्रसार हेतु 450 विभिन्न उम्मीदवारों और मौजूदा उद्यमियों, एनजीओ प्रतिनिधियों, फील्ड एजेंसियो, कारीगरों, छात्रों, किसानों, स्व–सहायता समूहों आदि को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

3.5.5.7 विभिन्न केवीआईसी क्षेत्रों में स्थित 2000 खादी संस्थाओं को 'खादी की कताई के लिए गुणवत्ता दिशानिर्देशों' की नियमावली की प्रति परिचालित की गई है। एमगिरी ने केवीआई संस्थाओं, उद्यमियों, छात्रों, किसानों आदि जैसी 28 विभिन्न एजेंसियों को गुणवत्ता परीक्षण और दिशानिर्देश दिए गए हैं।

3.5.5.8 एमगिरी ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत परिसर में स्वच्छता कायम की, इसमें जलापूर्ति और मुत्रालयों, शौचालयों आदि में सफाई की गई। 'प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध' के प्रति जागरुकता कार्यक्रम और वर्मी कंपोस्ट इकाई का अनुरक्षण कार्य भी किया गया।

3.5.6 एमगिरी को बजटीय सहायता

3.5.6.1 संस्थान में हिंदी (राजभाषा) के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यालय कार्यकलापों, कार्यशालाओं, बैठकों, हिंदी दिवस और पखवाड़े का आयोजन किया गया है। सभी प्रशिक्षण नियमावलियों को द्विभाषी तैयार किया गया है। नोटिंग, क्षेत्रीय पत्राचार, विज्ञापन इत्यादि भी हिंदी अथवा द्विभाषी किए जा रहे हैं।

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन (सं.अ.)	जारी की गई निधियां
2015-16	6.87	6.02
2016-17	10.15	9.42
2017-18	10.00	7.80
2018-19	10.00	8.89
2019-20	10.00	5.27*

**दिसम्बर, 2019 तक जारी निधियां*

3.6 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे)

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) मूलतः तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

के अधीन 1960 में नई दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआई) के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1962 में हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया था। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियम के पश्चात, संस्थान ने अपने उद्देश्यों पर फोकस किया और अपनी संगठन संरचना का पुनः डिजाइन किया। नये अधिनियम के अनुरूप, इस संस्थान को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के रूप में नया नाम दिया गया। वर्तमान में यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय), भारत सरकार के तत्वावधान में एक संगठन है।

3.6.1 उद्देश्य

3.6.1.1 निम्समे का मुख्य उद्देश्य, प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। आज, प्रौद्योगिकीय विकास और सदैव बदलते बाजार परिदृश्य के साथ इस संगठन की भागीदारी में भी परिवर्तन हुआ है। केवल प्रशिक्षक होने से निम्समे ने अपने कार्याकलापों का दायरा बढ़ाकर परामर्श, अनुसंधान, विस्तार और सूचना सेवाएं कर दी है।

3.6.1.2 औद्योगीकीकरण के जरिए आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप और उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर इस संस्थान ने ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर बल दिए जाने और जिसका अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है। इसके– उद्यमिता विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अंतरण, नीतिगत मुद्दे, गैर–सरकारी संगठन नेटवर्किंग, पर्यावरण सरोकार, कलस्टर विकास, प्रबंधन परामर्श, गुणवता प्रबंधन सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और सूचना सेवाएं क्षेत्र हैं।

3.6.1.3 निम्समे का दीर्घकालीन मिशन निम्नलिखित को अग्रणीय बनाना है:

- सूचना प्रौद्योगिकी में नये आयाम में प्रशिक्षण।
- सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के जरिए विषयगत मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाना।
- आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना।
- ग्राहक संचालित दृष्टिकोण और नवप्रवर्तनकारी हस्तक्षेपों की ओर जाना।
- कार्यक्रम मूल्यांकन।
- अनुसंधान प्रकाशनों पर जोर देना।

3.6.2. कार्य

- उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास, निम्मसे के कार्यों का केन्द्रीय बिन्दु होने की वजह से इस संस्थान की सक्षमताएं निम्नलिखित पहलुओं की ओर अभिमुख (कन्वर्ज) हैं:–
- उद्यम सृजन के समर्थ बनाना;
- उद्यमिता विकास और स्थायित्व के लिए क्षमता निर्माण;
- उद्यम जानकारी का सृजन, विकास और प्रसार;
- नीति निर्धारण के लिए नैदानिक और विकास अध्ययन; और
- उद्यम सृजन के जरिए सुविधा वंचितों को सशक्त बनाना।

3.6.3 संगठन

3.6.3.1 संस्थान के शीर्ष निकाय का भारत सरकार द्वारा गठित शाषी परिषद के माध्यम से प्रबन्धन प्रशासन, निदेशन और नियंत्रण किया जाता है। माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार निम्समे की शाषी परिषद के चेयर मैन और सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार सोसाइटी के उपाध्यक्ष और शासी परिषद के वायस–चेयर–मैन तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। नैमी कार्य और गतिविधियों को संस्थान के महानिदेशक द्वारा प्रशासित किया जाता है।

3.6.3.2 इस संस्थान के कार्यकलाप को उत्कृष्टता के चार स्कूलों (उद्यम विकास; उद्यम प्रबंधन; उद्यमिता और विस्तार; और उद्यम सूचना एवं संचार) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक स्कूल में विषय सम्बधी ध्यान केन्द्रित केन्द्र और सैल हैं। अकादमिक परिषद न्यूक्लिस समन्वय केन्द्रीय निकाय है जो संदर्भ भिन्नताओं का समाधान करते हुए आकलन और मूल्याकंन के लिए एक ढांचा उपलब्ध करा कर मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक बैंचमार्क के साथ अकादमिक कार्यकलाप और कार्यक्रम तैयार करता है।

3.6.4 मुख्य कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ

3.6.4.1 वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 के अंत तक) के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्समे का कार्यनिष्पादन (31.12.2019 तक)

कार्यक्रम	2019–20 (1 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2019 तक)		2019-20 उपब्लधियां/प्रगति (जनवरी 20 से मार्च 2020 तक)	
	कार्यक्रम	प्रशिक्षु	कार्यक्रम	प्रशिक्षु
उद्यमिता विकास कार्यक्रम				
एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सहायता के अधीन कार्यक्रम				
एटीआई कार्यक्रम				
शुरू हुए	33	690	20	600
अन्य कार्यक्रम				
राष्ट्रीय कार्यक्रम	80	1748	42	630
अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम	5	132	3	90
सेमिनार और कार्यशालाएँ	4	273	0	0
परामर्श और अनुसंधान (प्रगति पर)	0	0	0	0
कुल	**122**	**2843**	**65**	**1320**

निम्समे कैम्पस, हैदराबाद में प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्समे कैम्पस, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

3.6.5 एटीआई स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों का स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार

वर्ष 2013–14 से लेकर 2019–20 तक आयोजित कार्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षित भागीदारों की संख्या और प्रशिक्षुओं की संख्या जिन्होंने स्व–रोजगार प्राप्त किया अथवा मज़दूरी–रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की, उनका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

2013 से 19 तक वेतन रोजगार/स्व–रोजगार सहित प्रशिक्षुओं की प्रतिशतता

वर्ष	कार्यक्रम (संख्या)	प्रशिक्षु (संख्या)	उपलब्धि (सफलता दर)				
			नियोजित मजदूरी		स्वरोज़गार		सामग्री %
			संख्या	%	संख्या	%	
2013-14	1,045	30,910	8,843	51.34	5,905	41.36	47.54
2014-15	1,599	47,092	15,419	32.74	9,236	19.42	52.16
2015-16	1,075	31,874	14,130	44.30	6,313	19.18	64.10
2016-17	135	4,050	2,159	53.00	615	15.00	68.00
2017-18	87	2610	328	12.56	498	19.08	31.64
2018-19	25	750	54	7.00	53	7.00	14.00
2019-20 (दिसम्बर 19 तक)	53	1590	-	-	-	-	-

3.6.5.1 निम्समे ने विभिन्न विषयों पर एक प्रकाशन भी निकाला हैं। प्रकाशन का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन की तारीख	भाषा	टिप्पणी
1.	उद्यम के माध्यम से नारी सशक्तिकरण डॉ. संजीव चतुर्वेदी, डॉ. दिवेन्दू चौधरी, डॉ. श्रीकांत शर्मा	आईएसबीएनः 988812124308 2019	अंग्रेजी	निम्समे में प्रकाशन

3.6.5.2 16 जून 2019 से 30 जून 2019 तक निम्समे में आयोजित स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा दिनांक 16 जून से 30 जून 2019 तक निम्समें में आयोजित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के संबंध में समय–समय पर मंत्रालय से प्राप्त निदेशानुसार कार्यकलाप शुरू किए गए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें

4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए

(क) ऋण एवं वित्तीय सहायता

(ख) कौशल विकास प्रशिक्षण,

(ग) अवसंरचना

(घ) विपणन सहायता,

(ङ) प्रौद्योगिकीय और गुणता उन्नयन एवं

(च) अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य बनाकर बहुत सी स्कीमें कार्यान्वयन करता है।

सभी मुख्य स्कीमों का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है:

क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण एवं वित्तीय सहायता

I. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

विवरण

इस स्कीम का उद्देश्य नए स्व रोजगार के उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। दूसरा उद्देश्य पारंपरिक तथा भावी कारीगरों और देश के ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को लगातार और टिकाऊ रोजगार प्रदान करना है ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके। तीसरा उद्देश्य कारीगरों की मजदूरी अर्जित करने की क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार के वृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान करना है।

यह स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख रुपये है।

अभिप्रेत लाभार्थी

18 की आयु से अधिक का कोई भी व्यक्ति सहायता पाने के लिए पात्र है। यदि परियोजना का आकार विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक है तो आवेदक को कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए।

पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृति के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा के नीचे मौजूद लोगों सहित बशर्ते उन्होंने किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत लाभ हासिल न किया हो), सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी सोसाइटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसके लिए पात्र हैं।

वर्ष 2008–09 में आरंभ से और 31.12.2019 तक, अनुमानित 47 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 13,033.3 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से लगभग 5.7 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कुल इकाइयों में से, 80% ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 20% शहरी क्षेत्र में हैं। 50% से अधिक इकाइयां महिला, एससी और एसटी से संबंधित हैं।

हाल की उपलब्धियां

एमडीआई, गुरूग्राम द्वारा स्कीम का मूल्यांकन किया गया और मूल्यांकन के प्रमुख पर्यवेक्षण हैं;

स्कीम सतत् विकास प्रदान करने में सक्षम है।

I. प्रति परियोजना औसत रोजगार – 7.62 व्यक्ति

II. इकाई रोजगार पैदा करने की औसत लागत – ₹ 96,209

III. प्रति योजना औसत लागत – ₹ 7,33,423

2. 15 प्रतिशत सब्सिडी (20 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के साथ उन्नयन के लिए मौजूदा और बेहतर प्रदर्शन करने वाली पीएमईजीपी/मुद्रा इकाइयों को 1.00 करोड़ रु. तक का दूसरा ऋण प्रदान करते हुए एक नया घटक जोड़ा गया हैं। पीएमईजीपी में कयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) का विलय किया गया हैं/खेत/खेत से जुड़ी गतिविधियों में और होटलों/ढाबों पर गैर–शाकाहारी भोजन परोसने/बेचने की अनुमति में पीएमईजीपी के अंतर्गत नकारात्मक सूची में संशोधन किया गया है।

3. लाभार्थियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं की सुगमता के लिए, 22.10.2019 से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल और मोबाइल एप को डिजाइन, विकसित और लाइव बनाया गया हैं। ऑनलाइन ईडीपी पोर्टल पर पीएमईजीपी ई–पोर्टल **(www.kviconline.gov.in@pmegp)**, केवीआईसी वेबसाइट **(www.kvic.org.in)** और **url:www.kvic.udyami.org.in** के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण मोबाइल एप के माध्यम से भी उपलब्ध है जिसे सर्चिंग "उद्यमी" द्वारा प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

मुख्य उद्योग जिनके अंतर्गत उद्यम स्थापित किए गए है:

- सेवा और वस्त्र उद्योग
- एग्रो आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी
- खनिज आधारित उद्योग
- पॉलीमर और रसायन आधारित उद्योग
- वन आधारित उद्योग
- हस्तनिर्मित पेपर और फाइबर उद्योग

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन

वर्ष	संवितरित मार्जिन मनी (करोड़ रुपये में)	स्थापना के लिए सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइयां (संख्या)	सृजित अनुमानित रोजगार (संख्या)
2016-17	1280.93	52,912	4,07,840
2017-18	1312.4	48,398	3,87,182
2018-19	2070.0	73,427	5,87,416
2019-20*	1002.98	32,227	2,57,816

*31.12.2019 की स्थिति के अनुसार.

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष भर में मार्जिन मनी सब्सिडी के संवितरण में बढ़ोतरी हुई है। 2018–19 के दौरान स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या में सतत् वृद्धि भी हुई है और आने वाले वर्षों में और वृद्धि की संभावना है।

मार्जिन मनी के वार्षिक संवितरण में वर्ष 2008–09 से 2015–2016 के दौरान 950 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान 1575 करोड़ रुपये तक वृद्धि हुई है।

कार्यान्वयन	आबंटित निधियां (2019–20)	31.12.2019 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय
एआरआई डिवीजन	रु.2327.10 करोड़ (बीई) रु. 2464.44 करोड़(आरई)	रु. 2173.53 करोड़

II. ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)

विवरण

सीएलसी – टीयूएस के सीएलसीएस घटकों का उद्देश्य स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत विशिष्ट उप–क्षेत्र/उत्पादों में सुव्यवस्थित और सिद्ध प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए वित्त संस्थान के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना है:

(क) चयनित क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1.0 करोड़ रु. (अर्थात् 15.00 लाख रु. की उच्चतम सब्सिडी सीमा) तक की संस्थागत क्रेडिट पर 15% की सब्सिडी क्षमता।

(ख) चयनित प्रौद्योगिकियों/उप–क्षेत्रों की समीक्षा के लिए लचीलापन भी मौजूद है।

(ग) संशोधित प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली पहले से मौजूद है।

(घ) वर्तमान में स्कीम को 11 नोडल बैंकों/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, तथापि, इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसियों (सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई, आंध्रा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं टीआईआईसीएल) के माध्यम से लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक एवं आरआरबी पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ङ) एससी/एसटी वर्ग, महिला उद्यमी और पूर्वोत्तर राज्यो, पहाड़ी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) द्वीप भौगोलिक क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप) और चयनित आकांक्षात्मक जिलों/एलडब्ल्यूई जिलों से उद्यमियों के निष्पक्ष समावेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, किसी भी प्रकार के अधिग्रहण/संयंत्र और मशीनरी/उपकरण के प्रतिस्थापन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश के लिए भी सब्सिडी का प्रस्ताव अनुमेय है।

2. पिछले दिशानिर्देशों (परिशिष्ट–1, पूरक 1–6) में अनुमोदित क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों की सूची और निर्धारित मशीनरी के विवरण की सूची अपरिवर्तित रहेगी। तथापि, क्षेत्रों/उप–क्षेत्रजों/प्रौद्योगिकियों और मशीनरी के विवरण के आमेलन/विलोपन पर, पूरक स्कीम के दिशानिर्देश के अनुसार विशेषज्ञों की समिति के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी। विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश इस कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट अर्थात् आइकॉन टेक–अप के अंतर्गत **www.dcmsme.gov.in** पर उपलब्ध है।

स्कीम 05 सितम्बर, 2019 को माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा फिर से शुरू की गई है।

अभिप्रेत लाभार्थी

यह स्कीम नये एवं विद्यमान एमएसई पर लागू है।

आबंटित निधियां (2019–20)

बजट अनुमान – 466.49 करोड़ रु.

संशोधित अनुमान – 540.91 करोड़ रु.

किया गया व्यय (2019–20) (31.12.2019 तक)

454.16 करोड़ रु.

विवरण

बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी सहित) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए गारंटी दी जाती हैं। इस स्कीम में प्रति आदाता इकाई 200 लाख रु. तक नये एवं विद्यमान सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पात्र उधारदाता संस्थाओं द्वारा दी गई संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (मियादी ऋण और/या कार्यशील पूँजी) में कवर होता है। प्रदत्त गारंटी कवर 50 लाख रु. से अधिक तथा 200 लाख रु. ऋण एक्सपोजर के 75% पर एक समान गारंटी से 50 लाख रु. तक (सूक्ष्म, उद्यमों को प्रदत्त 5 लाख रु. तक ऋणों का 85%, महिलाओं के स्वामित्व वाली/उनके द्वारा चालित एमएसई के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी ऋणों के लिए 80%) ऋण सुविधा के 75% तक है। न्यूनतम 1% गारंटी शुल्क के साथ स्वीकृत ऋण सुविधा का प्रतिवर्ष 1.80% तक मिश्रित वार्षिक गारंटी शुल्क लिया जाता है।

स्थितिः 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार संचयी 38.77 प्रस्तावों को 2.03 लाख करोड़ रु. की गारंटी कवर के लिए अनुमोदित किया गया है।

हाल की उपलब्धियां

यह स्कीम बहुत सफल रही है यदि हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि स्कीम ने ऋण को सुसाध्य बनाया है जो 20 गुने संग्रह निधि थी और इस प्रकार देश में उद्यमीय कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया है। यह अपने प्रकार की गारंटी स्कीम है जिसने विगत 19 में में 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर किया है। लाभार्थियों ने सीजीटीएमएसई वित्त पोषण के आगामी अनुमोदन वर्षों में अपने कारोबार तथा रोजगार सृजन की वृद्धि का अनुभव किया। सीजीटीएमएसई वित्त पोषण ने एमएसई क्षेत्र – प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन, बाजार विकास, स्कीम की निरंतरता, आर्थिक प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव में छह मुख्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

III. एमएसई के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई)– एमएसएमई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रावधान

यह स्कीम पूर्वोत्तर में विशेष ध्यान देने से देश भर में भौगोलिक दृष्टि से स्वयं को फैलाने में सफल रही है। स्कीम के लाभ 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों तक भी पहुँच गए हैं जिनमें एमएसई परिचालित हो रहे हैं। लाभार्थी टियर तीन (3) शहरों तक फैले हुए हैं न कि बड़े औद्योगिक केन्द्रों तक सीमित है। सीजीटीएमएसई दावे निपटाने में बड़ी प्रभावी रही है जिनमें पहली किस्त के अधिकांश मामलों में तीन सप्ताहों के भीतर निपटाई गई। अद्यतन परिपत्रों के साथ–साथ स्कीमों का ब्योरा सीजीटीएमएसई की वेबसाइट **www.cgtmse.in** पर उपलब्ध है।

अभिप्रेत लाभार्थी

यह स्कीम नये एवं विद्यमान एमएसई पर लागू है।

आबंटित निधियां (2019–20)

597.00 करोड़ रु.(बजट अनुमान), 555.16 करोड़ रु.(संशोधित अनुमान)

किया गया व्यय 2019–20 (31.12.2019 तक)

555.15 करोड़ रु.

IV. एमएसएमई को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज अनुदान स्कीम

विवरण

एमएसएमई के लिए सहयोग और आउटरीच पर पहल के भाग के रूप में दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने ''एमएसएमई को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज अनुदान स्कीम 2018'' की घोषणा की। स्कीम में 100 लाख रु. तक की सीमा तक के नए अथवा वृद्धिशील लोन पर सभी उद्योग आधार संख्या (यूएएन) और जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को 2% ब्याज अनुदान दी जाती है। 975 करोड़ रु. के आबंटन के साथ यह स्कीम दो वित्तीय वर्षों वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई पंजीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण नॉन–बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दिए गए टर्म लोन अथवा कार्यशील पूँजी को इस स्कीम के अंतर्गत कवर की जाती है। वाणिज्य विभाग के तहत शिपमेंट से पूर्व अथवा शिपमेंट के बाद क्रेडिट के लिए ब्याज अनुदान का लाभ लेने वाले एमएसएमई निर्यातक एमएसएमई को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज अनुदान स्कीम 2018 के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त, एमएसएमई जो पहले से राज्य/केंद्रीय सरकार की किसी भी स्कीम के तहत ब्याज अनुदान का लाभ ले रहे हैं वे भी स्कीम के तहत पात्र नहीं है।

स्थितिः दिसम्बर, 2019 के अंत तक 31,340 एमएसएमई के लाभ के लिए पात्र संस्थानों को 400.15 करोड़ रु. का संवितरण किया गया।

हाल की उपलब्धियां

यह एक नई स्कीम है जिसे 2 नवम्बर, 2018 को शुरु किया गया है।

अभिप्रेत लाभार्थी

यह स्कीम नए एवं मौजूदा एमएसएमई पर लागू है।

आबंटित निधियां (2019–20)

बजट अनुमान – 350.00 करोड़ रु.

संशोधित अनुमान – 350.00 करोड़ रु.

किया गया व्यय 2019–20 (31.12.2019 तक)

350.00 करोड़ रु.

ख. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण

I- नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)

विवरण

इस स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) नए रोजगार का सृजन और बेरोजगारी घटाना,

(ii) भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना,

(iii) बुनियादी आर्थिक विकास

(iv) अधूरी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नवप्रवर्तित व्यावसायिक कठिनाई को कम करके सुगम बनाना, और

(v) एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को सशक्त करने के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना।

स्कीम के घटक हैं

(i) विभिन्न सरकारी/निजी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का एक डाटाबेस बनाना और बेहतरीन पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना।

(ii) इंक्यूबेट्स की मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के लिए जरूरी अपेक्षित कुशल मानव संसाधन विकसित करना।

(iii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), केवीआईसी या कयर बोर्ड या भारत सरकार/राज्य सरकार का कोई किसी अन्य संस्थान/एजेंसी के अंतर्गत आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई) स्थापित करना।

(iv) तकनीकी/अनुसंधान संस्थानों, भारत सरकार के मंत्रालयों और प्राइवेट इंक्यूबेटर के माध्यम से बिजनेस आइडियाज प्रोग्राम का इंक्यूबेशन और वाणिज्यीकरण

(v) उन्नयन के लिए बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोग्राम

(vi) विचारों/इनोवेशन को सक्षम बनाने और इन्हें वाणिज्यिक उद्यमों में बदलने के लिए इनोवेटिव वित्त साधनों का प्रयोग कर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से स्टार्ट अप संवर्धन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना।

एलबीआई के उद्देश्य हैं:

(क) बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करना ताकि पात्र युवाओं को विभिन्न कौशलों में पर्याप्त रूप से इंक्यूबेट किया जा सके और उन्हें अपना व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने का अवसर दिया जा सके।

(ख) युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ग) अपने व्यवसाय उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से वित्त पोषण के साथ मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग प्रदान करना।

(घ) नए निचले स्तर की प्रौद्योगिकी/आजीविका आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना।

टीबीआई के उद्देश्य है

क) नव परिवर्तन के माध्यम से विकास में संवर्धन करना और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करना।

ख) लघु व्यवसाय विकास के लिए आर्थिक विकास की रणनीति की सहायता करना और

ग) स्थानीय अर्थ व्यवस्थाओं के भीतर के विकास को प्रोतशाहित करना इसके साथ–साथ तंत्र के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी प्रदान करना।

स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलाप कवर हैं:

क. आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर एनएसआईसी, केवीआईसी, कयर बोर्ड या कोई अन्य संस्था या भारत/राज्य सरकार की अन्य संस्था या एजेंसी द्वारा आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर मात्र संयंत्र एवं मशीनरी के लिए एलबीआई स्थापित करना (एनएसआईसी तथा अन्य के लिए 100 लाख रु. तथा पीपीपी के अंतर्गत पात्र एजेंसियों के लिए 50 लाख रु.)

ख. प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर

1. **इंक्यूबेशन केंद्र**
   - मौजूदा इंक्यूबेटर के लिए सहायता (इंक्यूटर कापेक्स के लिए 30 लाख रुपये)
   - नए इंक्यूबेटर की स्थापना (इंक्यूटर कापेक्स के लिए 100 लाख रुपये)
2. **आइडिया का इंक्यूबेशन (4 लाख रुपये प्रति आइडिया)**
   - इनोवेटिव आइडिया से उद्यम का निर्माण (परिस्कीम लागत के 50% या 20 लाख प्रति सफल आइडिया, जो भी कम हो, की दर पर उद्यम निर्माण के लिए प्रति इंक्यूबेटर 1 करोड़ रुपये पर सीड कैपिटल निधि)
   - **एक्सीलरेटर वर्कशॉप**

अभिप्रेत लाभार्थी

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रलयों और विभागों के अंतर्गत कार्यरत मौजूदा इंक्यूबेशन केंद्र या भारत सरकार/राज्य सरकारों के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के संस्थान।

(ख) नए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए, उद्योग संघों सहित पात्र निजी संस्थान, शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय, सरकारी उद्यमों और टेक्नोलॉजी पार्क, कृषि ग्रामीण क्षेत्र में इनोवेटिव/प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता के संवर्धन में प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड के साथ तकनीकी संस्थान।

आबंटित निधियां (2019–20)	किया गया व्यय 2019–20 (31.12.2019 तक)
बजट अनुमान – 50.00 करोड़ रु. **संशोधित अनुमान –10.00 करोड़ रु.**	**1.36 करोड़ रु.**

विवरण

स्कीम के बारे मेः–

उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो अपने भविष्य के निर्माण के लिए आकांक्षी युवाओं के मध्य उद्यमिता के बारे में जागरूकता पैदा करने और अपने लघु व्यवसाय उद्यमों के निर्माण के लिए उनको पथ–प्रदर्शन प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है। स्कीम में उत्पादकता और उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि सुधारने के लिए अपनी इकाइयों में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं का कार्यान्वयन करने हेतु मौजूदा एमएसएमई के क्षमता निर्माण की भी परिकल्पना की गई है।

स्कीम की गतिविधियांः

ईएसडीपी स्कीम के अंतर्गत गतिविधियों/कार्यक्रम में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैंः

1. एक/दो दिवसीय औद्योगिक प्रेरक अभियान (आईएमसी)
2. दो सप्ताह का उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)
3. छः सप्ताह का उद्यमिता–सह–कौशल विकास कार्यक्रम (ई–एसडीपी)
4. एक सप्ताह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)

कार्यान्वयन एजेंसी

ईएसडीपी स्कीम की बेहतर आउटरीच के लिए, 21.11.2019 से नए अप–स्केल दिशानिर्देश कार्यान्वित किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्कीम की गतिविधियां/कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रलय के क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्र/राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/कार्पोरेशन/पीएसयू/एजेंसी के माध्यम से भी आयोजित किए जा रहे हैं।

II. उद्यमशीलता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

कार्यक्रम/लाभार्थी (2019) (31.12.2019 तक)

कार्यक्रम का नाम	पूरा किये गए कार्यक्रमों की संख्या	सहभागियों की संख्या
आईएमसी	537	28000
ईएपी	106	3100
ई–एसडीपी	165	4125
एमडीपी	81	2025
कुल	889	37250

आबंटित निधियां (2019–20)

बजट अनुमान – 136.96 करोड़ रु., संशोधित अनुमान – 127.71 करोड़ रु.

किया गया व्यय (2019–20) (31.12.2019 तक)

33.70 करोड़ रु.

ग. क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से सहयोग

I. परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की स्कीम (स्फूर्ति)

विवरण

इस स्कीम का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उनकी दीर्घकालीन जीवनक्षमता, स्थायी रोजगार, ऐसे क्लस्टरों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने, संबंधित क्लस्टरों के पारंपरिक कारीगरों को बेहतर कौशल से लैस करने, कारीगरों के लिए सामान्य सुविधाओं और बेहतर टूल्स तथा इक्विपमेंट का प्रावधान करने, स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर शासन व्यवस्था को मजबूत कनाना और इनोवेटिव उत्पादों, बेहतर प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रियाओं, बाजार आसूचना तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के नए मॉडल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है।

इस स्कीम में तीन प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं:

i. सॉफ्ट इंटरवेंशन–सामान्य जागरूकता बनाने, परामर्श, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कार्यकलाप, एक्सपोजर दौरे, बाजार विकास पहलें, डिजाइन और उत्पाद विकास, आदि।

ii. हार्ड इंटरवेंशन –सामान्य सुविधा केंद्रों, कच्चे माल के भंडारों, उत्पादन अवसंरचना का उन्नयन, भंडारण सुविधा, टूल्स और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आदि।

iii. सैद्धांतिक हस्तक्षेप–ब्रांड निर्माण, नई मीडिया मार्केटिंग, ई–कॉमर्स पहलें, अनुसंधान व विकास, आदि के लिए एक क्रॉस कटिंग बेसिस पर हस्तक्षेप।

किसी भी खास परियोजना के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता सॉफ्ट, हार्ड और थीमेटिक हस्तक्षेपों में सहायता करने के लिए अधिकतम 5 (पांच) करोड़ रुपये तक होगी।

कार्यक्रम/लाभार्थी (2019) (दिसंबर, 2019 तक)

क्लस्टरों का प्रकार	प्रति क्लस्टर बजट सीमा
नियमित क्लस्टर (500 कारीगर)	2.50 करोड़ रुपये
प्रमुख क्लस्टर (500 कारीगरों से अधिक)	5.00 करोड़ रुपये

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक सर्वोच्च तथा निगरानी निकाय के तौर पर स्कीम स्टीरिंग कमेटी का गठन किया है। केवीआईसी, कयर बोर्ड, निम्समे (हैदराबाद),आईईडी (उड़ीसा),आईआईई (गुवाहाटी), आईएमईडी (नई दिल्ली), जम्मू और कश्मीर केवीआईबी और निसबड (नोएडा) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं। इसके अतिरिक्त, स्कीम की पहुँच को बढ़ाने के लिए फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर (एफएमसी), नई दिल्ली, हस्तशिल्प विकास निगम परिषद (कोहैंड्स), नई दिल्ली और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम/प्रौद्योगिकी केंद्रों को वर्ष 2019–20 के दौरान स्कीम के तहत नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

स्थिति: एमएसएमई मंत्रालय ने 2015–16 से 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) तक क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए स्कीम के अंतर्गत क्लस्टरों की स्थापना के लिए 191 प्रस्तावों को अब तक अनुमोदित किया है और भारत सरकार के अनुदान के रूप में 408.19 करोड़ रु. की राशि को अनुमोदित किया है । सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, मशीनरी की खरीद, विपणन पहलों, जागरूकता कार्यक्रमों इत्यादि जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन गतिविधियों का संचालन करने के लिए डीपीआर में निर्धारित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2019–20 (31.12.19 तक) के दौरान मंत्रालय ने 60.05 करोड़ रु. की राशि जारी की है।

अभिप्रेत लाभार्थी

गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों और अर्ध–सरकारी संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), क्लस्टर विशिष्ट एसपीवी गठित करते हुए निजी क्षेत्र, क्लस्टर विकास करने में विशेषज्ञता वाले कारपोरेट और कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फाउंडेशन

आबंटित निधियां (2019–20)	किया गया व्यय 2019–20 (31.12.2019 तक)
आबंटित बजट 125.00 करोड़ रु. **संशोधित बजट 185.00 करोड़ रु.**	**60.05 करोड़ रु.**

II. सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) स्कीम

विवरण

मंत्रालय ने देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों और उनके समूहों में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के साथ–साथ क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति के रूप में क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को अपनाया है।

स्कीम के उद्देश्य–

(i) एमएसई के स्थायित्व और विकास के लिए कुछ सामान्य मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी में सुधार, कौशल और गुणवत्ता, बाज़ार तक पहुँच, पूंजी के उपयोग आदि के लिए सहायता देना।

(ii) एमएसई के क्षमता निर्माण के लिए स्वयं–सहायता समूह कनसोर्टिया के गठन, संघ के उन्नयन आदि जैसी सहायता कार्यकलाप।

(iii) एमएसई की नई/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टर के बुनियादी ढांचों का सृजन/उन्नयन।

(iv) सामान्य सुविधा केन्द्रों (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चा माल डीपो, अपगामी प्रशोधन, पूरक उत्पादन प्रक्रिया आदि) की स्थापना।

(v) क्लस्टरों के लिए हरित और सतत विनिर्माण प्रौद्योगिकी का संवर्धन करना ताकि इकाइयों को सतत और हरित उत्पादन प्रक्रिया और उत्पादों में स्विच करने के लिए सक्षम बनाया जा सके।

मुख्य गतिविधियां :

i. 'सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफ़सी)' की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता।

ii. महिला उद्यमियों के लिए 'सामान्य प्रदर्शनी केन्द्रों (सीडीसी)' की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता।

iii. अवसंरचना विकास परियोजना (नई/उन्नयन) के लिए आर्थिक सहायता।

iv. सैद्धांतिक हस्तक्षेप के लिए निधि सहयोग।

v. राज्य नवप्रवर्तनकारी क्लस्टर विकास कार्यक्रम को सहयोग के लिए निधि सहयोग।

स्थिति : अब तक 76 सामान्य सुविधा केंद्र और 169 अवसंरचना विकास परियोजना कमीशन की गई हैं।

अभिप्रेत लाभार्थी

i. 'सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी)' की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता–कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राज्य सरकार के संगठन, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एमएसएमई क्षेत्र के विकास में लगे हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान एवं अन्य संस्थान/एजेंसी।

ii. 'अवसंरचना विकास परियोजना (नई/उन्नयन) के लिए आर्थिक सहायता–कार्यान्वयन एजेंसियाँ जैसे राज्य सरकार के संगठन।

उपलब्धियां (2019–20)

(i) 8 सामान्य सुविधा केंद्र और 7 अवसंरचना विकास परियोजना को चालू कर दिया गया है।

(ii) 40 सामान्य सुविधा केंद्र और 35 अवसंरचना विकास परियोजना को चालू कर दिया गया है।

आबंटित निधियां (2019–20)

बजट अनुमान – 279.00 करोड़ रु.

संशोधित अनुमान–227.90 करोड़ रु.

किया गया व्यय (2019–20) (23.01.2020 की स्थिति के अनुसार)

202.78 करोड़ रु.

घ. विपणन सहायता

विवरण

सरकार ने छूट प्रणाली की पूर्व स्कीम के बदले 01.04.2010 से एक लचीली, विकास को प्रेरित करने वाली और कारीगर केंद्रित बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम शुरू की है। कारीगर जैसे कि खादी के उत्पादन में संलग्न स्पिनर और बुनकर को वर्तमान में एमएमडीए के अंतर्गत दी जाने वाली 30% और खादी उत्पादन में व्यस्त अन्य कारीगरों को 10% की वित्तीय सहायता का भुगतान किया जाता रहेगा। तथापि खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता मौजूदा 60% (उत्पादक संस्थानों के लिए 40% और विक्रय संस्थानों के लिए 20%) से कम करके 30% (उत्पादक संस्थानों के लिए 20% और विक्रय संस्थानों के लिए 10%) कर दी जाएगी। बाकी 30% घटक को प्रतिस्पर्धा शुरू करने, उद्यमशीलता प्रयास को प्रोत्साहित करने और बाजार संचालित सिद्धांत को आरंभ करने के उद्देश्य के साथ प्रोत्साहन संरचना के आधार पर संस्थानों के बीच वितरित किया जाएगा। मौजूदा संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) को तालिका में में उल्लेख के अनुसार वितरित किया जाएगा:

शेयर/प्रोत्साहन के अनुसार की प्रकृति	एमएमडीए के बीच मौजूदा शेयर	एमएमडीए के बीच संशोधित शेयर
कारीगरों का हिस्सा	40%	40%
उत्पादक संस्थान का हिस्सा	40%	20%
विक्रय संस्थान का हिस्सा	20%	10%
संस्थान को प्रोत्साहन	0	30%
कुल	100%	100%

I. एमपीडीए के अंतर्गत खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम

एमडीए ग्राहकों आदि को प्रोत्साहन देने के अलावा बिक्री केंद्रों, उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए इस सहायता का इस्तेमाल करने का लचीलापन प्रदान करता है। उत्पादन पर बाजार विकास सहायता (खादी व पॉली) की मौजूदा स्कीम और ग्रामोद्योग अनुदान के प्रचार, विपणन और बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन सहित) और अवसंरचना (मार्केटिंग कॉम्पलेक्स/खादी प्लाजा के नए घटक सहित) के अतिरिक्त घटकों को मिलाकर इस स्कीम को एमपीडीए के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत, मूल्य–निर्धारण को लागत चार्ट से पूरी तरह अलग किया जाएगा और उत्पाद को उत्पादन के सभी चरणों पर बाजार संबद्ध मूल्यों पर बेचा जा सकता है। कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

अभिप्रेत लाभार्थी

वैध खादी प्रमाणपत्र वाले और ए+, ए, बी और सी के रूप में वर्गीकृत खादी संस्थान ही केवीआईसी से एमडीए अनुदान के लिए पात्र हैं।

आबंटित निधियां (2019–20)

391.20 करोड़ रु.(बजट अनुमान), 391.20 करोड़ रु.(संशोधित अनुमान)

किया गया व्यय 2019–20 (31.12.2019 तक)

248.48 करोड़ रु.

ङ प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता

I. जेड प्रमाणन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए वित्तीय सहायता

विवरण

विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, अनुमानित 116.94 करोड़ रु. वित्तीय परिव्यय के साथ भारत सरकार के योगदान के साथ 100.00 करोड़ रु. और 16.94 करोड़ रु. निजी योगदान पर 2019–20 की समाप्त होने की अवधि के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विनिर्माण के लाभ के लिए ''जेड प्रमाणन स्कीम में एमएसएमई को वित्तीय सहायता'' का उन्नयन करके लागू करेगी।

स्कीम में एमएसएमई के मध्य जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफएक्ट (जेड) विनिर्माण के संवर्धन और निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ उनके प्रमाणन के लिए जेड मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है:

- गुणवत्ता उपकरण/प्रणाली और ऊर्जा कुशल विनिर्माण के अनुकूलन को बढ़ावा देना।
- उत्पादों और प्रक्रिया में अपने गुणवत्ता मानकों को लगातार उन्नयन के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित करना।
- पर्यावरण को प्रभावित किए बिना और शून्य दोष उत्पादन प्रक्रियाओं के अभिग्रहण के साथ विनिर्माण करना।

स्थिति

शुरू में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने 18.10.2016 को जेड स्कीम का शुभारंभ किया और साथ ही 2018–19 में इसका आकार बढ़ाया गया।

स्कीम के आरंभ से अब तक जेड स्कीम के अंतर्गत 23070 एमएसएमई पंजीकृत हैं। स्कीम को अधिक सरल करने के उद्देश्य से तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए परिचालन दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

अभिप्रेत लाभार्थी

विनिर्माण करने वाले एमएसएमई

कार्यान्वयन

विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से

आबंटित निधियां (2019–20)

बजट अनुमान –13.29 करोड़ रु.

संशोधित अनुमान –13.29 करोड़ रु.

किया गया व्यय 2019–20 (31.12.2019 तक)

10.00 करोड़ रु.

II. इंक्यूबेटर के माध्यम से एसएमई को उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता

विवरण

ज्ञान आधारित अभिनव एमएसएमई साथ ही विनिर्माण में नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ाना और सहायता देना जो अवधारणा स्तर के प्रमाण पर उनके विचारों के सत्यापन की मांग करें, स्कीम का मुख्य उद्देश्य है।

गतिविधियां:

- व्यापार इंक्यूबेटर (बीआई) की स्थापना के लिए पात्र संस्थानों का मेजबान संस्थान (एचआई) के रूप में पंजीकरण।
- मेजबान संस्थान के इंक्यूबेटी के विचारों को अनुमोदन।
- मेजबान संस्थान को आइडिया के पोषण के लिए सहायता।
- संयंत्र और मशीन के लिए एचआई को सहायता में अनुदान समर्थन के लिए सहायता।
- योग्य इंक्यूबेटी को सीड पूँजी समर्थन के रूप में सहायता।
- जागरूकता और कार्यशाला कार्यक्रम।

सहायता की प्रकृति

- किसी विचार के विकास और पोषण के लिए 15 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता।
- बीआई की तकनीक संबंधी आरएंडडी गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से बीआई में संयंत्र और मशीनरी के प्रापण और संस्थापना के लिए 1.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता।
- होस्ट संस्थान (एचआई) को सीड पूँजी सहायता के रूप में अनुदान के लिए 1.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता।

आवेदन कौन कर सकता है

संस्थानों के विद्यार्थी/उद्यमी जैसे कि तकनीकी कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य व्यवसायिक कॉलेज/संस्थान, अनुसंधान और विकास संस्थान, प्रासंगिक गतिविधियों में शामिल एनजीओ, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) के ईडीसी, एमएसएमई–डीआई/तकनीकी केंद्र (टीसी), डीआईसी अथवा अन्य संस्थान/केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठन।

आवेदन कैसे करें

एचआई स्कीम के लाभ प्राप्त करने के लिए एमआईएस पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के माध्यम से राष्ट्रीय निगरानी एवं कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) को आवेदन करेंगे।

(i) स्कीम मई, 2019 में ही आरंभ की हुई हैं।

(ii) 29.05.2019 को ऑनलाइन एमआईएस को क्रियाशील किया गया है।

(iii) **डीबीटी:** ऑनलाइन एमआईएस के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्तावों को 3 स्तरों से गुजरना होगा अर्थात्, एमएसएमई डीआई स्तर पर, राष्ट्रीय निगरानी और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) स्तर, परियोजना निगरानी और सलाहकार समिति (पीएमएसी) स्तर से।

स्टेप 1– शुरूआत में एचआई को अनुमोदित किया जाएगा।

स्टेप 2– अनुमोदित एचआई के विचारों को अनुमोदित किया जाएगा।

स्टेप 3– अनुमोदित विचार/पूंजी सहयोग के संबंध में निधि जारी करने के लिए एचआई के अनुरोध पर उसके बाद ही विचार किया जाएगा और एचआई को निधि जारी किया जाएगा।

आबंटित निधियां (2019–20)	किया गया व्यय (2019–20) (31.12.2019 तक)
बजट अनुमान–22.91 करोड़ रु. संशोधित अनुमान–22.91 करोड़ रु.	11.10 करोड़ रु.

च. विशेष सेवाएं

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति हब

विवरण

सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए विवरण यह हब केंद्रीय सरकार सार्वजनिक लोक प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) खरीद नीति के अंतर्गत कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों हेतु व्यावसायिक सहायता लागू व्यवसाय पृथाओं को ग्रहण करना तथा स्टैण्ड अप इंडिया पहल के लाभ उठाने के लिए उपलब्ध है। यह स्कीम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब के निम्नलिखित कार्य हैं:

i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम और उद्यमियों के संबंध में सूचना एकत्रित करना, मिलान करना तथा प्रसारित करना।

ii. कौशल प्रशिक्षण तथा ईडीपी के माध्यम से भावी एवं मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के मध्य क्षमता निर्माण।

iii. डीआईसीसीआई सहित उद्यम संगठनों तथा सीपीएसई, एनएसआईसी, एमएसएमई–डीआई सहित विक्रेता विकास।

iv. प्रदर्शनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करना।

v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए परामर्श और पथ प्रदर्शन सहायता देना।

vi. अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए राज्य तथा अन्य संगठनों के साथ कार्य करना ताकि ये उद्यम को इनसे लाभ प्राप्त हो सके।

vii. लोक प्रापण (प्रोक्यूअरमेंट) खरीद में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की प्रतिभागिता सुविधा प्रदान करना, डीजीएसएंडडी को ई–प्लेटफार्म प्रदान करना तथा प्रगति को मॉनीटर करना।

viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को ऋण प्रदान करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम के दिशा–निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.msme.gov.in पर उपलब्ध हैं।

सहायता की प्रकृति

निम्नलिखित उप–स्कीमों के लिए एनएसएसएच के अंतर्गत वर्तमान में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:

- एक बिन्दु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस)
- विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस)
- विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) मौजूदा उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए एससी/एसटी उद्यमियों को शीर्ष 50 एनआईआरएफ दर्जाप्राप्त प्रबंधन संस्थानों का लघु अवधि पाठ्यक्रम शुल्क।
- सफलतापूर्वक प्रशिक्षित एससी/एसटी उद्यमियों को प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा टूलकिट का वितरण।
- एससी/एसटी एमएसई के लिए एनएबीएल और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से लिया गया परीक्षण शुल्क।
- बैंक लोन प्रसंस्करण शुल्क।
- एससी/एसटी एमएसई के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा ली गई सदस्यता शुल्क।

आवेदन प्रक्रिया

कौन आवेदन कर सकता है: दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता प्राप्त करने के लिए एससी/एसटी उद्यमी पात्र है।

कैसे आवेदन करें: इच्छुक एससी/एसटी उद्यमी निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार निकटतम एनएसआईसी शाखा कार्यालय/एनएसएसएच कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

किससे संपर्क करें: एनएसआईसी शाखा कार्यालय/एनएसएसएच कार्यालय/एनएसआईसी लि. एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली में एनएसएसएच प्रकोष्ठ संपर्क विवरण www.nsic.co.in पर उपलब्ध है।

अभिप्रेत लाभार्थी

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी

आबंटित निधियां (2019–20)

121.69 करोड़ रु.(बजट अनुमान)
80.00 करोड़ रु.(संशोधित अनुमान)

किया गया व्यय 2019–20 (दिसंबर, 2019 तक)

54.64 करोड़ रु.
(31.12.2019 की स्थिति के अनुसार)

II. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए स्कीम।

विवरण

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' स्कीम के घटक के निम्नलिखित उप–घटक हैं:

1. नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण।

उद्देश्य: स्कीम में नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रो के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना है।

वित्तीय सहायता: वित्तीय सहायता की मात्र मशीनरी/संयंत्र/भवनों की लागत के 90% के बराबर होगी जो 10.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार का निधि पोषण भूमि की लागत के प्रति स्वीकार्य नहीं होगी और भवन लागत की अधिकतम सीमा 20% तक होगी।

2. नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा का विकास।

उद्देश्य: नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए वित्तीय सहायता।

वित्तीय सहायता: नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए बुनियादी संरचना सुविधाओं की लागत का 80% स्वीकृत किया जाएगा जो 8.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। बुनियादी संरचना सुविधाओं में बिजली वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, रोड, बैंक, भंडारण, विपणन आउटलेट इत्यादि शामिल होंगी।

3. अधिकारियों का क्षमता निर्माण

उद्देश्य: निम्समे, हैदराबाद एवं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एमएसएमई संस्थानों में तकनीकी प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा एमएसएमई के संवर्धन और विकास में लगे अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

वित्तीय सहायता: स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षण शुल्क का व्यय और अधिकारियों के बोर्डिंग/ठहरने का खर्च भारत सरकार दवारा वहन किया जाएगा और सीधे प्रशिक्षण संस्थानो को (अधिकतम 7 दिन) भुगतान किया जाएगा। घरेलू प्रशिक्षण के लिए टीए/डीए का व्यय संबंधित विभागों/राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में पाठ्यक्रम फीस के अलावा विदेश यात्रा (इकोनॉमी क्लास सबसे छोटा मार्ग) के दौरान किया गया टीए/डीए का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा (दोनों पर 1.5 लाख रु. प्रति प्रतिभागी व्यय सीमा)। घरेलू क्षेत्र से संबंधित व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

4. अन्य गतिविधियां:

उद्देश्य: अनुसंधान अध्ययन (मूल्यांकन अध्ययन सहित), संस्थानों को सुदृढ़ करने (केवल सॉफ्ट इंटरवेंशन) इत्यादि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए भी स्कीम फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ज्ञान और मानव पूँजी विकास, व्यापार विकास एवं वित्त, प्रौद्योगिकी, बुनियादी संरचना, बाजार और व्यापार नेटवर्क, इत्यादि– परिचालन सेवाओं की पहुँच जैसी मांग आधारित सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। ये हनी, बांस, जैविक उत्पाद इत्यादि के क्षेत्रों में उद्यमों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य सरकारों अथवा अन्य संगठनों द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई परियोजनाएं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम में कार्य कर रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए आईटी मॉड्यूल भी विकसित किए जा सकते हैं।

वित्तीय सहायता: डीपीआर में प्रत्येक घटक पर विस्तृत औचित्य के साथ प्रत्येक इस प्रकार का इंटरवेंशन 1.00 करोड़ रु. तक हो सकता है।

अभिप्रेत लाभार्थी	आबंटित निधियां (2019–20)	किया गया व्यय (2019–20) (दिसम्बर, 2019)
सभी एमएसएमई	बजट अनुमान– 58.93 करोड़ रु. संशोधित अनुमान –58.93 करोड़ रु.	31.29 करोड़ रु.

III. एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता निर्माण

विवरण

एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक स्कीम ''बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता निर्माण'' निम्नलिखित उद्देश्य के साथ एमएसएमई के लिए प्रबंधित है:

- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के बारे में एमएसएमई की जागरूकता को बढ़ाना।
- उनके विचारों और व्यापार तकनीकों को बचाने के लिए कदम उठाना।
- एमएसएमई द्वारा आईपीआर टूल का प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए और प्रभावी उपयोग में एमएसएमई को सहायता।
- जागरूकता कार्यक्रमों/संगोष्ठी कार्यशाला, आईपी पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं देश भर में आईपी सुविधा केंद्रों की स्थापना जैसी स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ विस्तृत गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

क्र. स.	गतिविधियां	वित्तीय सहायता
1.	**वस्तुओं/ट्रेडमार्क के भौगोलिक संकेतों के तहत पेटेंट पंजीकरण के अनुदान पर वित्तीय सहायता**	
	(क) विदेशी पेटेंट	5.00 लाख रु. तक
	(ख) राष्ट्रीय पेटेंट	1.00 लाख रु. तक
	(ग) ट्रेडमार्क	0.10 लाख रु. तक
	(घ) भौगोलिक संकेत	2.00 लाख रु. तक

क्र. स.	गतिविधियां	वित्तीय सहायता
2.	आईपी सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता	5 वर्ष की अवधि के लिए 1.00 करोड़
3.	आईपीआर पर जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम	प्रति कार्यक्रम 0.70 लाख रु. तक
4.	चयनित विषयों/क्लस्टर/उद्योगों के समूह के लिए प्रायोगिक अध्ययन/अन्य अध्ययन	5.00 लाख रु. तक
5.	राष्ट्रीय स्तरीय इंटरैक्टिव सेमिनार/कार्यशालाएं/कॉन्क्लेव/सम्मेलन/प्रदर्शनियां	5.00 लाख रु. तक
6.	क्षेत्रीय स्तरीय इंटरैक्टिव सेमिनार/कार्यशालाएं/कॉनक्लेव/सम्मेलन/प्रदर्शनियां	3.00 लाख रु. तक
7.	एमएसएमई अधिकारियों एवं आईपीएफसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रति कार्यक्रम 20.00 लाख रु. तक
8.	अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श	प्रति कार्यक्रम 15.00 लाख रु. तक

2019–20 के दौरान उपलब्धियां

देश भर में विभिन्न एमएसएमई क्लस्टरों के लिए 120 आईपीआर जागरूकता कार्यक्रमों की स्वीकृति।

आबंटित निधियां (2019–20)

बजट अनुमान– 36.02 करोड़ रु.

संशोधित अनुमान– 36.02 करोड़ रु.

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित गतिविधियां

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां

5.1.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया बजट परिव्यय

5.1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल निधि के 10% निर्धारित करने की सरकार की नीति के अनुपालन में वर्ष 2019–20 के बजट अनुमान (बीई) में 701.13 करोड़ रु. का परिव्यय विशेष रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य के लिए रखा गया था।

5.1.1.2 एआरआई प्रभाग के लिए चिन्हित निधि और मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जारी निधि और वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित निधि संबंधी विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

तालिका 5.1 : वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एआरआई प्रभाग द्वारा जारी की गई निधि

(रु. करोड़ में)

वर्ष	एआरआई प्रभाग के लिए बजट आवंटन (आरई)	पूर्वोत्तर क्षेत्र को बजट आवंटन	व्यय पूर्वोत्तर
2016-17	1717.55	171.76	143.25
2017-18	2517.71	252.21	248.21
2018-19	3488.40	409.90	419.30*
2019-20 (upto 31.12.19)	3714.43	349.93	282.36

**संशोधित अनुमान के अतिरिक्त व्यय की बढ़ोत्तरी विगत वर्ष में प्राप्त अनुपूरक की वजह से है।*

5.1.2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग आयोग

5.1.2.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और उद्यमियों के माध्यम से इस क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं

5.1.2.2 इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे ग्रामोद्योगों में वन आधारित उद्योग, मिट्टी के बर्तनों, मधुमक्खी पालन, अनाज और दालों, फाइबर, फलों और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, साबुन बनाना, बढ़ईगीरी और लोहारी जैसी गतिविधियां और खादी और पॉलीवस्त्र गतिविधियाँ शामिल हैं।

5.1.2.3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

- **पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई/संशोधित एएबीवाई**—2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान खादी कारीगरों को बीमा कवर प्रदान करने के लिए योजना के तहत अब तक कुल 5021 खादी कारीगरों को कवर किया गया है।

- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम**– प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

  - ✓ वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 135.07 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के उपयोग से कुल 9263 पीएमईजीपी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई।
  - ✓ वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 35.76 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी वाली कुल 2,246 पीएमईजीपी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

- **हनी मिशन** – पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाकर देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं।

  - ✓ हनी मिशन के अंतर्गत, 2,412 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी छत्तों के साथ 24,120 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए। इसके द्वारा, वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 13.48 लाख रु. मूल्य के 4270 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया है।
  - ✓ हनी मिशन के अंतर्गत, वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान 174 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी छत्तों के साथ 1,740 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए।

- **कुम्हार सशक्तीकरण** – मिट्टी के बर्तन बनाने की गतिविधियों को सुधारने के उद्देश्य से कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है।

  - ✓ कुम्हार सशक्तीकरण के तहत, 370 कुम्हार कारीगरों को 370 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील का वितरण किया गया। इसके द्वारा, वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 1480 रोजगार के अवसर सृजित किए गए।
  - ✓ कुम्हार सशक्तिकरण के तहत, 500 कुम्हार कारीगरों को 500 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील का वितरण किया गया। इसके द्वारा, वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 2000 रोजगार के अवसर सृजित किए गए।

- **बिक्री केंद्रों का नवीकरण** – पूर्वोत्तर राज्यों में खादी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं।
  - ✓ विपणन बुनियादी ढाँचे के लिए सहायता के अंतर्गत, वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 2 बिक्री केंद्रों का नवीकरण किया गया।
- **प्रशिक्षण** – असम, नागालैण्ड और मिजोरम में स्थित प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विभिन्न विषयों के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।
  - ✓ वर्ष 2018–19 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों से कुल 3,636 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
  - ✓ वर्ष 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों से कुल 664 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

5.1.3 पूर्वोत्तर में खादी और ग्रामोद्योग

तालिका 5.2: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2019–20 (31.10.2019 तक) के दौरान खादी का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	विक्रय (लाख रु. में)	संचयी रोजगार (संख्या)
1.	अरुणाचल प्रदेश	21.78	36.28	31
2.	असम	872ण05	949ण06	5073
3.	मणिपुर	66ण21	49ण71	143
4.	मेघालय	41ण62	39ण97	53
5.	मिजोरम	1ण08	4ण50	14
6.	नागालैंड	39.04	58.56	295
7.	सिक्किम	-	-	-
8.	त्रिपुरा	0.38	3540.20	25
	कुल	**1042.17**	**1178.28**	**5634**

#पॉली वस्त्र और सोलर वस्त्र सहित

तालिका 5.3: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान ग्रामोद्योग का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख में)	विक्रय (लाख में)	संचयी रोजगार (लाख में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	7078.81	1320.15	0.21
2.	असम	82749.08	8272.73	5.59
3.	मणिपुर	24445.17	4133.55	1.16
4.	मेघालय	17522.03	1710.75	0.62
5.	मिजोरम	29798.47	2765.93	1.29
6.	नागालैंड	32757.08	4890.75	1.00
7.	सिक्किम	5060.42	550.43	0.26
8.	त्रिपुरा	24368.90	3177.68	1.19
	कुल	**223779.96**	**26821.97**	**11.32**

तालिका 5.4: पूर्वोत्तर क्षेत्र में 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान खादी और ग्रामोद्योग का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन	विक्रय	संचयी रोजगार
1.	अरुणाचल प्रदेश	7100.59	1356.43	0.21
2.	असम	83621.13	9221.79	5.64
3.	मणिपुर	24511.38	4183.26	1.16
4.	मेघालय	17590.82	1750.72	0.62
5.	मिजोरम	29800.57	2770.43	1.29
6.	नागालैंड	32805.75	4949.31	1.00
7.	सिक्किम	5060.42	550.43	0.26
8.	त्रिपुरा	24369.63	3217.88	1.19
	कुल	**224860.29**	**28000.25**	**11.37** (31.03.2020 तक अनुमानित)

तालिका 5.5: पूर्वोत्तर में 2018–19 के दौरान पीएमईजीपी का राज्य–वार कार्यनिष्पादन

(नई पीएमईजीपी इकाइयों की स्थापना के लिए और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी किश्त)

क्र. सं.	राज्य	सहायता प्राप्त इकाइयां (स.)	प्रयुक्त मार्जिन मनी (रु. लाख में)	अनुमनित सृजित रोजगार (संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	280	419.88	2240
2	असम	3737	4167.41	29896
3	मणिपुर	1291	2041.06	10328
4	मेघालय	390	587.14	3120
5	मिजोरम	1123	1514.90	8984
6	नागालैण्ड	1208	2349.67	9664
7	त्रिपुरा	1179	2314.24	9432
8	सिक्किम	55	112.35	440
	कुल	**9263**	**13506.65**	**74104**

तालिका 5.6: पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में 2019–20 (31.12.2019 तक) के दौरान पीएमईजीपी का राज्य–वार कार्यनिष्पादन निम्नानुसार है:

(नई पीएमईजीपी इकाइयों की स्थापना के लिए और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी किश्त)

क्र. सं.	राज्य	सहायता प्राप्त इकाइयां (स.)	प्रयुक्त मार्जिन मनी (रु. लाख में)	अनुमनित सृजित रोजगार (संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	112	176.02	896
2	असम	947	1155.06	7576
3	मणिपुर	356	602.77	2848
4	मेघालय	146	256.56	1168
5	मिजोरम	275	380.05	2200
6	नागालैण्ड	278	806.61	2224
7	त्रिपुरा	245	487.03	1960
8	सिक्किम	38	85.80	304
	कुल	**2397**	**3949.00**	**19176**

तालिका 5.7: पूर्वोत्तर में पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य–वार सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यम (परियोजानाएं)
(पीएमईजीपी की नई इकाइयों की स्थापना के लिए मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी डोज)

(सूक्ष्म उद्यम/परियोजनाएं: संख्या में)

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019–20 (31.12.2019 तक)
अरुणाचल प्रदेश	8255	5015	3483	6028	2282	3737	3737
असम	397	555	603	329	75	389	389
मणिपुर	733	747	685	1265	600	1291	1291
मेघालय	1307	787	642	2297	1116	1178	1178
मिजोरम	421	416	623	1018	930	1208	1208
नागालैण्ड	777	817	1134	425	249	1123	1123
सिक्किम	66	16	110	27	37	55	55
त्रिपुरा	657	652	35	301	209	280	280
कुल	**12613**	**9005**	**7315**	**11690**	**5498**	**9263**	**2397**

5.1.4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसआईसी

एनएसआईसी का पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यालयों का नेटवर्क है जिसमें गुवाहाटी में शाखा कार्यालय और इम्फाल (मणिपुर) में उप–कार्यालय शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसआईसी द्वारा शुरू की गई गतिविधियां निम्नानुसार है:

- गुवाहाटी, असम में 22 और 23 नवम्बर, 2019 को राष्ट्रीय एससी/एसटी हब के अंतर्गत सीआईआई की भागीदारी से ''एससी/एसटी एमएसएमई के लिए पूर्वोत्तर शिखर सम्मेलन'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी पूर्वोत्तर राज्यों से लगभग 500 एससी/एसटी उद्यमियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
- एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि के लिए एनएसआईसी पैकेज सेवाओं के माध्यम से सिक्किम राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए एनएसआईसी ने सिक्किम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न एमएसएमई को टीएमटी रेबर के वितरण के लिए एनएसआईसी गुवाहाटी कार्यालय ने मैसर्स श्याम स्टील लि. के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
- एनएसआईसी लि. गुवाहाटी कार्यालय ने दिनांक 27.09.2019 से 14.10.2019 के दौरान मनीराम दिवान ट्रेड सेंटर, गुवाहाटी, असम में आयोजित 26वें अंतर्राष्ट्रीय गुवाहाटी ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र से 48 एमएसएमई को संगठित किया।
- एनएसआईसी द्वारा दिनांक 25.10.2019 से 18.11.2019 के दौरान मनीराम दिवान ट्रेड सेंटर, गुवाहाटी, असम में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय लियो एक्सपो 2019 में भाग लेने के लिए 65 एमएसएमई को संगठित किया गया।
- एनएसआईसी ने ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ लांगजिंग, इम्फाल में क्रेता–विक्रेता बैठक का संचालन किया। खरीद और बिक्री दोनों गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों से 77 एमएसएमई ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
- असम बायो रिफाइनरी प्रा. लि. (एबीआरपीएल) – नुमालीगढ़ द्वारा एनएसआईसी को मार्केटिंग पार्टनर के रूप में नियुक्त किया गया है (एनआरएल की एबीआरपीएल में 50% हिस्सेदारी है)। एनएसआईसी गुवाहाटी ने एबीआरपीएल के साथ गुवाहाटी में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जिसमें एनएसआईसी एमएसएमई इकाइयों ने जैव–ईंधन मिशन में एबीपीआरएल के साथ काम करने का अवसर पाने के लिए भाग लिया।

5.2. महिलाओं के कल्याणार्थ गतिविधियां

5.2.1 एनएसएसओ के एनएसएस 73वें दौर के अनुसार देश में लगभग 1,23,90,523 महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मौजूद हैं। आकृति 5–3 देश में पुरुष स्वामित्व वाली सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वितरण के प्रतिशत को दर्शाता है। 20% से अधिक सूक्ष्म, लघु आर मध्यम उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

5.2.2 मंत्रालय के संगठनों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला/सुविधा प्रदान करना है। तथापि, कुछ योजनाएं/कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुखी हैं। कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को अतिरिक्त लाभ/रियायत/सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के लिए रियायत संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in में यथा उपलब्ध संबंधित योजना के दिशानिर्देशों में देखा जा सकता है।

तालिका 5.8 स्वामियों की प्रकृति द्वारा एमएसएमई स्वामित्व का राज्य–वार वितरण (एनएसएस 73वां दौर)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामियों वाले सभी एमएसएमई के बीच राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामियों वाले सभी एमएसएमई के बीच राज्य का हिस्सा (%)
1	पश्चिम बंगाल	5583138	2901324	8484462	11.52	23.42
2	तमिलनाडु	3441489	1285263	4726752	7.10	10.37
3	तेलंगाना	1459622	972424	2432046	3.01	7.85
4	कर्नाटक	2684469	936905	3621374	5.54	7.56
5	उत्तर प्रदेश	8010932	862796	8873728	16.53	6.96

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामियों वाले सभी एमएसएमई के बीच राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामियों वाले सभी एमएसएमई के बीच राज्य का हिस्सा (%)
6	आंध्र प्रदेश	2160318	838033	2998351	4.46	6.76
7	गुजरात	2375858	826640	3202499	4.90	6.67
8	महाराष्ट्र	3798339	801197	4599536	7.84	6.47
9	केरल	1647853	495962	2143816	3.40	4.00
10	राजस्थान	2261127	380007	2641134	4.67	3.07
11	मध्य प्रदेश	2275251	370427	2645678	4.70	2.99
12	झारखंड	1250953	310388	1561341	2.58	2.51
13	ओडिशा	1567395	295460	1862856	3.24	2.38
14	पंजाब	1183871	224185	1408056	2.44	1.81
15	बिहार	3239698	168347	3408044	6.69	1.36
16	हरियाणा	831645	98309	929953	1.72	0.79
17	दिल्ली	827234	86742	913977	1.71	0.70
18	मणिपुर	86383	86604	172987	0.18	0.70
19	जम्मू और कश्मीर	624056	74785	698841	1.29	0.60
20	छत्तीसगढ़	727203	71201	798403	1.50	0.57
21	असम	1128411	66665	1195076	2.33	0.54
22	हिमाचल प्रदेश	329595	50368	379963	0.68	0.41
23	मेघालय	72191	39462	111653	0.15	0.32
24	त्रिपुरा	179169	28042	207212	0.37	0.23
25	पुडुचेरी	65350	27072	92422	0.13	0.22
26	उत्तराखंड	380000	20964	400964	0.78	0.17
27	नागालैंड	65778	20865	86643	0.14	0.17
28	मिजोरम	20439	13698	34137	0.04	0.11
29	गोवा	57133	10815	67948	0.12	0.09
30	अरुणाचल प्रदेश	16153	6274	22427	0.03	0.05
31	चंडीगढ़	44321	5560	49881	0.09	0.04
32	सिक्किम	20880	5036	25916	0.04	0.04
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14302	4026	18328	0.03	0.03
34	दादरा और नगर हवेली	12900	2629	15529	0.03	0.02
35	दमण और दीव	5880	1560	7441	0.01	0.01
36	लक्षद्वीप	1384	488	1872	0.00	0.00
37	**कुल**	**48450722**	**12390523**	**60841245**	**100.00**	**100.00**

चित्र 53: महिला स्वामियों वाली एमएसएमई में राज्यों का प्रतिशतता भाग

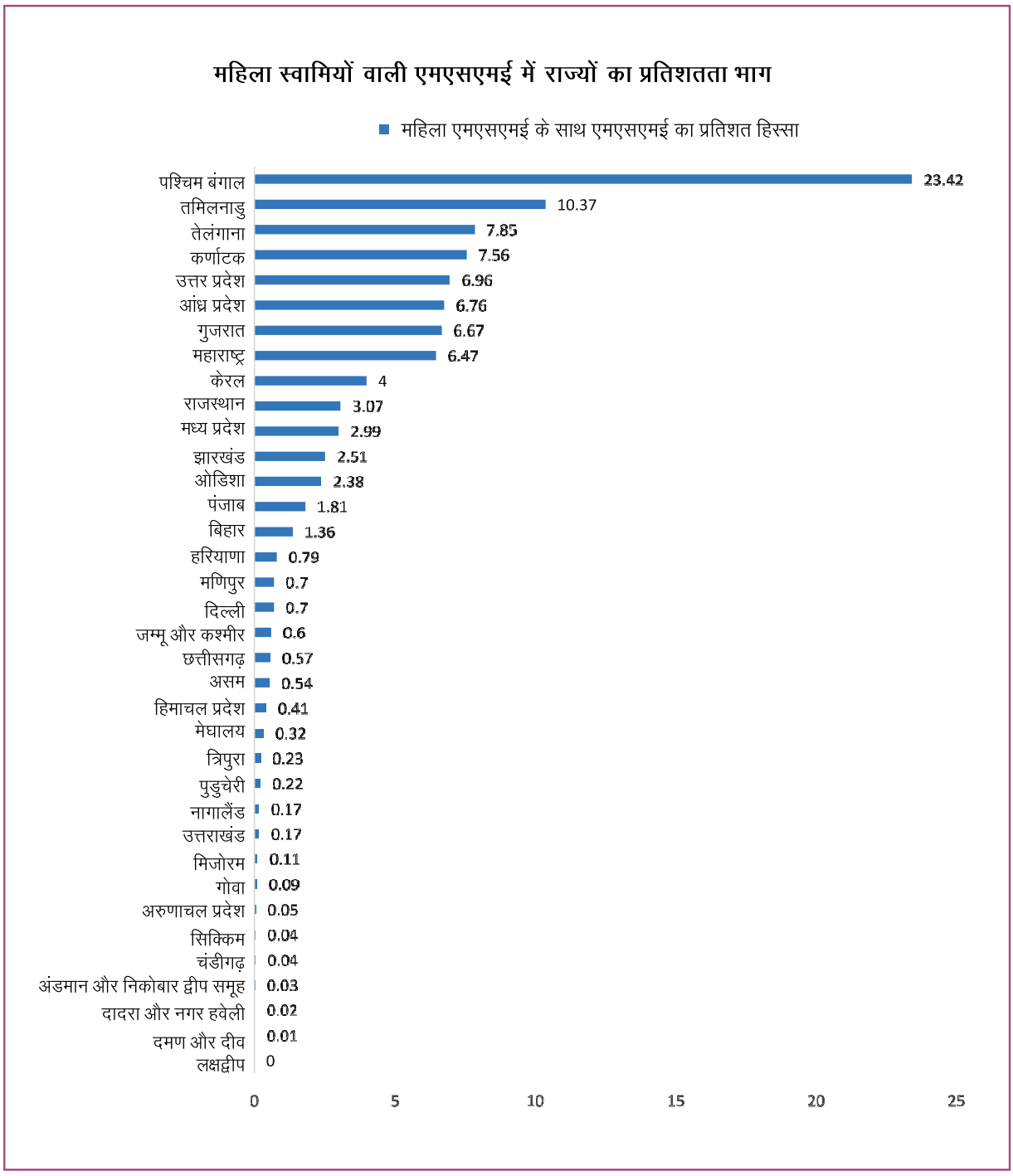

5.2.3 **पीएमईजीपी**–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी दी जाती है। आरंभ से (अर्थात् 2008–09 से 31.12.2019 तक) तक 1,62,383 परियोजनाओं में पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता दी गई है।

विगत वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

तालिका 5.9: आरंभ से पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला लाभार्थी (अर्थात् 2008–09 – 31.12.2019)

(सूक्ष्म उद्यम/परियोजनाएः संख्या में)

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी (लाभार्थी)
2008-09	4930
2009-10	10845
2010-11	12134
2011-12	14299
2012-13	13612
2013-14	13448
2014-15	13394
2015-16	11356
2016-17	14768
2017-18	15669
2018-19	25399
2019-20 (31.12.2019 तक)	12529
आरंभ से कुल (31.12.2019 तक)	**162383**

5.3 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

5.3.1 यह मंत्रालय उक्त विषय पर अनुदेशों के अनुसार आरक्षण रोस्टर का अनुरक्षण कर रहा है। मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) के दिव्यांग व्यक्तियों के 100 पॉइन्ट रोस्टर से सृजित रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाएं (जैसे वाहन भत्ता) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.3.2 एनएसआईसी और निम्समे उद्यमिता विकास के विभिन्न क्षेत्रों और संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण/वरीयता प्रदान कर रहे हैं।

5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम

5.4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उचित विकास संवर्धित करने के लिए आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में विश्व–भर में स्वीकार किया गया है। एमएसएमई देश के निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में अपनी विशेष पहचान बनाए रखने के लिए एमएसएमई वैश्विक प्रतिस्पर्धी बने रहना है। उनके लिए यह आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मांगों में परिवर्तन, नए बाजारों का उद्भव आदि के कारण उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें स्वयं निरंतर अद्यतन करना है।

5.4.2 दक्षता और गतिशीलता से इस क्षेत्र ने हालिया आर्थिक मंदी के दौर में भी प्रशंसनीय नवप्रवर्तन और समायोजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तथापि, एमएसएमई वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में बड़ी चुनौती का सामना

कर रहा है। नियमित वृद्धि दर्ज करने तथा बहुतायत में उच्च कौशल प्राप्त श्रम–शक्ति के आधार पर, भारत घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराता है। इस संभावना का दोहन करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय और उसके संगठन अपनी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विदेशी प्रौद्योगिकी, अनुभवों का साझा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बेहतरीन प्रबंधन परम्पराओं आदि के एक्सपोज देकर भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रयास को जारी रखते हुए, एमएसएमई मंत्रालय ने 19 देशों के साथ लम्बी अवधि की संधियों, समझौता ज्ञापन, संयुक्त कार्य–योजना की व्यवस्था की है। ये देश हैं ट्यूनिसिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उज़्बेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोटे डी आई वरी, मिश्र, दक्षिण कोरिया गणराज्य, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, मॉरीशस, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात।

5.4.3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अंतर्गत आयोजित बड़े आयोजन

5.4.3.1 दिनांक 27 जून, 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय ने निम्समे और इंडिया एसएमई फोरम के सहयोग से ''इंडियन एमएसएमई, ग्लोबल एस्पाइरेसंश'' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

27 जून, 2019 को नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस और अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन, 2019 में, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, श्री नितिन गडकरी इंडिया एसएमई 100 पुरस्कार देते हुए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री, श्री प्रताप चंद्र सारंगी और सचिव, एमएसएमई, श्री अरुण कुमार पंडा भी उपस्थित थे।

5.4.3.2 पूरे भारत में चयनित उच्च निष्पादन उद्यमियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों के बीच गहन व्यापार चर्चा के लिए वैश्विक मंच प्रदान करने के उद्देश्य के साथ एमएसएमई मंत्रालय ने इंडिया एसएमई फोरम और अन्य वैश्विक संगठनों के सहयोग से नई दिल्ली में 28–29 जून, 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम में 175 विदेशी प्रतिनिधियों और 1385 भारतीय एमएसएमई ने भाग लिया। यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों ने अपने संबंधित वाणिज्यिक अनुभागों सहित 16 देशों के दूतों ने सम्मेलन में व्यापार अवसरों को पेश किया। भारत और विदेशी उद्यमों के बीच 198 पूर्व–नियोजित बी2बी बैठकों को आयोजित किया गया जिसमें से भविष्य में सहयोग के लिए 42 संभावित आशय पत्र भरे गए, भारतीय उद्यमियों द्वारा 729 बी2बी व्यापार संपर्क फॉर्म भरे गए।

5.4.3.3 एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) नई दिल्ली के सहयोग से, नवाचार को अपनाने और स्थायी तथा महत्वपूर्ण वैश्विक साझेदारी के निर्माण के माध्यम से उनके विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में 24–25 सितम्बर, 2019 को वैश्विक एसएमई व्यापार शिखर सम्मेलन के 16वें संस्करण का आयोजन किया। कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी रही। लगभग 15 जानकारी सत्रों का आयोजन किया गया और संभावित अवसरों, आशंकाएं, वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एसएमई एकीकरण के आगे की राह और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान पर विचार के लिए 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा प्राप्त वक्ताओं को आमंत्रित किया गया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी 24 सितम्बर, 2019 को नई दिल्ली में, 16वें वैश्विक एसएमई व्यापार शिखर सम्मेलन, 2019 में प्रकाशन जारी करते हुए। सचिव, एमएसएमई, श्री अरुण कुमार पंडा और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

5.4.4. विदेशी गणमान्य व्यक्तियों एवं प्रतिनिधिमंडलों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय तथा एनएसआईसी जैसे इसके संगठनों ने दो देशों के एमएसएमई के परस्पर लाभों के लिए द्विपक्षाय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चाएं की। एमएसएमई मंत्रालय के संबंध में ऐसी बैठकों/चर्चाओं का ब्यौरा निम्नवत् है:

- एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग पर भारत और मोजाम्बिक के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गठित संयुक्त समिति की द्वितीय बैठक 8 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। श्रीमती अलका अरोड़ा, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा भारत गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया। श्री क्लेयर माटेअस कोरी जिम्बा, महानिदेशक, आईपीईएमई, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, मोजाम्बिक सरकार द्वारा मोजाम्बिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया। बैठक के दौरान मोजाम्बिक में एनएसआईसी द्वारा वीटीसी/इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना; पैकेजिंग उद्योग के क्षेत्र में सहयोग इत्यादि सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

- डॉ. अरुण कुमार पंडा, सचिव (एमएसएमई) ने चेक गणराज्य चेक गणराज्य सरकार में एसएमई संवर्धन और विकास में शामिल प्राधिकारियों तथा उद्योग प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने में 19–20 सितम्बर, 2019 तक एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रतिनिधिमंडल ने उनके क्लस्टर मॉडल और एसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा अनुसरण की गई नीतियों को समझने के लिए औद्योगिक क्लस्टर का भी दौरा किया। प्रतनिधिमंडल ने चेक गणराज्य और चेक वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान और ग्लास उद्योगों के बीच सहयोग के लिए मंत्रालय के साथ चिंतन किए जा रहे समझौता ज्ञापन पर भी विचार–विमर्श किया।

- श्री राम मोहन मिश्रा, विशेष सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने अब तक की गई सहयोग गतिविधियों की समीक्षा करने और नए सहयोगी एजेंडा पर भी विचार–विमर्श करने के लिए 4 से 6 नवम्बर, 2019 तक कोरिया गणराज्य में एक 4 सदस्यीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

- ईरान इस्लामी गणराज्य, कोरिया गणराज्य, चेक गणराज्य, हंगरी और स्लोवाक गणराज्य से कई विदेशी मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग के आपसी क्षेत्रों की खोज के लिए माननीय मंत्री एमएसएमई, माननीय राज्य मंत्री एमएसएमई और सचिव (एमएसएमई) से मुलाकात की।

- मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), जर्मनी और मिस्त्र में आयोजित प्रमुख मेलों/प्रदर्शनियों में एमएसएमई व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया।

सामान्य सांविधिक उत्तरदायित्व

6.1 राजभाषा

6.1.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति का पालन करना हम सबका सांविधानिक दायित्व है। सरकार की नीति का उद्देश्य सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाना है। मंत्रालय में वर्ष के दौरान संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

6.1.2 सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हुई है। मंत्रालय की एक पूर्ण कार्यशील वेबसाइट http://msme.gov.in हिंदी भाषा में है।

6.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, निविदा फॉर्म एवं सूचना, संकल्प, नियम, ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट और संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागजात द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। विभागीय प्रयोग के लिए सामान्य आदेश हिंदी में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए।

6.1.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2018 को हिंदी सलाहकार समीति की बैठक का आयोजन किया गया और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संयुक्त सचिव (प्रभारी–हिंदी) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति पहले से ही गठित है। इस समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं।

6.1.5 **हिंदी में पत्राचार:** 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों, केन्द्र राज्य प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों को पत्र हिंदी में ही जारी किए गए। इसी प्रकार, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी में पत्र भेजे गए। सितम्बर, 2019 में समाप्त अवधि की तिमाही में 'क' क्षेत्र में लगभग 83 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में 87 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 79 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया।

6.1.6 **निगरानी तथा निरीक्षण:** राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग और राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के 05 अनुभागों के साथ–साथ एमएसएमई मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों यथा: केवीआईसी मुख्यालय, मुंबई, एनएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय और एनएसआईसी जोनल कार्यालय, कयर बोर्ड शोरूम और बिक्री डिपो, मुंबई, एनएसआईसी मुख्यालय, दिल्ली, निम्समे, हैदराबाद, एनएसआईसी जोनल कार्यालय, हैदराबाद, केवीआईसी राज्य कार्यालय और कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू, कयर बोर्ड मुख्यालय, कोच्चि, एनएसआईसी शाखा कार्यालय, कोच्चि इत्यादि का निरीक्षण किया गया।

6.1.7 **हिंदी माहः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में 14 सितंबर 2019 से 13 अक्तूबर, 2019 तक हिंदी माह मनाया गया। सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी टंकण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, सामान्य हिन्दी, श्रुतलेख, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिंदी भाषण, कविता पाठ और अनुभागों में हिंदी कार्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बहुत से अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 14 सितम्बर को हिंदी दिवस, 2019 के अवसर पर माननीय मंत्री एमएसएमई के संदेश अनुपालन हेतु मंत्रालय सहित सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किए गए।

6.1.8 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग

6.1.8.1 **खादी और ग्रामोद्योग आयोगः** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (मुख्यालय) मुम्बई में एक पूर्णकालीन हिंदी विभाग है जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति एवं उसके अनुपालन के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार है। 3 सितम्बर, 2019 से 29 सितम्बर, 2019 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों और निदेशालय मुख्यालयों का निरीक्षण किया गया। आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई। आयोग की वेबसाइट द्विभाषिक है। आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

6.1.8.2 **कयर बोर्डः** कयर बोर्ड भारत सरकार के अधीन एक संवैधानिक निकाय है जो वर्षों से भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत है। वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजातों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया। हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। मुख्यालय में 14 सितम्बर, 2019 से 28 सितम्बर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिंदी में 19 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें एवं कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गईं। अप्रशिक्षित कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। उप कार्यालयों एवं कयर भवन का निरीक्षण किया गया। कयर बोर्ड को 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालय में वर्ष 2018–19 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वितीय कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

6.1.8.3 **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी):** राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 16 सितम्बर, 2019 से से 30 सितम्बर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें 06 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। 14 सितम्बर, 2019 को हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री एवं अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के संदेशों को पढ़ा गया। वर्ष के दौरान, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद के लिए चिन्हित कुल राशि के 50 प्रतिशत से अधिक राशि हिंदी पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की खरीद पर खर्च की गई। निगम को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन – 2019 में विश्व हिंदी परिषद काउंसिल के द्वारा 'राजभाषा सम्मान' से सम्मानित किया गया और गोवा में भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र सम्मेलन द्वारा राजभाषा मुकुटमणि सम्मान और कोडाईकनाल में परिवर्तन जन कल्याण समिति द्वारा 'राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन रत्न' पुरस्कार दिया गया।

6.1.8.4 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)

हिंदी दिवस 2019 के अवसर पर संस्थान में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। संस्थान में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई।

6.1.8.5 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरि)

संस्थान में 13 सितम्बर, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस दौरान विविध प्रतियोगिताएं/कार्यक्रम आयोजित किए गए और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रेरित करने के लिए कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संगोष्ठियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं ताकि वे अपने सरकारी काम में हिंदी के अधिकांश शब्दों का प्रयोग कर सके।

6.1.8.6 विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)

सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन और सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) में एक पूर्णकालीन हिंदी अनुभाग है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए गए। प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए। वर्ष के दौरान 16 सितम्बर, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें 10 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई। हैदराबाद, बेंगलुरू स्थित कार्यालयों में हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान 02 अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

6.2 सतर्कता

सतर्कता जागरुकता दिवस पर शपथ समारोह में मंत्रालय के अधिकारी

6.2.1 मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्वेषण एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

6.2.2 मंत्रालय सेवारत अधिकारियों में व्यापक सतर्कता जागरूकता सृजित करने में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय/संगठनों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त संदर्भों/सतर्कता शिकायतों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया।

6.2.3 28 अक्तूबर, 2019 से 2 नवम्बर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

6.2.4 सतर्कता प्रभाग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारियों द्वारा भेजी गई अपीलों के साथ–साथ इन संगठनों के कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों और मंत्रालय के अधिकारियों और सहायक निदेशकों, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) के उच्च स्तर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आदि पर लगाई गई शास्तियों का कार्य भी देखता है। प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं:–

(i) स्पैरो https://sparrow.eoffice.gov.in की ऑनलाइन पद्धति सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआर) का रख–रखाव।

(ii) कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न विवरणी विवरण और सूचना सहित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलें।

(iii) बंधक पत्रों/विलेखों की सुरक्षित संरक्षा।

(iv) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सतर्कता निकासी।

6.2.5 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 41 शिकायतें प्राप्त हुई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जहां लागू हो, परिसमापन/निपटान किया गया।

6.3 नागरिक घोषणापत्र

6.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए नागरिक/ग्राहक घोषणापत्र तैयार किया गया है और उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस चार्टर में एमएसएमई मंत्रालय की घोषणा है जिसमें सामान्य तौर पर भारत के आम लोगों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए मिशन और वचनबद्धता शामिल है।

6.3.2 भूतल (द्वार संख्या 4 और 5 के बीच) निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित मंत्रालय का सूचना तथा सुविधा काउंटर मंत्रालय तथा इसके संगठनों की सेवाओं तथा कार्यकलापों की सूचना प्रदान करता है। यह आवेदक से, आरटीआई आवेदन पत्र और शुल्क भी, यदि कोई हो, प्राप्त करता।

6.3.3 वार्षिक रिपोर्टों और स्व–रोजगार पर हैंडबुक प्रकाशित की गई है जो संभावित उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों की सूचना के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.msme.gov.in संगठनों के सभी संगत सूचना एवं लिंक उपलब्ध कराती है।

6.3.4 मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक चार्टर का विस्तृत ब्योरा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.3.5 **शिकायतें**: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) ने लोक शिकायतों के लिए एक पोर्टल http://pgportal.gov.in सृजित किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। डीएपीआरजी द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त सभी शिकायतें इस पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित की जाती हैं। अन्य मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों से संबंधित शिकायत

ऑनलाइन हस्तांतरित की जा सकती हैं। एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. तथा सभी 24 उत्तरदायित्व केन्द्रों को http://pgportal.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठन शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों तथा सुझावों का पता लगाने एवं निगरानी करने के लिए एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। सूचना और सुविधा काउंटर तथा शिकायत प्रकोष्ठ का पता, दूरभाष तथा फैक्स नंबर नीचे दिए गए हैं:

विवरण	बेवसाइट का पता	संगठन
1. शिकायत कक्ष अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, कमरा संख्या–716, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 दूरभाष–संख्या–23061277 फैक्स नम्बर–23061804	www-msme-gov-in	एमएसएमई मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
	www.nsic.co.in	एनएसआईसी, नई दिल्ली
	www.nimsme.org	निम्समे, हैदराबाद
	www.kvic.org.in	केवीआईसी, मुम्बई
2. सूचना एवं सुविधा काउंटर गेट संख्या–4, भूतल, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 दूरभाष–23062219	www.coirboard.gov.in	कयर बोर्ड, कोच्चि
	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

6.4 सूचना का अधिकार

6.4.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक किसी भी कार्य दिवस में गेट संख्या 4 और 5, के बीच स्थित लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई) निर्माण भवन, (विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय) नई दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं अथवा www.rtionline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन भी फाइल कर सकते हैं:–

6.4.2 मंत्रालय के अधीन संगठनों के अन्य लोक प्राधिकरणों और मंत्रालय के संबंध में पूरी जानकारी नियमित रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। सीपीआईओ/अपीलीय अधिकारी के विवरण भी संबंधित कार्लाय वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय और इसके संगठनों के नोडल सीपीआईओ की नवीनतम सूची अनुबंध 2 में दी गई है।

6.5. यौन उत्पीड़न का निवारण

6.5.1 कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण एवं समाधान) अधिनियम, 2013 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

6.5.2 वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) के दौरान आंतरिक शिकायत समिति के पास कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया तथा आईसीसी के पास कोई मामला लंबित नहीं है।

6.5.3 शिकायतों को सीधे फाइल करने में केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को समर्थ करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली 'She-box' (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक–बॉक्स) शुरू की गई है। इसका मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया गया है।

1. वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान योजना आवंटन और व्यय

(करोड़ रू. में)

मदें	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
एसएमई प्रभाग				
बजट अनुमान	310.99	138.22	170.29	213.99
संशोधित अनुमान	160.73	106.21	143.03	174.93
व्यय	121.51	94.69	135.61	85.94*
एआरआई प्रभाग				
बजट अनुमान	1825.00	2065.48	3308.24	3641.75
संशोधित अनुमान	1717.54	2517.70	3488.40	3714.43
व्यय	1686.39	2249.69	3577.98	3026.58*
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय				
बजट अनुमान	864.00	4278.26	3074.08	3155.55
संशोधित अनुमान	3104.93	3858.05	2921.18	3121.93
व्यय	1365.12	3877.83	2799.54	2327.89*
कुल बजट अनुमान	**2999.99**	**6481.96**	**6552.61**	**7011.29**
कुल संशोधित अनुमान	**4983.20**	**6481.96**	**6552.61**	**7011.29**
कुल व्यय	**3173.02**	**6222.21**	**6513.13**	**5440.41***

**दिसम्बर, 2019 तक*

2. केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची (सीपीआईओ)

क्र. सं.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष	विषय–वस्तु
1.	प्रदीप कुमार सिंह अवर सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली 23063293	राजीव मलिक, उप सचिव, 23063198	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध है।
2.	विनय कुमार, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	डॉ ओ.पी. मेहता, निदेशक, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।
3.	ए.के. मिश्रा, महाप्रबंधक, एनएसआईसी लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020 011– 26926275, akmishra@nsic.co.in	नवीन चोपड़ा, मुख्य महाप्रबंधक, एनएसआईसी लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली 011– 26310549, navinchopra@nsic.co.in	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची www.nsic.co.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4.	एन मुरलिया किशोर, सहायक रजिस्टार,राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), युसुफगौडा, हैदराबाद– 500045 040–23633260 ar@nimsme.org	जे. कोटेश्वर राव, सहयोगी संकाय सदस्य, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), युसुफगौडा, हैदराबाद–500045 040–23633203, cao@nimsme.org	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान से संबंधित सभी मामलें। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.nimsme.org पर उपलब्ध है।

क्र. सं.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष	विषय–वस्तु
5.	श्री कृष्णपाल, सहायक निदेशक, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई 022–26711037	श्री गुरूप्रसन्ना, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम),मुम्बई 022–26713538	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.kvic.org.in पर उपलब्ध है।
6.	श्रीमती अनीता कुमारी एस, विपणन और प्रचार अधिकारी, कयर बोर्ड, कयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्चि– 682016 0484–2351807	के. रघुनंदन वी सी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कयर हाउस, एम.जी. रोड, कोच्चि–682016 0484–2351807	कयर बोर्ड से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.coirbord.gov.in पर उपलब्ध है।
7.	डा. एम.पटनायक, उपनिदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा – 442001 07152–253512	डॉ. पी.बी.काले, निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, मगन वाडी, वर्धा–442001 07152–253512,13 director-mgiri@gmail-com	एमगिरि से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.migiri.org पर उपलब्ध है।

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई–मेल	दूरभाष	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त, (एमएसएमई) कार्यालय , 7 वीं मंजिल ए– विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 108	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 'ग्रामोदय' 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) , मुंबई –400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, "कयर हाउस", एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि–682016, केरल	www.coirboard.gov.in	info@coirboard.org coirboard@nic.in	0484-2351900 2351807, 2351788, 2351954, Toll Free – 1-800-4259091	0484-2370034 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी),, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in,	011-26926275 26910910 26926370 Toll Free 1-800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) युसूफगौडा, हैदराबाद– 500 045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा–442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

4. एमएसएमई विकास संस्थानों और शाखा एमएसएमई विकास संस्थानों की राज्य–वार सूची

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
1	अंडमान और निकोबार (संघ) राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	पोर्ट ब्लेयर	डॉलीगंज इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पो.ऑ. जंगल घाट, पोर्ट ब्लेयर–744103	03192-252308		brdcdi-pprt@dcmsme.gov.in jan-gammouli@ yahoo.com
2	आंध्र प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	विशाखापटनम	एफ–19–22, ब्लॉक डी आईडीए, ऑटोनगर, विशाखापटनम –530012	0891-2517942 /2701061	0891-2517942	brdcdi-vish@dcmsme.gov.in
3	तेलंगाना	एमएसएमई–वि.सं.	हैदराबाद	नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद–500 037	040-23078857	040-23078857	dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
4	अरुणाचल प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	इटानगर	एपीआईडीएफसी बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, इटानगर –791111	0360-2291176	0360-2291176	brmsme.itan@gmail.com
5	असम	एमएसएमई–वि.सं.	गुवाहाटी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एम.आर. डी. रोड, पो.ऑ. बामुनीमैदान, गुवाहाटी–781021	0361-2550052, 2550298	0361-2550298	dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलचर	लिंक रोड़ प्वाइंट, एन.एस. एवेन्यू, सिलचर–788006	03842-247649	03842-241649	brdcdi-silc@dc-msme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दिफू (कार्बी एन्गलोंग)	अमलीपती, कार्बी एन्गलोंग, दिफू–782460	03761-272549	03671-272549	brmsmediphu@gmail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तेजपुर	दरांग कालेज रोड़, तेजपुर–784001	03712-221084	03712-221084	brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
6	बिहार	एमएसएमई–वि.सं.	मुजफ्फरपुर	संस्थान, गोशाला रोड़, पो.ऑ. रमना, मुजफ्फरपुर–842002.	0621-2282486 /2284425	0621-2282486	dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	पटना	पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पटना –800013	0612-2262568	0612-2262719	dcdi-patna@dc-msme.gov.in
7	छत्तीसगढ़	एमएसएमई–वि.सं.	रायपुर	उरकुरा रेलवे स्टेशन के निकट, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर (छत्तीसगढ़)–492001	0771-2427719	0771-2422312	dcdi-raipur@dcmsme.gov.in
8	दादरा और नगर हवेली (संघ) राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलवासा	मासत औद्योगिक एस्टेट, सिलवासा –396230	0260-2640933	0260-2640933	brdcdi-silv@dc-msme.gov.in
9	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	एमएसएमई–विस्तार केंद्र	नई दिल्ली	बाल सहयोग केंद्र, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली			dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	नई दिल्ली	शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट के सामने, नई दिल्ली–110 020.	011-26847223, 26838369,	011-26838016	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
10	गोवा	एमएसएमई–वि.सं.	मडगांव	कोंकण रेलवे स्टेशन के सामने (क्यूपेम रोड), मडगांव–403601	0832-2705092	0832-2710525	dcdi-goa@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
11	गुजरात	एमएसएमई–वि.सं.	अहमदाबाद	हरसिद्ध चैम्बर, चतुर्थ तल, आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात)–380014	079-27543147, 27544248	079-27540619	dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	राजकोट	तृतीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के निकट, एमजी रोड़, राजकोट–360001	0281-2471045	0281-2471045	brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
12	हरियाणा	एमएसएमई–वि.सं.	करनाल	11–ए, औद्योगिक विकास कालोनी, आईटीआई के निकट, कुंजपुरा रोड़, करनाल–132 001.	0184-2208100/2208113	0184-2208114	dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	भिवानी	आईटीआई कैम्पस, हांसी रोड़, भिवानी –125021.	01664-243200	01664-243200	brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई–वि.सं.	सोलन	इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स, चम्बाघाट, सोलन–173213.	01792-230265	01792-230766	dcdi-solan@dc-msme.gov.in
14	जम्मू और कश्मीर	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	जम्मूतवी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट डिगियाना, जम्मू तवी–180010	0191-2431077	0191-2431077	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	जम्मू	36, बी/सी, गांधी नगर, जम्मू –180004.	0191-2431077	0191-2450035	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
15	झारखंड	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	धनबाद	कटरास रोड़, मटकुरिया, धनबाद –826001	0326-23063380	0326-23063380	brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	रांची	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कोकर, रांची –834001	0651-2546133	0651-2546235	dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
16	कर्नाटक	एमएसएमई–वि.सं.	हुबली	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोकुल रोड, हुबली –580 030	2330389, 2332334 (0836)	0836-2330389	dcdi-hubli@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	बेंगलुरू	राजाजी नगर, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बेंगलुरू –560 010	23151540, 23151581, 23151582 (080)	080-23144506	dcdi-bang@dc-msme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	मंगलौर	एल–11 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, येय्याडी, मंगलौर –575005	0824-2217936		brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	गुलबर्गा	सी–122, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एम.एस.के. मिल रोड़, गुलबर्गा –585102.	08472-420944		bsjawalgi@yahoo. co.in
17	केरल	एमएसएमई–वि.सं.	त्रिशूर	कंजनी रोड़, अय्यानतोल, त्रिशूर –680003	0487-2360686/638/	0487-2360536/216	dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–टीआई	तिरूवला	मंजड़ी पीओ, तिरूवला, पठानमथिट्टा –689105	0469-2701336	0469-2701336	msmeti@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई टीआई/टीएस	एट्टुमानूर	पो.बा.सं. 7, एट्टुमानूर , कोट्टयम–686631, केरल	0481-2535563	0481-2535523	msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
18	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एमएसएमई–न्यूक्लियस सैल	लक्षद्वीप	अमीनी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र –682552	04891-273345		brdcdi-laks@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
19	मध्य प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	ग्वालियर	7, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, तानसेन रोड, ग्वालियर –474004	0751-2422590		brdcdi-gwal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	रीवा	उद्योग विहार, चोरहट्टा, रीवा –486001.	0766-2222448		brdcdi-reva@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	इंदौर	10, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राउंड, इंदौर –452015	2421659/2421037 (0731)	0731-2420723	dcdi-indore@dcmsme.gov.in
20	महाराष्ट्र	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	औरंगाबाद	32–33, एमआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, चीकल थाना औरंगाबाद–431210.	0240-2485430	0240-2484204	brdcdi-aura@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	मुंबई	कुरिया अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई –400072	91-22-28576090	91-22-28578092	dcdi-mum-bai@ dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	नागपुर	ब्लॉक–सी, सीजीओ कॉम्पलेक्स, सेमिनारी हिल, नागपुर–440006	0712-2510352	0712-2511985	dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
21	मणिपुर	एमएसएमई–वि.सं.	इम्फाल	सी–17/18, तकयेलपट, इंडस्ट्रीयल एस्टेट इम्फाल–795 001	0385-2416220		dcdi-imphal@dcmsme.gov.in
22	मेघालय	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तूरा	डकोपगरे टी वी टॉवर के निकट, तूरा – 794101	03651-222569	03651-222569	brdcdi-tura@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	शिलांग	बी.के. बजोरिया स्कूल के सामने, शिलांग –793001	0364-2223349	0364-2223349	brdcdi-shil@dcmsme.gov.in
23	मिजोरम	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	आइजवाल	शाखा एमएसएमई–वि.सं., कालेज वेंग, हाउस नं. वी–37, टैक्सी स्टेंड के निकट, आइजवाल –796001	0389-2323448		brdcdi-aizw@dcmsme.gov.in
24	नागालैंड	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दीमापुर	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, दीमापुर–795001	03862-248552	03862-248552	brdcdi-dima@dcmsme.gov.in
25	ओडिशा	एमएसएमई–वि.सं.	कटक	विकास सदन, कालेज स्क्वायर, कटक –753 003	0671-2548077	0671-2548006	dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	रायगढ़	आर. के. नगर, रायगढ़ –765004	06852-222268	06856-235968	brdcdi-raya@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	राउरकेला	सी–9, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, राउरकेला–769004	0661-2507492	0661-2402492	brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
26	पंजाब	एमएसएमई–वि.सं.	लुधियाना	प्रताप चौक के निकट, संगीत सिनेमा के सामने, औद्योगिक क्षेत्र–बी, लुधियाना – 141003	0161-2531733, 734	0161-2533225	dcdi-ludhi-ana@ dcmsme.gov.in
27	राजस्थान	एमएसएमई–वि.सं.	जयपुर	22 गोदम इंडस्ट्रीयल एस्टेट, जयपुर –302006.	0141-2210553, 2212098	0141-2210553	dcdi-jaipur@dcmsme.gov.in
28	सिक्किम	एमएसएमई–वि.सं.	गंगटोक	तदोंग बाजार, एनएच –10, के के सिंह बिल्डिंग, पीओ तदोंग, गंगटोक –737102	03592-231880	03592-231262	dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
29	तमिलनाडु	एमएसएमई–वि.सं.	चेन्नई	65/1, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी, पो.बा. 3746, चेन्नई–600 032	044-22501011 /12/13	044-22341014	dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	कोयम्बटूर	386, पटेल रोड, राम नगर, कोयम्बटूर	0422-2230426	0422-2233956	brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तूतीकोरिन	सं. 6 जयराज रोड़, तूतीकोरिन 628003.	0461-2375345		dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तिरूनेलवेली	शेड नं. 7 और 8 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पेट्टई तिरूनेलवेली 627010	0462-2342137		Brmsmedi-tin@gmail.com
30	त्रिपुरा	एमएसएमई–वि.सं.	अगरतला	एमएसएमई–वि.सं., इंद्रानगर (आईटीआई प्ले ग्राउंड के निकट), पो.ऑ. कुंजाबन, अगरतला – 7999006	0381-2326570		dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
31	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई–वि.सं.	आगरा	34, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नुनहाई, आगरा–282 006	0562-2280879/ 2280882	0562-2523247	dcdi-agra@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	इलाहाबाद	ई–17/18, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद–211 009	0532-2697468	0532-2696809	dcdi-allbad@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	कानपुर	107, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कल्पी रोड, कानपुर–208 012.	0512-2295070 2295071, 2295073.	0512-2240143	dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	वाराणसी	चांदपुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, वाराणसी–221106.	0542-2370621	0542-2371320	brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
32	उत्तरांचल	एमएसएमई–वि.सं.	हल्द्वानी	खाम बंगला कैम्पस, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी –263 139.	05946-221053, 220853	05946-228353	dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in
33	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई–वि.सं.	कोलकाता	111 और 112, बी.टी. रोड, कोलकाता–700 108	033-25775531	033-25100524	ajoy1791@gmail.co m dcdi-kolkata@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सूरी (बीरभूम)	आर.एन. टैगोर रोड, पुलिस लाइन के निकट, पीओ–सूरी, जिला–बीरभूम, पश्चिम बंगाल–731101	03462-255402	03462-255402	brdcdi-birb@dcmsme.gov.in snandy.msme@gmail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दुर्गापुर	आरए–39 (भूतल), उर्वशी (फेज 22), बंगाल अम्बुजा, ताराशंकर सरणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर –713 216.	0343-2547129		brdcdi-durg@dcmsme.gov.in dipakchan-da900@ hot-mail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलिगुड़ी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सेवोक रोड, सेकंड माइल, सिलिगुड़ी–734001.	0353-2542487		brdcdi-sili@dcmsme.gov.in monojit342@gmail. com

एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एएबीवाई	आम आदमी बीमा योजना
एआरआई	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
एस्पायर	नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम
बीआई	व्यवसाय इंक्यूबेटर्स
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीए	कार्बन क्रेडिट एकत्रीकरण केन्द्र
सीडीसी	सामान्य प्रदर्शन केन्द्र
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीयूवाई	कयर उद्यमी योजना
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
डीआईसी	जिला उद्योग केन्द्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ईसी	आर्थिक गणना
ईईटी	ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी
ईएम–II	उद्यमी ज्ञापन भाग–II
ईएसडीपी	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद

आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीएफसी	बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केन्द्र
आइसेक	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र
केवीआईसी	खादी ग्रामोद्योग आयोग
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एमएमडीए	संशोधित बाजार विकास सहायता
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एमगिरी	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई–सीडीपी	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम स्कीम
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एनबीएमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईडी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
निम्समे	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएमएसी	परियोजना मॉनीटरिंग एवं सलाहकार समिति
पीएमईजीपी	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद्
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरईबीटीआई	ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
एससी	अनुसूचित जाति
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
स्फूर्ति	परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम
एसएमएएस	विशेष विपणन स्कीम
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसपीवी	विशेष प्रयोजन साधन
एसएसपीआरएस	एकल बिंदु पंजीकरण सब्सिडी स्कीम
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीईक्यूयूपी	प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन
टीआरईएडी	व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता एवं विकास
यूएएम	उद्योग आधार ज्ञापन

अपने सपनों के उद्यम का निर्माण करें

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय

FOLLOW US ON @minmsme

Visit
www.msme.gov.in